दृष्टि The Vision

एडिटोरियल

(संग्रह)

जून, 2020

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **5**

- फार्मास्युटिकल सेवाओं में सुधार का समय 5
- भेदभाव के विरुद्ध कानून निर्माण की आवश्यकता 8
- डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र: चुनौतियाँ व संभावनाएँ 10
- दल-बदल विरोधी कानून: चुनौतियाँ और समाधान 12
- ग्रामीण केंद्रित विकास अवधारणा की आवश्यकता 15

आर्थिक घटनाक्रम **18**

- यूनिवर्सल बेसिक इनकम: समय की मांग 18
- क्रिप्टो-करेंसी विनिमय: आवश्यकता और चुनौतियाँ 20
- खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का समय 23
- सकल मूल्य वर्द्धन: चुनौतियाँ व महत्त्व 26
- विदेशी मुद्रा भंडार: संभावनाएँ व महत्त्व 28
- पर्यटन विकास: अतुल्य भारत 2.0 अभियान 31
- वस्त्र उद्योग और आत्मनिर्भर भारत 33
- सामरिक पेट्रोलियम भंडार: महत्त्व व चुनौतियाँ 36

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **39**

- अफ्रीका महाद्वीप: रणनीतिक महत्त्व का केंद्र 39
- फारस की खाड़ी: पश्चिम एशिया में रणनीतिक महत्त्व का केंद्र 41
- नई दिल्ली- वाशिंगटन डी.सी- बीजिंग' त्रिकोण 44
- शीत युद्ध 2.0 का उदय 46
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद: भारत अस्थायी सदस्य 48
- चीन से आयात पर प्रतिबंध: चुनौतियाँ और संभावनाएँ 51

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **55**

- वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा का समय 55

नोट :

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन **58**

- विविधतापूर्ण भारतीय मानसून 58

सामाजिक न्याय **61**

- मानसिक स्वास्थ्य: अवसंरचना निर्माण की आवश्यकता 61
- लैंगिक असमानता: कारण और समाधान 64

आंतरिक सुरक्षा **67**

- सोशल मीडिया: समस्या व समाधान 67
- साइबर सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता 69
- गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम: चुनौतियाँ व प्रासंगिकता 72

दृष्टि The Vision

नोट :

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

फार्मास्युटिकल सेवाओं में सुधार का समय

संदर्भ

स्वास्थ्य क्षेत्र, दुनिया के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। यही कारण है कि दवा उद्योग को आर्थिक विकास की प्रक्रिया में एक प्रमुख उद्योग के रूप में देखा जाता है। भारतीय दवा उद्योग वैश्विक फार्मा सेक्टर में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है और हाल के वर्षों में इसमें उल्लेखनीय विकास भी हुआ है। लेकिन Covid-19 के बढते प्रभाव से भारतीय दवा उद्योग के प्रभावित होने की आशंका ज़ाहिर की जा रही है, ऐसे में यह सही समय है कि भारतीय फार्मा उद्योग को अपनी शोध एवं अनुसंधान प्रक्रिया में परिवर्तन करना चाहिये। भारतीय फार्मा उद्योग को हेल्थ इम्पैक्ट फंड (Health Impact Fund) के निर्माण की दिशा में विचार करना चाहिये।

भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। भारतीय फार्मास्युटिकल सेक्टर उद्योग विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग का 50 प्रतिशत, अमेरिका में सामान्य मांग का 40 प्रतिशत और यूके में सभी दवा का 25 प्रतिशत आपूर्ति करता है। फार्मास्युटिकल सेक्टर में भारत की इन उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने हाल ही में 3000 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता के साथ बल्क ड्रग पार्क्स को बढ़ावा देने के लिये एक योजना को मंज़ूरी दी है।

इस आलेख में भारत में फार्मास्युटिकल उद्योग की स्थिति, समस्याएँ व चुनौतियाँ, हेल्थ इम्पैक्ट फंड की भूमिका और फार्मास्युटिकल उद्योग के विकास में विभिन्न सुझावों पर विमर्श किया जाएगा।

भारतीय फार्मा उद्योग की वर्तमान स्थिति

- भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। विभिन्न वैक्सीन की वैश्विक मांग में भारतीय दवा क्षेत्र की आपूर्ति 50 प्रतिशत से अधिक है।
- वर्ष 2017 में फार्मास्युटिकल क्षेत्र का मूल्य 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- वित्त वर्ष 2018 में भारत का दवा निर्यात 17.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो वित्त वर्ष 2019 में बढ़कर 19.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।
- जैव-फार्मास्युटिकल्स, जैव-सेवा, जैव-कृषि, जैव-उद्योग और जैव सूचना विज्ञान से युक्त भारत का जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग प्रति वर्ष लगभग 30 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ वर्ष 2025 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।

भारतीय फार्मा उद्योग की समस्याएँ

- शोध एवं अनुसंधान की कमी
  - भारतीय फार्मा उद्योग में अनुसंधान घटकों और वास्तविक समय में अच्छी विनिर्माण प्रथाओं का अभाव है।
  - भारतीय फार्मा कंपनियों द्वारा अनुसंधान और विकास में निवेश वित्त वर्ष 2018 में 8.5 प्रतिशत हो गया है जो वित्त वर्ष 2012 में 5.3 प्रतिशत के सापेक्ष अधिक है, लेकिन यह अमेरिकी फार्मा कंपनियों की तुलना में अभी भी कम है क्योंकि अमेरिकी फार्मा कंपनियाँ अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में 15–20% तक निवेश करती हैं।
  - अमेरिकी फार्मा कंपनियाँ अक्सर यह आरोप लगाती हैं कि भारतीय फार्मा कंपनियाँ दवा निर्माण में किसी भी प्रकार का शोध नहीं करती हैं और अमेरिकी फार्मा कंपनियों द्वारा निर्मित दवा का पेटेंट समाप्त होने के बाद उसकी 'सक्रिय दवा सामग्री' (Active Pharmaceutical Ingredient-API) का उपयोग कर जेनेरिक दवाओं का निर्माण कर रही हैं।

नोट :

जेनेरिक व ब्रांडेड दवाओं में अंतर

- जेनेरिक दवाएँ
  - वे दवाएँ, जिनके निर्माण या वितरण के लिये किसी पेटेंट की आवश्यकता नहीं होती, जेनेरिक दवाएँ कहलाती हैं।
  - जेनेरिक दवाओं की रासायनिक संरचना ब्रांडेड दवाओं के समान होती है परंतु उनकी बिक्री रासायनिक नाम से ही की जाती है। जैसे- क्रोसिन या पैनाडॉल ब्रांडेड दवाएँ हैं जबकि इसकी जेनेरिक दवा का नाम पैरासीटामॉल है।
- ब्रांडेड दवाएँ
  - जब कोई कंपनी वर्षों के शोध और परीक्षण के बाद किसी दवा का निर्माण करती है तो वह उस दवा का पेटेंट (Patent) करा लेती है, आमतौर पर किसी दवा हेतु पेटेंट 20 वर्षों के लिये दिया जाता है।
  - पेटेंट एक तरह का लाइसेंस होता है जो पेटेंट धारक कंपनी को ही संबंधित दवा के निर्माण और वितरण का अधिकार प्रदान करता है। पेटेंट की समयसीमा तक केवल पेटेंट धारक कंपनी ही उस दवा का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार बनी दवाएँ ब्रांडेड दवाएँ होती हैं।
- नीतिगत समर्थन का अभाव
  - भारत में सस्ती दरों पर जेनेरिक दवाओं के निर्माण तथा कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार करने हेतु देश के सभी राज्यों में छोटे पैमाने पर कच्चे माल की विनिर्माण इकाइयों / इनक्यूबेटरों की स्थापना के लिये अनुकूल सरकारी नीति का अभाव है।
  - सरकार के पास उद्योग तथा फार्मासिस्ट समुदाय को उद्यमी बनाने और इनक्यूबेटर्स की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये अवसंरचना का अभाव है।
  - स्वदेशी रूप से उत्पादित कच्चे माल की अच्छी गुणवत्ता का भी अभाव है।
  - छोटी इकाईयों से उत्पादित कच्चे माल की गुणवत्ता विनिर्देशों का पता लगाने के लिये इसे राज्य की परीक्षण प्रयोगशाला में ठीक से सत्यापित किया जाना चाहिये।
  - कच्चे माल के गुणवत्ता विनिर्देशन के कार्य को गति देने के लिये हर राज्य में एक कार्यात्मक परीक्षण प्रयोगशाला की आवश्यकता है।
- कुशल श्रम का अभाव
  - फार्मास्युटिकल कंपनियों में कुशल श्रमशक्ति की कमी है। फार्मास्युटिकल पाठ्क्रमों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी कमी है, परिणामस्वरूप फार्मा सेक्टर में कार्य करने वाले लोग अन्य क्षेत्रों से होते हैं, जिन्हें इस क्षेत्र की बारीकियों का ज्ञान नहीं होता है।
- नैदानिक परीक्षणों में मानकों का अनुपालन न करना
  - भ्रष्टाचार, परीक्षण की अल्प लागत, बेतरतीब अनुपालन और दवा कंपनियों व चिकित्सकों की मिलीभगत ने भारत में अनैतिक दवा परीक्षणों को अवसर दिया है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण पर संसदीय समिति ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organization-CDSCO) को सौंपी रिपोर्ट में कहा कि ऐसे पर्याप्त साक्ष्य हैं कि दवा निर्माताओं, CDSCO के कुछ कर्मियों और कुछ चिकित्सा विशेषज्ञों के बीच अनैतिक मिलीभगत है।
  - समिति ने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि CDSCO ने बेतरतीब ढंग से चयनित 42 दवा नमूनों में से 33 को भारतीय मरीज़ों पर किसी नैदानिक परीक्षण के बिना ही इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी।

हेल्थ इम्पैक्ट फंड की आवश्यकता क्यों ?

- हेल्थ इम्पैक्ट फंड को 20,000 करोड़ रूपए की प्रारंभिक राशि के साथ प्रारंभ किया जा सकता है। इस फंड के ज़रिये कई दवाओं पर शोध के कार्य को गति प्रदान की जा सकती है।
- इस शोध व अनुसंधान के द्वारा निर्मित दवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 17,000 करोड़ रूपए से 20,000 करोड़ रूपए की धनराशि जुटाई जा सकती है।
- इस फंड के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में रुचि रखने वाली फार्मास्युटिकल कंपनियों को शोध कार्य हेतु मौद्रिक सहायता प्रदान की जा सकती है।
- शोध व अनुसंधान के द्वारा निर्मित की गई दवाएँ अन्य देशों के द्वारा निर्मित ब्रांडेड दवाओं से सस्ती होंगी, जिसका विशेष लाभ लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के ज़रिये प्राप्त होगा।

नोट :

- इस प्रकार हेल्थ इम्पैक्ट फंड के द्वारा फार्मास्युटिकल इनोवेटर्स COVID-19 के प्रकोप को रोकने व उपयुक्त दवाओं की आपूर्ति करने या विकसित करने के लिये पूरी तरह से तैयार होंगे।
- हेल्थ इम्पैक्ट फंड दवाओं की बिक्री करने के बजाय बेहतर स्वास्थ्य परिणामों को प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्ध होगा।

सरकार के द्वारा किये जा रहे प्रयास

- सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास एवं शोध व अनुसंधान को बढ़ाने के लिये वर्ष 2025 तक अपनी कुल जीडीपी का 2.5% इस क्षेत्र पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है।
- भारतीय दवा उद्योग के विकास के लिये सरकार की नीति में अनुसंधान और विकास (Research & Development) पर काफी ज़ोर दिया गया है।
- ग्रीन फील्ड फार्मा परियोजना के लिये ऑटोमैटिक रूट के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment-FDI) को मंज़ूरी दी गई है।
- साथ ही स्वस्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों के बीच विचार-विमर्श के लिये समय-समय पर सरकार व निजी क्षेत्र के सहयोग से इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस सम्मेलन जैसे प्रयासों को भी बढ़ावा दिया गया है।
- साथ ही ब्राउन फील्ड फार्मा परियोजना के लिये ऑटोमैटिक रूट के तहत 74% FDI की मंज़ूरी दी गई है, 74% से अधिक की FDI के लिये सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमति दी गई है।

फार्मा क्षेत्र के उन्नयन हेतु प्रमुख सुझाव

- अनुसंधान योजनाएँ
  - उद्योगों द्वारा पहचान किये गए शोधकर्त्ता / संकाय के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से शोध कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिये।
  - उद्योगों के बेहतर संचालन के लिये शोध कार्य करने वाले छात्रों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाना चाहिये।
- आंतरिक औद्योगिक प्रशिक्षण
  - फार्मा उद्योग को, प्रशिक्षुओं को उस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षित करना चाहिये।
  - उपयोगकर्त्ता के अनुकूल नीतियों को अपनाने से लघु उद्योग स्थापित करने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में छात्रों और मध्यम वर्ग के व्यापार मालिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे फार्मासिस्टों के लिये बेरोज़गारी की समस्या को दूर करने और राष्ट्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी।
- विशेष फार्मा अनुसंधान केंद्रों की स्थापना
  - भारतीय शैक्षणिक संस्थान छात्रों के रचनात्मक विचारों से भरे हैं। भारतीय फार्मा उद्योग भविष्य में प्रगति के लिये इन रचनात्मक विचारों को अपना सकता है।
  - फार्मेसी छात्रों को डेटा व्याख्या और डेटा माइनिंग का अच्छा ज्ञान होने के साथ उपकरणों के संचालन में अत्यधिक जानकारी है। अत: इनका सहयोग उद्योगों में अनुसंधान के लिये किया अ सकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
  - उद्योग क्षेत्र और सरकार को नए फार्मूलों, दवाओं और उपचारों का आविष्कार, अनुसंधान और विकास करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठनों के साथ सहयोग करना चाहिये।

निष्कर्ष

देश के नागरिकों के लिये बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच के साथ ही विश्व के अन्य देशों में भी कम लागत में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में भारतीय दवा निर्माताओं की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। निश्चित रूप से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हेल्थ इम्पैक्ट फंड की निर्णायक भूमिका हो सकती है। हमें शोध व अनुसंधान के लिये बेहतर अवसंरचना का निर्माण करना होगा ताकि COVID-19 जैसे संचारी रोगों के प्रति सुरक्षात्मक रणनीतियों का निर्माण किया जा सके।

नोट :

भेदभाव के विरुद्ध कानून निर्माण की आवश्यकता

संदर्भ

पिछले कुछ दिनों में भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी भेदभाव की घटनाओं में वृद्धि हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड (George Floyd) की मृत्यु, वेस्टइंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर डेरेन सैमी (Darren Sammy) के द्वारा भारत में खेले जाने वाले आईपीएल मैचों के दौरान नस्लीय भेदभाव किये जाने का रहस्योद्घाटन और उत्तर भारत में दक्षिण व उत्तर-पश्चिम भारत के लोगों के साथ किये जाने वाला व्यवहार भेदभाव के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।

भारत में अस्पृश्यता की घटनाओं के समाधान के संदर्भ में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है, परंतु इस संदर्भ में व्यवस्थित रूप से विधि निर्माण की आवश्यकता है, जिसका भारत में अभाव है। स्वतंत्रता के बाद किसी भी प्रकार के भेदभाव से सामाजिक ताने-बाने को संरक्षण प्रदान करने के लिये भारत में समानता के अधिकार का नारा बुलंद किया गया। भारत में समानता के अधिकार को इतना महत्त्व देने का कारण यह था कि भारतीय जनमानस को इस बात का अहसास हो सके कि प्रत्येक व्यक्ति संविधान के सम्मुख एक समान है। भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने के लिये विधि बनाने की दिशा में प्रयास करते हुए लोकसभा सदस्य शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने वर्ष 2017 में एक निज़ी विधेयक (Private Member's Bill) सदन में प्रस्तुत किया।

इस आलेख में भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने के लिये समानता के अधिकार व उसके महत्त्व पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने के लिये इक्वलिटी बिल (Equality Bill) बनाने की आवश्यकता का विश्लेषण भी किया जाएगा।

समानता का अधिकार

- भारतीय संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक के उपबंध समानता के अधिकार के अधीन वर्णित किये गए हैं। समानता के अधिकार के अधीन वर्णित अनुच्छेद इस प्रकार हैं-
- अनुच्छेद 14: भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के सामान संरक्षण से वंचित करेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी सब पर यह अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त 'व्यक्ति' शब्द में सांविधानिक निगम, कंपनियाँ, पंजीकृत समितियाँ या किसी भी अन्य तरह के विधिक व्यक्ति सम्मिलित है।
- अनुच्छेद 15: इसमें यह व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में कहा गया कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर- (अ) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या (ब) पूर्णत: या अंशत: राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिये समर्पित कुंओं, तालाबों, स्नान घाटों, दायित्वों, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है, जबकि पहले प्रावधान में केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन था।
- अनुच्छेद 16: राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिये अवसर की समता होगी।
- अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है।
- अनुच्छेद 18: सभी प्रकार की उपाधियों का अंत (अपवादस्वरूप सेना और विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त)

भेदभाव का प्रमुख कारण

- भारत सहित किसी भी देश में होने वाले भेदभाव का प्रमुख कारण पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह का तात्पर्य किसी व्यक्ति में संचित उन भावनाओं से है जिसके कारण वह किसी व्यक्ति अथवा समूह के प्रति सकारात्मक व नकारात्मक रुझान रखता है। सामान्य रूप में सामाजिक विकास के दौरान व्यक्ति जिन परिस्थितियों में रहता है उनके आधार पर उसके मन में पूर्वाग्रह का निर्माण होता है।
- पूर्वाग्रह से प्रभावित व्यक्ति वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हुए विशेष समूह और लोगों के प्रति भेदभाव पूर्ण व्यवहार करने लगता है।

पूर्वाग्रह से उत्पन्न होने वाली समस्याएँ

- पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं से भेदभाव उनके मन में हीन भावना का संचार करता है। इससे महिलाएँ सामाजिक विकास में पीछे छूट जाती हैं और उनके प्रति यौन हिंसा, घरेलू हिंसा जैसे सामाजिक अपराध होते हैं।

नोट :

- उसी प्रकार नस्लीय भेदभाव का एक प्रमुख कारण पूर्वाग्रह है। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व जर्मनी में नाजियों द्वारा यहूदियों के नरसंहार तथा अमेरिका में अश्वेतों के प्रति बुरा व्यवहार के मूल में भी यह नस्लीय भेदभाव ही है।
- हमारे देश में जाति के आधार पर भेदभाव एक बड़ी समस्या रही है। जाति आधारित भेदभाव तथा शोषण के मूल में पूर्वाग्रह की मानसिकता ही कार्य करती है।
- उसी प्रकार सांप्रदायिकता की समस्या के मूल में भी दूसरे धर्म के लोगों के प्रति पूर्वाग्रह की भावना ही कार्य करती है।

भेदभाव के विरुद्ध भारत में मौज़ूदा कानून

- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955: इस कानून के माध्यम से किसी भी रूप में अस्पृश्यता अर्थात् छुआछूत का आचरण करने वाले को दंड देने का प्रावधान है। वर्ष 1955 मं् अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 बनाया गया था। यह अधिनियम 1 जून, 1955 से प्रभावी हुआ था, लेकिन अप्रैल 1965 में गठित इलायापेरूमल समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 1976 में इसमें व्यापक संशोधन किये गए तथा इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (Protection of Civil Rights Act, 1955) कर दिया गया था।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989): यह अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने, ऐसे अपराधों के अभियोजन के लिये विशेष न्यायालय बनाने तथा राहत देने और ऐसे अपराधों के शिकार लोगों के पुनर्वास के लिये प्रावधान करने वाला एक अधिनियम है।
- मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 (Maternity Benefit Act, 1961): यह अधिनियम मातृत्व के समय महिला के रोज़गार की रक्षा करता है और मातृत्व लाभ का हकदार बनाता है अर्थात अपने बच्चे की देखभाल के लिये पूरे भुगतान के साथ उसे काम से अनुपस्थित रहने की सुविधा देता है। यह अधिनियम 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोज़गार देने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। वर्ष 2017 में इस अधिनियम में संशोधन किये गए। इसके तहत कामकाजी महिलाओं को दो बच्चों के लिये मातृत्व लाभ की सुविधा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह और दो से अधिक बच्चों के लिये 12 सप्ताह कर दी गई है।
- कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 [Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013: संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अंतर्गत लिंग समानता की गारंटी में यौन उत्पीड़न से सुरक्षा और प्रतिष्ठा के साथ कार्य करने का अधिकार शामिल है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में एक नागरिक के रूप में समान, सुरक्षित और निरापद वातावरण में कोई भी व्यवसाय या कार्य अपनाने का संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किया गया है।

नए कानून की आवश्यकता क्यों?

- देश के हिंदी भाषी क्षेत्रों विशेषकर दिल्ली में पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के लिये अपमानजनक शब्दों का प्रयोग आम बात है। यह बात और भी गंभीर तब हो जाती है, जब ऐसा नस्लभेदी व्यवहार मिज़ोरम के पूर्व मुख्यमंत्री लाल थनहवला और असम से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज़ शिव थापा के साथ भी किया गया।
- दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश के छात्र नीडो तानिया की मृत्यु नस्लवाद की मानसिकता से ग्रस्त कुछ लोगों द्वारा की गई मार-पीट के कारण हो गई थी।
- गौर वर्ण को लेकर भी हमारे समाज में एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। अखबारों के वैवाहिक विज्ञापन केवल सुंदर गौर वर्ण कन्या की खोज करते दिखाई पड़ते हैं।
- टी.वी. पर सौन्दर्य प्रसाधन के विज्ञापन तो एक कदम और आगे हैं। इन्होंने गोरे रंग को सीधे सफलता से जोड़ दिया है। इनके विज्ञापनों में सांवले रंग वाली युवती जैसे ही इनका उत्पाद इस्तेमाल करती है, अगले ही दृश्य में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करती दिखाई पड़ती है।
- बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मुंबई में किया जाने वाला व्यवहार हो या संता-बंता के नाम पर सरदारों पर बनने वाले जोक्स हों, सभी में न्यूनाधिक नस्लभेद वाली मानसिकता शामिल है।

नोट :

निष्कर्ष

भारत महात्मा गांधी का देश है, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग के आधार पर हुए अपमान के कारण नस्लीय घृणा के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा था। भारत में द्रविड़, मंगोल, आर्य आदि नस्लों के लोग सदियों से साथ रहते आए हैं। रंग, क्षेत्र, नस्ल, वेशभूषा आदि के आधार पर होने वाला भेदभाव भारत की अनेकता में एकता की भावना को कलंकित करता है। यह संविधान में निहित समानता की भावना पर आघात पहुँचाता है। ऐसी स्थिति में भारत को भेदभाव के विरुद्ध व्यापक कार्ययोजना बनाने और इक्वलिटी बिल को संसद से पारित कराने की आवश्यकता है जो भेदभाव के किसी भी रूप का समाधान करने में सक्षम हो सके।

डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र: चुनौतियाँ व संभावनाएँ

संदर्भ

भारत 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' के विचार को बढ़ावा दे रहा है। इस विचार के विकास में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की प्रभावी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में कुछ दिन पूर्व ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics of Information Technology-MeITY) ने राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र (National Open Digital Ecosystem-NODE) के लिये रणनीति बनाने पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। जिसे Gov Tech 3.0 नाम दिया गया है। यह राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर केंद्रित है। राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी या GovTech 3.0 को खुले और सुरक्षित वितरण प्लेटफार्मों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे पारदर्शी शासन तंत्र द्वारा निर्देशित किया जाएगा। यह सामाजिक परिणामों में परिवर्तन करने के लिये नागरिकों, व्यवसायों और सरकार के बीच प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने में सहायता करेगा।

Gov Tech 3.0 के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं- (i) पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं जैसे आधार और GST नेटवर्क, (ii) डेटा गोपनीयता, सुरक्षा और डोमेन-विशिष्ट नीतियों और मानकों के संबंध में बुनियादी ढाँचे को नियंत्रित करने के कानून, और (iii) इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लाभप्रद बनाना ताकि सभी के लिये यह महत्त्वपूर्ण साबित हो।

वस्तुत: मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी संचार के विभिन्न पहलूओं में समन्वय करती है परंतु डिजिटल नेटवर्क से संबंधित कई अंतर्निहित चुनौतियाँ हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र

- यह डिजिटल प्रशासन को सक्षम करने के लिये एक राष्ट्रीय रणनीति है, जिसका उद्देश्य नागरिकों, व्यवसायों और सरकार के बीच प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाकर सामाजिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाना है।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत ई-ट्रांसपोर्ट मिशन मोड परियोजना राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी का एक बेहतर उदाहरण है।
- इस परियोजना में दो एप्लिकेशन शामिल हैं- वाहन और सारथी जो क्रमश: वाहन पंजीकरण और ड्राइवर लाइसेंस संचालन को स्वचालित करते हैं। इस डिजिटल डेटा की उपलब्धता इस प्लेटफॉर्म को नागरिकों, ऑटोमोबाइल डीलरों, बीमा कंपनियों और सुरक्षा एजेंसियों सहित विभिन्न संस्थाओं को सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाती है।
- यह भुगतान गेटवे और डिजि-लॉकर जैसे बाहरी अनुप्रयोगों के साथ इंटर-ऑपरेबिलिटी भी प्रदान करता है।

शासन में प्रौद्योगिकी का उपयोग

- Gov Tech 1.0 आयकर प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने जैसी मैनुअल प्रक्रियाओं के 'कम्प्यूटरीकरण' का युग था।
- Gov Tech 2.0 तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करते हुए एंड-टू-एंड प्रक्रियाओं को डिजिटाइज़ करता था, जैसे- सरकार की 'ई-ऑफिस' फ़ाइल प्रबंधन प्रणाली।
- Gov Tech 3.0 मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र पर केंद्रित है। यह सरकार को 'डिजिटल कॉमन्स' बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
  - यह डिजिटल अवसंरचना बनाकर सरकार को सुविधाओं का आपूर्तिकर्ता बनाने की परिकल्पना करता है, जिस पर इनोवेटर्स जनता की भलाई के लिये सहयोग कर सकते हैं। उदाहरण- सार्वजनिक व निज़ी भागीदारी के माध्यम से तैयार किया गया

नोट :

डिजिटल नवाचार का केंद्र बन रहा भारत

- डिजिटल इंडिया देश में डिजिटल तरीके से सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक डिजिटल आधारभूत ढाँचा खड़ा करते हुए डिजिटल सशक्तीकरण का माध्यम बन रहा है।
- एक ऐसे विश्व में जहाँ अब भौगोलिक दूरियाँ, बेहतर भविष्य के निर्माण में बाधा के रूप में नहीं रह गई है, भारत हर क्षेत्र में डिजिटल नवाचार का सशक्त केंद्र बन चुका है।
- ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े एक लाख से अधिक गाँव, 121 करोड़ मोबाइल फोन, लगभग 122 करोड़ आधार और 50 करोड़ इंटरनेट सेवा का उपयोग करने वाले लोगों के साथ भारत अब दुनिया में प्रौद्योगिकी के साथ सहजता से जुड़ी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है।

Gov Tech 3.0 से लाभ

- सरकारी सेवाओं का एकीकरण: Gov Tech 3.0 के माध्यम से सभी सेवाओं का एकीकरण कर जनता को ऑनलाइन सेवाओं का मंच उपलब्ध कराया जाएगा।
  - इसे उमंग एप के प्रयोग के माध्यम से समझ सकते हैं, जहाँ अधिकाँश सरकारी सेवाएँ व योजनाएँ एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।
  - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत ई-ट्रांसपोर्ट मिशन मोड परियोजना भी सरकारी सेवाओं के एकीकरण का उदाहरण हैं।

सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा

- इसके माध्यम से सभी लोगों को आसान एवं सिंगल विंडो एक्सेस उपलब्ध कराने के लिये विभागों और सभी ज़िला मुख्यालयों का समेकन किया गया है।
- सभी सरकारी कागज़ात/प्रमाणपत्र क्लाउड पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- प्रत्येक नागरिक को अनोखी, आजीवन, ऑनलाइन और प्रमाणन योग्य डिजिटल पहचान प्रदान की जाएगी।
- मोबाइल फोन तथा बैंक एकाउंट को आपस में जोड़कर व्यक्तिगत स्तर पर डिजिटल और वित्तीय रूप से प्रत्येक व्यक्ति को समर्थ बनाया जाएगा।
- शिक्षकों के लिये नेशनल डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर DIKSHA शिक्षा सुधारों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- इसी प्रकार कृषि के लिये एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जाना है, जिसे एक अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा डिज़ाइन किया जा रहा है।

अर्थव्यवस्था और डिजिटल भारत

- भारत को पाँच ट्रिलियन डॉलर वाली डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिये इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डाटा संरक्षण नीति में बदलाव सहित कई अन्य नीतियाँ शुरू की जा रही हैं।
- विमुद्रीकरण के बाद से ही सरकार द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में देश में डिजिटल इंडिया, ई-गवर्नेंस जैसे मिशनों को तेज़ी से लागू किया जा रहा है।
- इस लक्ष्य को वित्त वर्ष 2024-25 तक हासिल करने के लिये कार्ययोजना बनाई गई है।

डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में चुनौतियाँ

- आवश्यक संरचना का अभाव: एसोचैम और डेलाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार नीतियों में अस्पष्टता व ढाँचागत कठिनाइयों के चलते महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी परियोजना के सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के मामले में अनेक चुनौतियाँ हैं। इसके अलावा बार-बार नेटवर्क कनेक्टिविटी टूट जाना या फिर सर्वर का ठप हो जाना भी कठिनाई पैदा करता है।
- डिजिटल डिवाइड: डिजिटल पारिस्थितिकी के विकास के लिये सुदूर गाँवों में भी पर्याप्त कनेक्टिविटी उपलब्ध कराकर डिजिटल डिवाइड को खत्म करने की ज़रूरत है। देश में अब भी 50 हज़ार से अधिक गाँव ऐसे हैं, जहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- साइबर सुरक्षा का मुद्दा: भारत का मौज़ूदा सूचना प्रौद्योगिकी कानून साइबर अपराधों को रोकने के लिहाज़ से बहुत प्रभावी नहीं है। एटीएम कार्ड की क्लोनिंग के अलावा, बैंक अकाउंट का हैक हो जाना, डेटा और गोपनीय जानकारी हैकर्स तक पहुँच जाने की शिकायतें समय-समय पर सामने आती रहती हैं। ऐसे में जब तक साइबर अपराधों को लेकर कानून में कठोर प्रावधान नहीं होंगे, तब तक डिजिटल पारिस्थितिकी को वह रफ्तार नहीं मिल पाएगी, जो अपेक्षित है।

नोट :

- असमानताओं में वृद्धि: सेवाओं के डिजिटल प्रावधान में सफलता कई अंतर्निहित कारकों पर निर्भर है, जिसमें डिजिटल साक्षरता, शिक्षा और स्थिर और तेज़ दूरसंचार सेवाओं तक पहुँच शामिल है। इन मुद्दों का समाधान किये बिना सेवाओं के बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण के परिणामस्वरूप मौजूदा असमानताओं में वृद्धि हो सकती है।
- डेटा की सुरक्षा का मुद्दा: यह सवाल बार-बार उठता है कि क्या इंटरनेट पर हमारी जानकारी और पहचान सुरक्षित है? देश के मौजूदा कानून के मुताबिक सभी सर्विस प्रोवाइडरों को अपने इंटरनेट और मोबाइल ग्राहकों की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को देनी होती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (आईएसपी) स्वयं को केवल इंटरनेट ग्राहक तक पहुँचाने का हाईवे मानते हैं। उनका कहना है कि इंटरनेट यूज़र के मेल या सोशल नेटवर्किंग साइट पर दी जानकारी केवल विदेशी कंपनियों के सर्वर में होती है और भारत में उसे डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता।

समाधान

- डिजिटल पारिस्थितिकी के निर्माण में सुरक्षित डेटाबेस डिज़ाइन करना महत्त्वपूर्ण है। इसलिये यह आवश्यक है कि GovTech 3.0 को नियंत्रित करने वाले नियम व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 के प्रावधानों को ध्यान में रखें।
- डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान चला रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य समस्त राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में प्रत्येक उपयुक्त परिवारों के एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर कर 40 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को इस योजना से जोड़ना है।
- भारतनेट परियोजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों को 100 Mbps की स्पीड पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। यह विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल कनेक्टिविटी परियोजना है और अनेक आयामों में विशिष्ट है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय और गुणवत्तायुक्त ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी।
- डिजिटल पारिस्थितिकी के निर्माण के लिये सरकार ब्रॉडबैंड हाईवे, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस जैसे कार्यक्रम लागू कर रही है।

आगे की राह

- डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य, मूल्य और विश्वास के मानकों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिये।
- जिन अदृश्य नियमों को 'तकनीक' के नाम पर कोडित किया गया है, उन्हें विचारशील डिज़ाइन सिद्धांतों, कानून, शासन, अवसंरचना और सार्वजनिक जुड़ाव के माध्यम से पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है।
- यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि GovTech 3.0 नागरिक-केंद्रित हो और विकास की मुख्य धारा में अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक समावेशी सेवाओं की पहुँच उपलब्ध कराता है।

दल-बदल विरोधी कानून: चुनौतियाँ और समाधान

संदर्भ

हाल ही में मणिपुर में सत्ताधारी गठबंधन सरकार गहरे राजनीतिक संकट में फँस गई है। इस राजनीतिक संकट के साथ ही दल-बदल विरोधी कानून की प्रासंगिकता पर भी प्रश्नचिह्न लगता दिखाई दे रहा है। बीते दिनों मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कॉंग्रेस के टिकट पर निर्वाचित एक सदस्य को अयोग्य करार दिया गया है, जिससे दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection law) राजनीतिक पटल के विमर्श के केंद्र में आ गया है। चुनावी लोकतंत्र का यह घटनाक्रम स्पष्ट तौर पर दल-बदल विरोधी कानून में बदलाव की ओर इशारा करता है, क्योंकि इस घटनाक्रम ने चुनावी दलों के समक्ष दल-बदल विरोधी कानून के दुरुपयोग का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और संभव है कि ऐसी घटनाएँ भविष्य में भी देखने को मिलें। मणिपुर में दलबदल की यह राजनीति अनोखी नहीं है, इससे पूर्व कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य भी दल-बदल विरोधी कानून के प्रत्यक्षदर्शी रह चुके हैं।

इस आलेख में दल-बदल विरोधी कानून, इसकी आवश्यकता, कानून के अपवाद, दल-बदल विरोधी कानून की समस्याएँ तथा इसकी प्रासंगिकता के पक्ष व विपक्ष में प्रस्तुत तर्कों का परीक्षण किया जाएगा।

दल-बदल विरोधी कानून से तात्पर्य

- वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में 'दल-बदल विरोधी कानून' पारित किया गया। साथ ही संविधान की दसवीं अनुसूची जिसमें दल-बदल विरोधी कानून शामिल है को संशोधन के माध्यम से भारतीय से संविधान जोड़ा गया।

नोट :

- इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में 'दल-बदल' की कुप्रथा को समाप्त करना था, जो कि 1970 के दशक से पूर्व भारतीय राजनीति में काफी प्रचलित थी।

अयोग्यता संबंधी प्रावधान

- एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है।
- कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
- किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है।
- कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है।
- छह महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।

दल-बदल विरोधी कानून की आवश्यकता

- लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल काफी अहम भूमिका अदा करते हैं और सैद्धांतिक तौर पर राजनीतिक दलों की महत्त्वपूर्ण भूमिका यह है कि वे सामूहिक रूप से लोकतांत्रिक फैसला लेते हैं।
- हालाँकि आज़ादी के कुछ ही वर्षों के भीतर यह महसूस किया जाने लगा कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने सामूहिक जनादेश की अनदेखी की जाने लगी है। विधायकों और सांसदों के जोड़-तोड़ से सरकारें बनने और गिरने लगीं।
- 1960-70 के दशक में 'आया राम गया राम' की राजनीति देश में काफी प्रचलित हो चली थी। दरअसल अक्तूबर 1967 को हरियाणा के एक विधायक गया लाल ने 15 दिनों के भीतर 3 बार दल-बदलकर इस मुद्दे को राजनीतिक मुख्यधारा में ला खड़ा किया था।
- इसी के साथ जल्द ही दलों को मिले जनादेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोकने तथा अयोग्य घोषित करने की ज़रूरत महसूस होने लगी।
- अंतत: वर्ष 1985 में संविधान संशोधन के ज़रिये दल-बदल विरोधी कानून लाया गया।

दल-बदल कानून के अपवाद

- कानून में कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें दल-बदल पर भी अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकेगा। दल-बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है बशर्ते कि उसके कम-से-कम दो-तिहाई विधायक विलय के पक्ष में हों।
- ऐसे में न तो दल-बदल रहे सदस्यों पर कानून लागू होगा और न ही राजनीतिक दल पर। इसके अलावा सदन का अध्यक्ष बनने वाले सदस्य को इस कानून से छूट प्राप्त है।

अपवाद के प्रभाव

- दल-बदल विरोधी कानून एक उचित सुधार था लेकिन इसके अपवादों ने इस कानून की मारक क्षमता को कम कर दिया। जो दल-बदल पहले एकल होता था अब सामूहिक तौर पर होने लगा।
- अत: वर्ष 2003 को संसद को 91वां संविधान संशोधन करना पड़ा, जिसमें व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सामूहिक दल-बदल को भी असंवैधानिक करार दिया गया।

91वां संविधान संशोधन अधिनियम,2003

- इस संशोधन के तहत मंत्रिमंडल का आकार भी 15 फीसदी सीमित कर दिया गया। हालाँकि, किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी।
- इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची की धारा 3 को खत्म कर दिया गया, जिसमें प्रावधान था कि एक-तिहाई सदस्य एक साथ दल-बदल कर सकते थे।

अयोग्य घोषित करने की शक्ति

- कानून के अनुसार, सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य करार देने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति है।

नोट :

किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (Kihoto Hollohan vs Zachillhu)

- वर्ष 1993 के किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं होगा। विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है।
- न्यायालय ने माना कि दसवीं अनुसूची के प्रावधान संसद और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं करते हैं। साथ ही ये संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत किसी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन भी नहीं करते।
- विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय दुर्भावना, दुराग्रह, संवैधानिक जनादेश और प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध पाए जाने की स्थिति में न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- प्रतिनिधि लोकतंत्र की भावना के खिलाफ: दल-बदल विरोधी कानून यह सुनिश्चित करता है कि विधान मंडल सदस्यों के द्वारा किये जाने वाले दल-बदल पर रोक लगाकर एक स्थिर सरकार प्रदान की जाए।
  - हालाँकि, यह कानून विधान मंडल सदस्यों को उनके मतदाताओं के हितों के अनुरूप स्वविवेक के आधार पर मतदान करने से प्रतिबंधित करता है।
- सरकार पर विधायी नियंत्रण को कमज़ोर करता है: दल-बदल विरोधी कानून सरकार पर विधायिका के नियंत्रण को कमज़ोर करता है क्योंकि यह विधान मंडल सदस्यों को राजनीतिक दल के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिये गए निर्णयों के आधार पर मतदान करने के लिये बाध्य करता है।
  - दल-बदल विरोधी कानून वास्तव में, कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण को कम करता है और कार्यपालिका के हाथों में शक्ति को केंद्रीकृत करता है।
- सदन के पीठासीन अधिकारी की भूमिका: दल-बदल विरोधी कानून के अनुसार, सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य करार देने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति है।
  - हालाँकि, ऐसे कई उदाहरण हैं जब पीठासीन अधिकारी सत्ताधारी राजनीतिक दल के निहित स्वार्थों की पूर्ति करने वाले अभिकर्त्ता की भूमिका निभाने लगते हैं।

दल-बदल विरोधी कानून के पक्ष में तर्क

- दल-बदल विरोधी कानून ने राजनीतिक दल के सदस्यों को दल बदलने से रोक कर सरकार को स्थिरता प्रदान करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वर्ष 1985 से पूर्व कई बार यह देखा गया कि राजनेता अपने लाभ के लिये सत्ताधारी दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल होकर सरकार बना लेते थे जिसके कारण जल्द ही सरकार गिरने की संभावना बनी रहती थी। ऐसी स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव आम लोगों हेतु बनाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ता था। दल-बदल विरोधी कानून ने सत्ताधारी राजनीतिक दल को अपनी सत्ता की स्थिरता के बजाय विकास संबंधी अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिये प्रेरित किया है।
- कानून के प्रावधानों ने धन या पद लोलुपता के कारण की जाने वाली अवसरवादी राजनीति पर रोक लगाने और अनियमित चुनाव के कारण होने वाले व्यय को नियंत्रित करने में भी मदद की है।
- साथ ही इस कानून ने राजनीतिक दलों की प्रभावकारिता में वृद्धि की है और प्रतिनिधि केंद्रित व्यवस्था को कमज़ोर किया है।

विपक्ष में तर्क

- लोकतंत्र में संवाद की संस्कृति का अत्यंत महत्त्व है, परंतु दल-बदल विरोधी कानून की वज़ह से पार्टी लाइन से अलग किंतु महत्त्वपूर्ण विचारों को नहीं सुना जाता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि इसके कारण अंतर-दलीय लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ता है और दल से जुड़े सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है।
- जनता का, जनता के लिये और जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, उसकी अनुमति से शासन होता है, उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। परंतु यह कानून जनता का नहीं बल्कि दलों के शासन की व्यवस्था अर्थात् 'पार्टी राज' को बढ़ावा देता है।
- कई विशेषज्ञ यह भी तर्क देते हैं कि दुनिया के कई परिपक्व लोकतंत्रों में दल-बदल विरोधी कानून जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। उदाहरण के लिये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशों में यदि जन-प्रतिनिधि अपने दलों के विपरीत मत रखते हैं या पार्टी लाइन से अलग जाकर वोट करते हैं, तो भी वे उसी पार्टी में बने रहते हैं।

नोट :

आगे की राह

- दल-बदल विरोधी कानून को भारत की नैतिक राजनीति में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जाता है। इसी कानून ने देश में 'आया राम, गया राम' की राजनीति को समाप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हालाँकि विगत कुछ वर्षों से देश की राजनीति में इस कानून के अस्तित्व को कई बार चुनौती दी जा चुकी है।
- दल-बदल विरोधी कानून में संशोधन कर उसके उल्लंघन पर अयोग्यता की अवधि को 6 साल या उससे अधिक किया जाना चाहिये, ताकि कानून को लेकर नेताओं के मन में डर बना रहे।
- दल-बदल विरोधी कानून संसदीय प्रणाली में अनुशासन और सुशासन सुनिश्चित करने में अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, लेकिन इसे परिष्कृत किये जाने की ज़रूरत है, ताकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे बेहतर लोकतंत्र भी साबित हो सके।
- 170 वें विधी आयोग की रिपोर्ट ने यह तर्क देते हुए अंतर-दलीय लोकतंत्र (Intra-Party Democracy) के महत्त्व को रेखांकित किया कि एक राजनीतिक पार्टी आंतरिक रूप से अपने कामकाज में तानाशाही और लोकतांत्रिक नहीं हो सकती है।

ग्रामीण केंद्रित विकास अवधारणा की आवश्यकता

संदर्भ

पिछले एक दशक में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन तेज़ी से हुआ है। इस तथ्य में किसी भी प्रकार की शंका नहीं है, परंतु एक सत्य यह भी है कि वैश्विक महामारी COVID-19 के दौरान भारत में रिवर्स माइग्रेशन (महानगरों और शहरों से कस्बों तथा गाँवों की ओर होने वाला प्रवासन) भी व्यापक पैमाने पर हुआ है। भारत में चार श्रमिकों में से अनिवार्य रूप से एक प्रवासी है। प्रवासी श्रमिकों की संख्या में प्रमाणिक आँकड़ों की कमी, उनके रहने और काम करने की स्थिति और आजीविका की संभावनाओं में स्थाई अनिश्चितता को इस महामारी ने विमर्श के केंद्र में ला दिया है। ग्रामीण विकास को गति देने के लिये बेहतर बुनियादी ढाँचे के विकास की आवश्यकता है।

बुनियादी ढाँचा किसी भी देश की प्रगति और आर्थिक विकास के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है और किसी राष्ट्र की प्रगति की परख उसके बुनियादी ढाँचे की गुणवत्ता से होती है। बुनियादी ढाँचा निजी और सार्वजनिक, भौतिक और सेवाओं संबंधी और सामाजिक व आर्थिक किसी भी तरह का हो सकता है। आर्थिक बुनियादी ढाँचे के अंतर्गत परिवहन, संचार, बिजली, सिंचाई और इसी तरह की अन्य सुविधाएँ शामिल हैं। जबकि सामाजिक अवसंरचना के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, आवास आदि आते हैं।

इन क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ बुनियादी ढाँचे के विकास से निवेश दक्षता में वृद्धि होती है, विनिर्माण में प्रतिस्पर्धात्मकता आती है और निर्यात, रोज़गार, शहरी व ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है तथा ग्रामीण विकास व जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ देश को अनेक लाभ मिलते हैं।

पृष्ठभूमि

- वस्तुत: आत्मनिर्भर भारत का मार्ग आत्मनिर्भर ग्राम की संकल्पना से होकर निकलता है। पूर्व में आत्मनिर्भर ग्राम का सिद्धांत ही भारत को सोने की चिड़िया कहलाने का मुख्य कारण था। परंतु उपनिवेशवादी नीति ने आत्मनिर्भर ग्राम की संकल्पना को तहस-नहस कर दिया।
- कालांतर में कृषि लाभ के निरंतर घटने, शहरों में बेहतर रोज़गार की व्यवस्था, आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता, आधुनिक सुख-सुविधाओं की कमी ने गाँवों को भारतीय आवास के केंद्र से हटा कर परिधि पर ला दिया।

आत्मनिर्भर ग्राम की संकल्पना

- ग्रामीण स्तर पर आत्मनिर्भर विकास की आकांक्षा स्वराज के गाँधीवादी मॉडल से शुरू हुई।
- दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी ने चंपारण (1917), सेवाग्राम (1920) और वर्धा (1938) में गाँव के आंदोलनों में स्वयं को व्यस्त कर दिया। उन्होंने रचनात्मक कार्यों के एक व्यापक कार्यक्रम की कल्पना की, जिसमें आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक समानता और ग्रामीण स्तर पर एक विकेंद्रीकृत राजनीतिक प्रणाली शामिल थी।
- गांधी के लिये, आत्मनिर्भर गाँवों का मॉडल एक स्वतंत्र लोकतंत्र का आधार था।

नोट :

आत्मनिर्भर ग्राम की संकल्पना में गिरावट के कारण

- मूलभूत सुविधाओं का अभाव: एक विचार जिसे एकेडेमिक समर्थन भी हासिल था कि ग्रामीण लोगों को पानी, बिजली और रोज़गार जैसी बुनियादी सुविधाएँ मुहैया कराना आसान हो जाता है, अगर वे किसी शहर में चले जाएँ। उस समय इस तरह की सोच को बौद्धिक लोगों ने भी समर्थन हासिल था। एक इस तथ्यात्मक तर्क के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में प्रवास को प्रोत्साहित किया गया।
- रोज़गार का अभाव: ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों का सिल-सिलेवार अध्ययन कर विभिन्न अर्थशास्त्रियों व समाजशास्त्रियों ने यह बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य संसाधन अब युवाओं को आकर्षित नहीं कर पा रहा था।
  - अब ग्रामीण युवा भी शिक्षित हो चुके थे और बेहतर रोज़गार की तलाश में शहरों का रुख कर रहे थे।
- आधुनिकीकरण: आधुनिकीकरण सामाजिक सिद्धांत का एक प्रमुख प्रतिमान था जिसमें महानगरों में विशाल झुग्गियों का विकास हुआ और उसी के समानांतर गाँवों में कामकाजी उम्र के लोगों की कमी में समानुपात देखा गया।
- नीतियों का अभाव: विकास की आधुनिक अवधारणा में गाँवों में कोई विशेष सार्वजनिक निवेश नहीं किया जा सका। यहाँ तक कि चिकित्सा शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण का तेजी से निजीकरण हो गया, गाँवों में काम करने के इच्छुक योग्य डॉक्टरों और शिक्षकों की उपलब्धता घट गई। जिसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को कमज़ोर कर दिया।

ग्रामीण केंद्रित विकास के मानक

- सड़कों का बुनियादी ढाँचा: सड़क प्रणाली देश की अर्थव्यवस्था की धुरी है और विकास के केंद्र के रूप में कार्य करती है। इसके जरिए माल और कृषि पदार्थों का ढुलाई, पर्यटन और संपर्क जैसे कई महत्त्वपूर्ण कार्य संपन्न होते हैं। देश में सभी मौसमों में चालू रहने वाले मज़बूत सड़क नेटवर्क को बढ़ावा देने से तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ-साथ, व्यापार के सुचारू रूप से संचालन तथा देश भर के बाजारों के समन्वयन में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (Prime Minister Gram Sadak Yojana) का मूल उद्देश्य देश के ऐसे गाँवों को सड़क संपर्क से जोड़ना है जो अब तक अलग-थलग पड़े हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार, PMGSY ने अपना 85 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब तक, 668,455 किमी. सड़क की लंबाई स्वीकृत की गई है, जिसमें से 581,417 किमी. पूरी हो चुकी थी।
- संचार अवसंरचना: ई-गवर्नेंस, बैंकों, वित्तीय सेवाओं, व्यापार, शिक्षा स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स, परिवहन और नागरिक सेवाओं के क्षेत्र में नकदी विहीन लेन-देन में विकास से दूरसंचार क्षेत्र में जबर्दस्त तेजी आई है। दूरसंचार क्षेत्र में प्रगति से स्टार्टअप इंडिया, स्टैण्डअप इंडिया जैसी पहल के जरिए नव सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा मिला है। आज करीब 1.5 लाख ग्राम पंचायतें इंटरनेट और वाई-फाई हॉटस्पॉट तथा कम लागत पर डिजिटल सेवाओं तक पहुँच बनाने के लिये डिजिटल इंडिया और भारत नेट परियोजनाओं के तहत ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ी जा रही हैं। इसके अलावा वित्तीय सेवाओं, टेली-मेडिसिन, शिक्षा, ई-गवर्नेंस, ई-मार्केटिंग और कौशल विकास को मंच प्रदान करने के लिये डिजी-गाँव की योजना बनाई गई है।
- रोज़गार प्रबंधन: दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मज़दूरी के बराबर या उससे अधिक मासिक मज़दूरी प्रदान करने का लक्ष्य रखता है।
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम अर्थात् मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 को नरेगा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2010 में नरेगा (NREGA) का नाम बदलकर मनरेगा (MGNREGA) कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के प्रयासों के कारण ही मनरेगा के तहत वर्ष 2018-19 में 69,809 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड खर्च किया गया, जो कि इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद सबसे अधिक है।
- आवास अवसंरचना: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (Prime Minister Avas Yojana-Grameen) को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करके आवास इकाइयों के निर्माण और मौजूदा गैर-लाभकारी कच्चे घरों के उन्नयन में गरीबी रेखा (BPL) से नीचे के ग्रामीण लोगों की मदद करना है। रिपोर्ट के अनुसार, PMAY-G के तहत लक्षित एक करोड़ घरों में से करीब 7.47 लाख घरों का निर्माण पूरा होना अभी शेष है। इसमें से अधिकतर घर बिहार (26 प्रतिशत), ओडिशा (15.2 प्रतिशत), तमिलनाडु (8.7 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (आठ प्रतिशत) में हैं।

नोट :

- स्वच्छ भारत अभियान: वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया स्वच्छ भारत अभियान लोगों में स्वच्छता, आरोग्य और स्वास्थ्य के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिये एक क्रांतिकारी पहल है। इसमें शानदार प्रगति हुई है। वर्ष 2018-19 तक देश भर के 85 प्रतिशत इलाके को इसके दायरे में लिया जा चुका था और 391 जिलों के 3.8 लाख गाँवों को खुले में शौच की बुराई से छुटकारा दिलाया जा चुका था। स्वच्छ भारत ग्रामीण अभियान के तहत 2018 तक 7.4 करोड़ अधिक निजी घरेलू शौचालय बनाए जा चुके थे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिसंबर 2018 तक शौचालयों के निर्माण का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया है। लोग इस कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने घर में निजी शौचालयों का निर्माण कर रहे हैं। लोगों की मानसिकता में बदलाव आने और शौचालयों की सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ने से लोग कूड़े-कचरे के निपटान के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने लगे हैं।

ग्रामीण विकास में 'पुरा' की अवधारणा

- गाँवों के विकास के लिये पूर्व राष्ट्रपति स्व. डॉ.अब्दुल कलाम ने 'पुरा'(providing urban amenities of rural areas) का विचार प्रस्तुत किया जिसके तहत 4 प्रकार की ग्रामीण-शहरी कनेक्टिविटी की बात की गई थी- फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक, नॉलेज तथा इकोनॉमिक कनेक्टिविटी।
- पुरा का लक्ष्य सभी को आय और आजीविका के अवसरों की गुणवत्ता प्रदान करना था।
- इसके द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से प्रति यूनिट 130 करोड़ रुपये की लागत से 7,000 PURA परिसरों की कल्पना की गई थी।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

- 'पुरा' के अंतर्गत विनिर्धारित सफलता न प्राप्त कर पाने और गाँव-शहर के बीच अंतर पाटने की आवश्यकता के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा बजट 2014-2015 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का प्रस्ताव रखा गया। सितंबर 2015 को ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढाँचे के विकास को प्राथमिकता प्रदान करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मिशन को मंजूरी प्रदान की।
- इसके तहत, अगले तीन वर्षों में 300 क्लस्टर्स विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये क्लस्टर्स भौगोलिक रूप से नजदीक कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनाए जाएंगे।
- इन क्लस्टर्स के चयन के लिये ग्रामीण विकास मंत्रालय एक वैज्ञानिक प्रक्रिया तैयार करेगा, जिसके तहत जिला, उप-जिला एवं गाँव के स्तर तक विभिन्न पहलुओं, जैसे- जनसंख्या, आर्थिक संभावनाओं, क्षमताओं, पर्यटन इत्यादि का विश्लेषण किया जाएगा।

निष्कर्ष

भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति काफी चिंताजनक है। ऐसे में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का महत्त्व काफी बढ़ जाता है। अभी भी स्वच्छ प्रकृति, सामाजिक सदभाव, कम व्यय क्षमता के कारण गाँवों की प्रासंगिकता बरकरार है। यदि सरकार द्वारा मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति की जाए तो ग्रामसभाएँ आज शहरों की अपेक्षा अधिक प्रासंगिक होंगी।

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

यूनिवर्सल बेसिक इनकम: समय की मांग

संदर्भ

कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु जारी लॉकडाउन के कारण देश के भीतर सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ ठप्प हैं। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है। देश में व्यापक पैमाने पर रोज़गार समाप्त हो गए हैं, इस संकट की घड़ी में स्वास्थ्य के साथ ही लोगों की आजीविका भी खतरे में है। इस समय छोटे व्यवसाय या कंपनियों ने ही नहीं बल्कि कई बड़ी बहु-राष्ट्रीय कंपनियों ने भी अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर दी है या फिर बड़े पैमाने पर छंटनी कर रह हैं।

इस प्रकार की विषम परिस्थिति में सरकार के समक्ष स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखने की चुनौती है। ऐसे में कई अर्थशास्त्रियों ने लोगों के आर्थिक संव्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार को यूनिवर्सल बेसिक इनकम की योजना पर विचार करने का सुझाव दिया है। वर्तमान में वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण विश्व के कई देशों में इमरजेंसी बेसिक इनकम (Emergency Basic Income) तथा यूनिवर्सल बेसिक इनकम (Universal Basic Income) को शुरू किया गया है। जापान ने प्रत्येक व्यक्ति को एक लाख येन देने का निर्णय किया है तो वहीं कनाडा ने प्रत्येक व्यक्ति को 2500 डॉलर प्रति माह देने का निर्णय किया है।

इस आलेख में यूनिवर्सल बेसिक इनकम, उसके लाभ, विशेषताएँ, उससे जुड़ी चिंताओं पर चर्चा करने के साथ ही यूनिवर्सल बेसिक इनकम और आपातकालीन बेसिक इनकम के बीच अंतर को समझने का भी प्रयास किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

- प्रत्येक व्यक्ति को जीवन यापन के लिये न्यूनतम आय की गारंटी मिलनी चाहिये, यह कोई नया विचार नहीं है। 'थॉमस मूर' नाम के एक अमेरिकी क्रांतिकारी दार्शनिक ने हर किसी के लिये एक समान आय की मांग की थी। वह चाहते थे कि एक ऐसा 'राष्ट्रीय कोष' हो जिसके माध्यम से हर वयस्क को एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाए। 'बर्ट्रेंड रसेल' ने 'सोशल क्रेडिट' आंदोलन चलाया जिसमें सबके लिये एक निश्चित आय की बात की गई थी।
- भारत में यह अवधारणा चर्चा में इसलिये रही क्योंकि वर्ष 2016-17 के भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में UBI को एक अध्याय के रूप में शामिल कर इसके विविध पक्षों पर चर्चा की गई है।
- गौरतलब है कि आर्थिक सर्वेक्षण में UBI योजना को गरीबी कम करने के लिये एक संभावित विकल्प बताया गया था।

यूनिवर्सल बेसिक इनकम

- यूनिवर्सल बेसिक इनकम देश के प्रत्येक नागरिक को दिया जाने वाला एक आवधिक (Periodic), बिना शर्त नकद हस्तांतरण है। इसके लिये व्यक्ति के सामाजिक या आर्थिक स्थिति पर विचार नहीं किया जाता है।
- यूनिवर्सल बेसिक इनकम अवधारणा की दो मुख्य विशेषताएँ हैं-
  - UBI अपनी प्रकृति में सार्वभौमिक (Universal) है, अर्थात् यह लक्षित (Targeted) नहीं है।
  - यह बिना शर्त नकद ट्रांसफर है। अर्थात् किसी भी व्यक्ति को UBI हेतु पात्र होने के लिये बेरोज़गारी की स्थिति या सामाजिक-आर्थिक पहचान को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।
- UBI एक न्यूनतम आधारभूत आय की गारंटी है जो प्रत्येक नागरिक को बिना किसी न्यूनतम अर्हता के आजीविका के लिये हर माह सरकार द्वारा दी जाएगी।
- इसके लिये व्यक्ति को केवल भारत का नागरिक होना ज़रूरी होगा।

नोट :

क्या है इमरजेंसी बेसिक इनकम ?

- इमरजेंसी बेसिक इनकम एक निर्धारित समय तक देश के प्रत्येक नागरिक को दिया जाने वाला बिना शर्त नकद हस्तांतरण है। इसके लिये व्यक्ति के सामाजिक या आर्थिक स्थिति पर विचार नहीं किया जाता है।
- जब सरकार को इस बात का आभास हो जाता है कि देश में वस्तुओं एवं सेवाओं की पर्याप्त माँग की जा रही है और लोगों को रोज़गार भी प्राप्त हो चुका है, तब सरकार हालात सामान्य होने के बाद इमरजेंसी बेसिक इनकम देना बंद कर देती है।
- वर्तमान में वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण विश्व के कई देशों में इमरजेंसी बेसिक इनकम की अवधारणा को अपनाया गया है।

भारत में बेसिक इनकम की अवधारणा आवश्यक क्यों ?

- विदित है कि मध्य प्रदेश में ऐसी एक योजना को शुरू किया गया था जिसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के आठ गाँवों में छह हजार से ज़्यादा लोगों को मासिक भुगतान किया गया। इसका परिणाम सकारात्मक रहा।
- अधिकांश ग्रामीणों ने उस पैसे का उपयोग घरेलू सुविधा बढ़ाने (शौचालय, दीवार, छत) में किया, ताकि मलेरिया के खिलाफ सावधानी बरती जा सके। अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों में यह देखा गया कि बेहतर वित्तीय स्थिति में वे राशन की दुकानों की बजाए बाज़ार जाने लगे, उन्होंने अपने पोषण में सुधार किया और स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और प्रदर्शन दोनों की स्थिति बेहतर हुई। अत: हम कह सकते हैं कि बेसिक इनकम का यह विचार एक उत्तम पहल है।
- वैश्विक महामारी के दौरान बेसिक इनकम को पायलट प्रोजेक्ट के ज़रिये बढ़ाना और धीरे-धीरे सावधानीपूर्वक इसे अमल में लाना भारत में आदर्श प्रतीत हो रहा है क्योंकि इसके माध्यम से गाँवों में लोगों के रहन-सहन के स्तर को सुधारा जा सकता है, उन्हें पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है और बच्चों के पोषण में सुधार भी लाया जा सकता है। एक नियमित बेसिक इनकम से भूख और बीमारी से विवेकपूर्ण ढंग से निपटने में मदद मिल सकती है।
- बेसिक इनकम, बाल श्रम को कम करने में भी मददगार साबित हो सकती है। इसके ज़रिये उत्पादक कार्यों में वृद्धि करके गाँवों की तस्वीर बदली जा सकती है और यह सतत् विकास की दिशा में एक उल्लेखनीय प्रयास होगा। विदित है कि बेसिक इनकम की मदद से सामाजिक विषमता को भी कम किया जा सकता है। यदि एक वाक्य में कहें तो बेसिक इनकम का यह विचार आय असमानता और इसके दुष्प्रभावों से भारत को मुक्त कर सकता।

यूनिवर्सल बेसिक इनकम से लाभ

- वर्तमान में सरकार विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है लेकिन अब सरकार उन्हें नकद पैसा देकर इस प्रवृत्ति को बदलना चाहती है ताकि लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार सेवाओं को प्राप्त कर सकें।
- वर्तमान में चल रहे आर्थिक संकट के दौर में यह स्कीम देश के लोगों के हाथों में अतिरिक्त क्रय शक्ति देगी जिससे देश में उत्पादनकारी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
- इस योजना को लागू करना आसान है क्योंकि इसमें लाभार्थियों को चिन्हित नहीं करना पड़ेगा।
- यह योजना सरकारी धन के अपव्यय और भ्रष्टाचार को कम करेगी क्योंकि इसका कार्यान्वयन बहुत सरल है और पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजा जायेगा।

चुनौतियाँ

- दुनिया में उच्च असमानता की स्थिति, ऑटोमेशन और वैश्विक महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट के कारण रोज़गार के नुकसान की संभावना ने कई उन्नतशील अर्थव्यवस्थाओं को यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा पर विचार करने को प्रेरित किया है, ताकि उनके नागरिकों को न्यूनतम स्तर की आय समर्थन की गारंटी दी जा सके।
- कई विशेषज्ञों का मानना है कि सबके लिये बेसिक इनकम का बोझ कोई बहुत विकसित अर्थव्यवस्था ही उठा सकती है जहाँ सरकार का खर्च सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 40 फीसदी से भी ज़्यादा हो और टैक्स से होने वाली कमाई का आँकड़ा भी इसके आसपास ही हो।
- यदि हम भारत की बात करें तो टैक्स और GDP का यह अनुपात 17 फीसदी से भी कम बैठता है। हम तो बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं और आधारभूत ढाँचे के अलावा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, मुद्रा और बाहरी संबंधों से जुड़ी संप्रभु प्रक्रियाओं का बोझ ही बहुत मुश्किल से उठा पा रहे हैं।

नोट :

- बेसिक इनकम की राह में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 'बेसिक आय' का स्तर क्या हो, यानी वह कौन-सी राशि होगी जो व्यक्ति की अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सके?
- इस बात की प्रबल संभावना है कि लोगों को दी गई नि:शुल्क रकम उन्हें आलसी बना सकती है और वे काम ना करने के लिये प्रेरित हो सकते हैं।
- इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोगों को दी गई नि:शुल्क रकम उत्पादक गतिविधियों, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि पर खर्च की जाएगी। यह तंबाकू, शराब, ड्रग्स और अन्य लक्जरी वस्तुओं आदि पर भी खर्च की जा सकती है अगर ऐसा हुआ तो इस योजना का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा।
- लोगों को नि:शुल्क रकम देने से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी क्योंकि देश में उपभोक्तावादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

यूनिवर्सल बेसिक इनकम के पक्ष में तर्क

- अगर भारत की बात करें तो यहाँ आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है और गरीबों को सब्सिडी एवं सहायता प्रदान करने वाली कई सरकारी योजनाएँ विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार की कुल 950 योजनाएँ चल रही हैं। इन योजनाओं को चलाने के लिये GDP का करीब 5 प्रतिशत खर्च होता है। ये योजनाएँ गरीबों को लाभ पहुँचा रही हैं या नहीं, यह चर्चा का विषय है।
- आर्थिक सर्वेक्षण में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि इन सभी योजनाओं को यदि बंद कर दिया जाए तथा इनमें खर्च होने वाले पैसे को UBI की ओर ले जाया जाए तो गरीबों तक प्रत्यक्ष रूप से पैसा पहुँचेगा और उनकी स्थिति में सुधार होगा।
- सिस्टम में अनेक खामियों के चलते जिन लोगों को वास्तव में सरकारी सहायता की आवश्यकता होती है, उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसलिये यह तर्क दिया जाता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम सभी नागरिकों को बेसिक आय प्रदान कर इन समस्याओं को दूर कर सकती है।

निष्कर्ष

इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेसिक इनकम का विचार भारत की जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य नागरिक सुविधाओं में सुधार के साथ उनके जीवन-स्तर को ऊपर उठाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास होगा लेकिन सबके लिये एक बेसिक इनकम तब तक संभव नहीं है जब तक कि वर्तमान में सभी योजनाओं के माध्यम से दी जा रही सब्सिडी को खत्म न कर दिया जाए। अत: सभी भारतवासियों के लिये एक बेसिक इनकम की व्यवस्था करने की बजाय सामाजिक-आर्थिक जनगणना की मदद से समाज के सर्वाधिक वंचित तबके के लिये एक निश्चित आय की व्यवस्था करना कहीं ज़्यादा प्रभावी और व्यावहारिक होगा।

क्रिप्टो-करेंसी विनिमय: आवश्यकता और चुनौतियाँ

संदर्भ

कुछ दिन पूर्व ही सर्वोच्च न्यायालय ने 6 अप्रैल, 2018 को जारी किये गए भारतीय रिज़र्व बैंक के सर्कुलर को रद्द करके देश में क्रिप्टो एक्सचेंजों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इस सर्कुलर ने व्यापारियों और एक्सचेंजों की बैंकिंग प्रणाली तक पहुँच को बाधित कर दिया था। व्यापार का संचालन करने में असमर्थ कई एक्सचेंज अन्य देशों में स्थानांतरित हो गए या उन्होंने यहाँ अपना कारोबार बंद कर दिया था। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय से कुछ एक्सचेंज वापस आ गए है।

विदित है कि मुद्रा के आविष्कार से पहले लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के ज़रिये वस्तुओं का लेन-देन किया करते थे लेकिन जैसे-जैसे तकनीक उन्नत होती गई व्यापार के तरीकों में भी बदलाव आता गया। आभासी मुद्रा (virtual currency) का लगातार बढ़ रहा प्रचलन 21वीं सदी के सबसे महत्त्वपूर्ण बदलावों में से एक है, परंतु विकेंद्रीकृत प्रकृति और विनियमन की कमी, उपयोगकर्त्ताओं की गोपनीयता और केंद्रीय प्राधिकरण की कमी आभासी मुद्रा के प्रबंधन को चुनौतीपूर्ण बनाती है।

इस आलेख में क्रिप्टो क्रिप्टो-करेंसी, उसके प्रकार, क्रिप्टो-करेंसी की लोकप्रियता के कारण, क्रिप्टो-करेंसी से लाभ, उसकी चुनौतियाँ तथा क्रिप्टो-करेंसी विनिमय केंद्र के महत्त्व पर विमर्श किया जाएगा।

नोट :

क्या है क्रिप्टो-करेंसी ?

- क्रिप्टो-करेंसी क्रिप्टोग्राफी प्रोग्राम पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी या ऑनलाइन मुद्रा है। यह पीयर-टू-पीयर कैश सिस्टम पर आधारित है।
- क्रिप्टो-करेंसी को डिजिटल वालेट में ही रखा जा सकता है। दरअसल, क्रिप्टो-करेंसी के इस्तेमाल के लिये बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान की ज़रूरत नहीं होती।
- वर्ष 2009 में किसी समूह या व्यक्ति ने सतोशी नाकामोतो के छद्म नाम से 'बिटकॉइन' के नाम से पहली क्रिप्टोकरेंसी बनाई।

क्या है फिएट और नॉन-फिएट क्रिप्टो-करेंसी ?

- "नॉन-फिएट" क्रिप्टो-करेंसी ("non-fiat" cryptocurrency) को लेकर भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ-साथ सरकारें भी समय-समय पर एडवाइजरी ज़ारी करती रहती हैं।
- एक 'नॉन-फिएट' क्रिप्टो-करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, एक निजी क्रिप्टो-करेंसी है। जबकि 'फिएट क्रिप्टो-करेंसी' एक डिजिटल मुद्रा है जो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है।
- "नॉन-फिएट" क्रिप्टो-करेंसी को लेकर तमाम तरह की आशंकाएँ व्यक्त की जा रही हैं और यह तकनीकी उन्नयन विनाशकारी साबित हो सकता है।
- यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई आभासी मुद्रा जारी की जाती है, तो उसे फ़िएट क्रिप्टो-करेंसी कहा जाएगा।

ब्लॉकचेन क्या है ?

- ब्लॉकचेन एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिससे बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो-करेंसी का संचालन होता है। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो यह एक डिजिटल 'सार्वजानिक बही खाता' (public ledger) है, जिसमें प्रत्येक लेन-देन अथवा ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड दर्ज़ किया जाता है।
- ब्लॉकचेन में एक बार किसी भी लेन-देन को दर्ज करने पर इसे न तो वहाँ से हटाया जा सकता है और न ही इसमें संशोधन किया जा सकता है।
- इसके अंतर्गत नेटवर्क से जुड़े उपकरणों (मुख्यत: कंप्यूटर की श्रृंखलाओं, जिन्हें नोड्स कहा जाता है) के द्वारा सत्यापित होने के बाद प्रत्येक लेन-देन के विवरण को खाता बही खाते में रिकॉर्ड किया जाता है।

क्रिप्टो-करेंसी की लोकप्रियता के कारण

- निजता बनाए रखने में सहायक
  - क्रिप्टो-करेंसी के ज़रिये लेन-देन के दौरान छद्म नाम एवं पहचान बताए जाते हैं। ऐसे में अपनी निजता को लेकर अत्यधिक संवेदनशील व्यक्तियों को यह माध्यम उपयुक्त जान पड़ता है
- एक लागत-प्रभावी विकल्प
  - क्रिप्टो-करेंसी में लेन-देन संबंधी लागत अत्यंत ही कम है। घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय किसी भी लेन-देन की लागत एक समान ही होती है।
  - क्रिप्टो-करेंसी के ज़रिये होने वाले लेन-देन में 'थर्ड-पार्टी सर्टिफिकेशन' (third party certification) की आवश्यकता नहीं होती। अत: धन एवं समय दोनों की बचत होती है।
- प्रवेश जनक औपचारिकताएँ कम
  - गौरतलब है कि बैंक में अकाउंट खोलने से लेकर लगभग सभी लेन-देन के लिये कई तरह के प्रमाण पत्रों की ज़रूरत होती है, जबकि क्रिप्टो-करेंसी के मामले में ऐसा नहीं है।
  - वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले लेन-देन के लिये भी कई तरह की औपचारिकताओं से गुज़रना होता है जबकि क्रिप्टो-करेंसी से होने वाले लेन-देन में इन बातों का संज्ञान नहीं लिया जाता है।
- पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था का विकल्प
  - बैंकिंग प्रणालियों तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले लेन-देन पर सरकार का सख्त नियंत्रण होता है।
  - वहीं क्रिप्टो-करेंसी उपयोगकर्त्ताओं को राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम के प्रत्यक्ष नियंत्रण के बाहर धन के आदान-प्रदान का एक विश्वसनीय और सुरक्षित माध्यम प्रदान करता है।

नोट :

- ओपन सोर्स पद्धति
  - गौरतलब है कि अधिकांश क्रिप्टो-करेंसी प्लेटफार्म ओपन सोर्स पद्धति पर आधारित होते हैं। इन प्लेटफॉर्म के सॉफ्टवेयर कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहते हैं।
  - इसका प्रभाव यह होता है कि क्रिप्टो-करेंसी प्लेटफार्म में लगातार सुधार की संभावनाएँ बनी रहती हैं।
- वित्तीय दंड से सुरक्षा
  - विदित हो कि सरकारों के पास बैंक खाते को फ्रीज या जब्त करने का अधिकार है, लेकिन क्रिप्टो-करेंसी के मामले में वे ऐसा नहीं कर सकती हैं।
  - अत: सरकार के नियंत्रण से बचाव के एक प्रभावकारी विकल्प के रूप में भी क्रिप्टो-करेंसी का प्रयोग किया जा रहा है।

क्रिप्टो-करेंसी से लाभ

- भारत में सबसे ज़्यादा नकदी संचालन में है, मार्च 2019 के अंत तक नकदी प्रवाह जीडीपी के 17 प्रतिशत से बढ़कर 21.1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुँच गई है।
- गौरतलब है कि नकद संचालन में भारतीय रिज़र्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों का वार्षिक खर्च 21,000 करोड़ रुपए आता है। ऐसे में क्रिप्टो-करेंसी को बढ़ावा देना कैशलेस अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है।
- क्रिप्टो-करेंसी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में भी अहम् साबित हो सकता है। विदित हो कि वर्ष 2008 की आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा कारण बैंकों का दिवालिया हो जाना था और भविष्य में भी ऐसा हो सकता है।
- इन परिस्थितियों में यदि बैंकिंग व्यवस्था से अलग लेकिन एक विनियमित मुद्रा जैसे की फिएट क्रिप्टो-करेंसी अहम् साबित हो सकती है।

क्रिप्टो-करेंसी का प्रचलन हानिकारक क्यों ?

- एक असुरक्षित मुद्रा
  - क्रिप्टो-करेंसी की संपूर्ण व्यवस्था के ऑनलाइन होने के कारण इसकी सुरक्षा कमज़ोर हो जाती है और इसके हैक होने का खतरा बना रहता है।
  - क्रिप्टो-करेंसी की सबसे बड़ी समस्या है इसका ऑनलाइन होना और यही कारण है कि क्रिप्टो-करेंसी को एक असुरक्षित मुद्रा माना जा रहा है।
- देश की सुरक्षा संबंधी चिंताएँ
  - यह 'मुख्य वित्तीय सिस्टम' और 'बैंकिंग प्रणाली' से बाहर रहकर काम करती है। यही कारण है कि इसके स्रोत और सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न उठते रहते हैं।
  - इस डिजिटल मुद्रा को फ्रॉड, हवाला और आतंकी गतिविधियों को पोषित करने वाली मुद्रा के रूप में संबोधित किया जाता रहा है।
- नियंत्रण एवं प्रबंधन की समस्या
  - क्रिप्टो-करेंसी से संबंधित एक बड़ी समस्या इसके नियंत्रण एवं प्रबंधन की भी है। भारत जैसे कई देशों ने अभी तक इसे मुद्रा के रूप में स्वीकृति प्रदान नहीं की है, ऐसे में इसका प्रबंधन एक बड़ी समस्या है।
  - आर्थिक जानकारों का भी मानना है कि इसकी तकनीकी जानकारी रखे बिना इसमें निवेश करने के भारी दुष्परिणाम हो सकते हैं।
- पर्यावरणीय चिंताएँ
  - गौरतलब है कि प्रत्येक बिटकॉइन लेन-देन के लिये लगभग 237 किलोवाट बिजली की खपत होती है और इससे प्रतिघंटा लगभग 92 किलो कार्बन का उत्सर्जन होता है।

क्या है वर्तमान स्थिति ?

- इन तमाम चिंताओं के बावजूद बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टो-करेंसियाँ लगातार लोकप्रिय होती जा रही हैं और सरकारें चाह कर भी इन पर नियंत्रण नहीं कर पा रही हैं।
- विश्व के शीर्ष केंद्रीय बैंकों को यह महसूस होने लगा है कि क्रिप्टो-करेंसी को नियंत्रित करने की कोशिश निरर्थक है और वे स्वयं के क्रिप्टो-करेंसी जारी करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
- भारत की अपनी क्रिप्टो-करेंसी फिएट क्रिप्टो-करेंसी के नाम से जानी जाएगी।

नोट :

क्रिप्टो-करेंसी का विनियमन

- यदि क्रिप्टो-करेंसी को एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के रूप में अधिकृत कर वैधानिकता प्रदान की गई तो इसके विनियमन का दायित्व आरबीआई को निभाना होगा।
- पूंजी लाभ (capital gains) और व्यापारिक लेन-देन (business transaction) पर टैक्स की व्यवस्था करनी होगी।
- साथ ही, विदेशों में होने वाले भुगतान को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (Foreign Exchange Management Act) के दायरे में लाना होगा।
- क्रिप्टो-करेंसी का विनियमन उपभोक्ता संरक्षण को मज़बूती प्रदान करेगा।

क्रिप्टो-करेंसी विनिमय केंद्र का महत्त्व

- स्टॉक एक्सचेंजों के समान, क्रिप्टो-करेंसी विनिमय केंद्र क्रिप्टो-करेंसी के व्यापार के लिये एक ऑनलाइन मंच या बाज़ार प्रदान करते हैं।
- क्रिप्टो-करेंसी विनिमय केंद्र फिएट क्रिप्टो-करेंसी के व्यापार या विनिमय को भी सक्षम करते हैं, वे क्रिप्टो-करेंसी और पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों को जोड़ते हैं।
- क्रिप्टो-करेंसी विनिमय केंद्र परियोजना की विश्वसनीयता, मध्यस्थों का आकलन और जारीकर्त्ताओं की पृष्ठभूमि की भी जाँच करते हैं।
- लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टो-करेंसी विनिमय केंद्र के माध्यम से एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण कानून के कार्यान्वयन में भी मदद मिल सकती है।

आगे की राह

- पात्रता आवश्यकताओं के अनुपालन और आंतरिक शासन, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय संसाधनों पर परिचालन नीतियों और प्रक्रियाओं की विस्तृत जांच के आधार पर लाइसेंस जारी किये जा सकते हैं।
- निवेशकों के निवेश से पहले क्रिप्टो-करेंसी विनिमय केंद्र द्वारा निवेशकों की केवाईसी का स्वतंत्र सत्यापन करने की आवश्यकता है।
- पारदर्शिता, सूचना उपलब्धता और उपभोक्ता संरक्षण के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिये आँकड़ों का संग्रहण, निरीक्षण, स्वतंत्र ऑडिट, निवेशक शिकायत निवारण और विवाद समाधान पर भी विचार किया जा सकता है।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का समय

संदर्भ

मार्च, 2020 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO), विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) और विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization- WTO) के अधिकारियों द्वारा साझा बयान में आने वाले दिनों में वैश्विक बाज़ार में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के संदर्भ में चिंता व्यक्त की गई थी। वर्तमान में अधिकारियों द्वारा व्यक्त की गई चिंता सत्य प्रतीत हो रही है क्योंकि लॉकडाउन के कारण विश्व के सभी देशों में कृषि गतिविधियाँ नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई।

इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियों के सीमित होने के कारण बड़ी संख्या में लोगों को पूर्व में संग्रहित खाद्यान्न द्वारा भोजन भी उपलब्ध कराया गया। इस महामारी से उत्पन्न होने वाले खाद्य संकट से निपटने के लिये घरेलू स्तर पर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रयास करने की आवश्यकता है। भारत के लिये मानसून की बेहतर स्थिति खाद्यान्न संकट को दूर करने में सहायक हो सकती है बशर्ते हमें बेहतर सहायक उपाय करने की ज़रुरत है।

इस आलेख में खाद्य संकट व उसके प्रकार, वैश्विक महामारी से पूर्व व बाद में भारत की खाद्यान्न स्थिति, खाद्य संकट को दूर करने में त्रिविमीय अवधारणा के साथ अन्य उपायों पर विमर्श किया जाएगा।

खाद्य संकट क्या है?

- खाद्य संकट को धन अथवा अन्य संसाधनों के अभाव में पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक अनियमित पहुँच के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- खाद्य संकट के दौरान लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ता है।

नोट :

खाद्य संकट के प्रकार

- खाद्य संकट को मुख्यत: दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:
  - मध्यम स्तरीय खाद्य संकट: मध्यम स्तरीय खाद्य संकट से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें लोगों को कभी-कभी खाद्य की अनियमित उपलब्धता का सामना करना पड़ता है और उन्हें भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता के साथ भी समझौता करना पड़ता है।
  - गंभीर खाद्य संकट: गंभीर खाद्य संकट का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें लोग कई दिनों तक भोजन से वंचित रहते हैं और उन्हें पौष्टिक एवं पर्याप्त आहार उपलब्ध नहीं हो पाता है। लंबे समय तक यथावत बने रहने पर यह स्थिति भूख की समस्या का रूप धारण कर लेती है।

भारत में खाद्य संकट का ऐतिहासिक विवरण

- स्वतंत्रता के बाद से ही खाद्यान्न उत्पादन और खाद्य सुरक्षा देश के लिये बड़ी चुनौती रही है।
- भारत में खाद्य सुरक्षा से संबंधित चिंताओं का इतिहास वर्ष 1943 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हुए बंगाल अकाल में देखा जा सकता है, जिसके दौरान भुखमरी के कारण लगभग 2 मिलियन से 3 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई थी।
- भारत में 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में हरित क्रांति ने दस्तक दी, जिससे देश के खाद्यान्न उत्पादन में काफी सुधार आया। हरित क्रांति की सफलता के बावजूद भी इसकी यह कहकर आलोचना की गई कि इसमें केवल गेहूँ और चावल पर अधिक ध्यान दिया गया था।
- आँकड़ों के अनुसार, भारत में वर्ष 2019 में सबसे अधिक कुपोषित लोग मौजूद थे।
- खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organisation-FAO) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की तकरीबन 14.8 प्रतिशत जनसंख्या कुपोषित है।

COVID-19 और खाद्य संकट

- संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने आगाह किया कि विश्व की 7 अरब 80 करोड़ आबादी का पेट भरने के लिये दुनिया में पर्याप्त भोजन उपलब्ध है लेकिन इसके बावजूद 82 करोड़ से अधिक लोग भुखमरी का शिकार हैं।
- इस वर्ष COVID-19 संकट के कारण 4 करोड़ 90 लाख अतिरिक्त लोग अत्यधिक गरीबी का शिकार हो सकते हैं और पोषणयुक्त भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोत्तरी होने की आशंका है।
- यहाँ तक कि जिन देशों में प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध है, वहाँ भी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा होने का जोखिम दिखाई दे रहा है।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की त्रिविमीय अवधारणा

- बाज़ार में खाद्यान्न की उपलब्धता
  - सर्वप्रथम बाज़ार में खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिये कृषि विपणन स्थलों में सुधार करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा पूर्व में कई महत्त्वपूर्ण सुधार किये गए हैं, जो इस प्रकार हैं-
    - मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीसिंग एक्ट (Model Agricultural Land Leasing Act) 2016 राज्यों को जारी किया गया, जो कृषि सुधारों के संदर्भ में अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण कदम है जिसके माध्यम से न सिर्फ भू-धारकों वरन् लीज़ प्राप्तकर्त्ता की ज़रूरतों का भी ख्याल रखा गया है।
    - राष्ट्रीय कृषि मंडी स्कीम (ई-नाम) के तहत बेहतर मूल्य सुनिश्चित करके, पारदर्शिता और प्रतियोगिता के माध्यम से कृषि मंडियों में क्रांति लाने की एक नवाचारी मंडी प्रक्रिया प्रारंभ की गई।
    - सरकार ने मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज एक्ट (Model Contract Farming and Services Act), 2018 जारी किया है जिसमें पहली बार देश के अन्नदाता किसानों तथा कृषि आधारित उद्योगों को जोड़ा गया है।
- लोगों की खाद्यान्न तक पहुँच सुनिश्चित करना
  - खाद्यान्न तक पहुँच बेहतर क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। कृषक के अतिरिक्त प्रत्येक को बाज़ार से खाद्यान्न क्रय करना पड़ता है। इस वैश्विक महामारी के दौरान आर्थिक गतिविधियाँ बाधित होने से लोगों की पास धन का संकट है, परंतु मनरेगा जैसी योजना के कारण लाखों लोगों को रोज़गार प्राप्त हुआ है जिससे उनकी पहुँच खाद्यान्न तक सुनिश्चित हो पाई है।

नोट :

- इसके अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को सरकार द्वारा दी गई प्रोत्साहन राशि से पुनर्जीवित किया जा सकता है, जो व्यापक पैमाने पर रोज़गार का सृजन करेगा।
- इस संकट के दौरान सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act-NFSA) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System-PDS) के माध्यम से ज़रूरतमंद प्रत्येक व्यक्ति को अतिरिक्त राशन भी उपलब्ध कराया गया है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्धारित खाद्य उत्पादों के अतिरिक्त बाजरा, दाल व तेल जैसे अन्य खाद्य उत्पादों को भी शामिल करना चाहिये।

- भोज्य पदार्थों का अवशोषण
  - खाद्य सुरक्षा का तीसरा आयाम है शरीर में भोजन का अवशोषण तथा उसका समुचित उपयोग।
  - भोजन का अवशोषण और उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं सहित स्वच्छता, पीने योग्य जल और अन्य गैर-खाद्य कारकों पर महत्त्वपूर्ण ढंग से निर्भर है।
  - COVID-19 संक्रमण के कारण बार-बार हाथों को धुलने से ग्रामीण व शहरी दोनों ही क्षेत्रों में स्वच्छ पीने योग्य जल की कमी महसूस की जा रही है।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार के अन्य प्रयास

- राष्ट्रीय कृषक नीति- खाद्य सुरक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिये राष्ट्रीय कृषक नीति को लागू किया गया। इस नीति के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यप्रणाली को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना, कृषि उत्पादों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना, किसानों को वित्तीय सहायता उचित ब्याज दर पर उपलब्ध कराना, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की सहायता से ग्राम-स्तर पर चौपाल और फर्म, स्कूल स्थापित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि किसानों के पास उत्पादन के लिये साधन उपलब्ध है कि नहीं, अच्छी गुणवत्ता के बीज का प्रयोग बढ़ाना आदि क्रियाएँ भी क्रियान्वित करना इस नीति में शामिल हैं।
- खाद्य सब्सिडी योजना- खाद्य सुरक्षा के लिये सरकार समय-समय पर खाद्य सब्सिडी जारी करती है ताकि खाद्य संकट पैदा न हो।
- राष्ट्रीय वर्षापोषित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना- खाद्य सुरक्षा की कल्पना को साकार करने के लिये राष्ट्रीय वर्षा पोषित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना की गई। इस प्राधिकरण का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा की स्थिति बरकरार रखने के लिये वर्षा पोषित क्षेत्रों की समस्या पर पूरा ध्यान देना तथा भूमिहीन और छोटे किसानों से संबंधित समस्याओं पर भी ध्यान केन्द्रित करना है जिससे खाद्यान्न उत्पादन में कमी न हो।

खाद्य सुरक्षा की वैकल्पिक विधियाँ

- खाद्यान्न कूपन प्रणाली- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिये निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को खाद्यान्न कूपन देकर उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर मुद्रा के स्थान पर स्वीकार किया जाना चाहिये। ऐसी दुकानों पर गेंहूँ-चावल की बिक्री प्रचलित बाज़ार मूल्य पर होनी चाहिये, परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। इस कूपन प्रणाली में सही सफलता तभी प्राप्त होगी जबकि निर्धनों की पहचान के लिये विशिष्ट पहचान संख्या लागू की जाए।
- बहु-उपयोगी स्मार्ट कार्ड- प्रौद्योगिकी विकास के साथ-साथ बहु-उपयोगी स्मार्ट कार्ड व्यवस्था अस्तित्व में आई है। इन कार्डों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को सरल बनाया जा सकता है। इस प्रकार यदि सभी अर्ह परिवारों की पहचान, अधिकृत लेन-देन की जानकारी तथा प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा आदि का विवरण ऑन-लाइन उपलब्ध हो तो खाद्यान्न के निर्गम के समय इसकी पुष्टि की जा सकती है। विवरण की जानकारी भी ऑन-लाइन हो जाने से कार्यक्रम की प्रगति भी आसान हो जाएगी।
- वेब आधारित प्रणाली- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत एक ऐसी वेबसाइट विकसित की जा सकती है जिस पर प्रत्येक लाभार्थी परिवार जो भोजन पाने का अधिकार कानून के तहत खाद्यान्न की एक निर्धारित मात्रा रियायती मूल्य पर पाने का हकदार है, का विवरण उपलब्ध हो। इसके अलावा इसकी जाँच वितरण केंद्र पर अधिकारियों एवं लाभार्थी परिवार के मुखिया द्वारा कभी भी की जा सकती है।
- बफर स्टॉक बढ़ाना अत्यावश्यक- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों, दालों, चीनी इत्यादि वस्तुओं के भंडारण व आयात का पूर्वानुमान लगाकर बफर स्टॉक बनाए जाने की रणनीति तैयार की जानी चाहिये जिससे भ्रष्टाचार और जमाखोरी को रोका जा सके।

नोट :

निष्कर्ष: COVID-19 संक्रमण के दौरान भारत स्वास्थ्य चुनौतियों के अतिरिक्त जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनमें से खाद्य सुरक्षा की चुनौती सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक है। तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ते खाद्य मूल्य और जलवायु परिवर्तन का खतरा ऐसी चुनौतियाँ है जिनसे युद्ध स्तर पर निपटे जाने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि "जो व्यक्ति अपना पेट भरने के लिये जूझ रहा हो उसे दर्शनवाद नहीं समझाया जा सकता है।" यदि भारत को विकसित राष्ट्रों की सूची में शामिल होना है, तो उसे अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

सकल मूल्य वर्द्धन: चुनौतियाँ व महत्त्व

संदर्भ

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office-NSO) द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान (Provisional Estimates) जारी कर दिये गए हैं। NSO के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (Real Gross Domestic Product) की दर 4.2 प्रतिशत व्यक्त की गई थी, परंतु वित्तीय वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 3.1 प्रतिशत तक सीमित रही। यह 11 वर्षों में विकास की सबसे धीमी वृद्धि दर थी। NSO के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 की चार तिमाहियों के साथ ही दो पूर्ववर्ती वर्षों के तुलनात्मक त्रैमासिक आँकड़ों के आधार पर सकल मूल्य वर्द्धन (Gross Value Added-GVA) संबंधी अनुमान को भी जारी किया गया है।

इस आलेख में सकल मूल्य वर्द्धन, जारी किये गए नवीनतम आँकड़े, आर्थिक विकास के मापन में GVA की कमियाँ तथा GVA की प्रासंगिकता व महत्त्व पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

NSO द्वारा जारी किये गए नवीनतम आँकड़े

- फरवरी 2020 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रथम तीन तिमाहियों के लिये क्रमश: 5.4 प्रतिशत, 4.8 प्रतिशत और 4.5 प्रतिशत GVA वृद्धि दर की संभावना व्यक्त की गई थी।
- हालाँकि NSO द्वारा जारी किये गए नवीनतम अनुमान के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रथम तीन तिमाहियों में गिरावट दर्ज़ की गई और संशोधित वृद्धि दर क्रमश: 4.8 प्रतिशत, 4.3 प्रतिशत और 3.5 प्रतिशत का आकलन किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में सुस्त प्रदर्शन के कारण फरवरी, 2020 में जारी 4.9 प्रतिशत की वृद्धि दर के पूर्वानुमान को संशोधित करते हुए समग्र वार्षिक GVA वृद्धि दर अनुमान में 1 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3.9 प्रतिशत की वृद्दि का आकलन किया है।
- समग्र वार्षिक GVA वृद्धि दर में संशोधन सेवा क्षेत्र के कमज़ोर प्रदर्शन का परिणाम है।
  - सेवा क्षेत्र के बड़े भागीदार यथा- वित्त, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं की वृद्धि दर में तीव्र गिरावट हुई है।
  - प्रथम, द्वितीय व तृतीय तिमाही में वृद्धि दर क्रमश: 6.9 प्रतिशत, 7.1 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत के सापेक्ष गिरावट दर्ज़ करते हुए 6 प्रतिशत, 6 प्रतिशत और 3.3 प्रतिशत का आकलन किया गया है।
  - वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएँ समग्र GVA की गणना में लगभग एक-चौथाई का योगदान करती हैं।
- व्यापार, होटल, परिवहन और प्रसारण से संबंधित संचार सेवाओं की वृद्धि दर में भी भारी गिरावट दर्ज़ की गई है।
  - प्रथम, द्वितीय व तृतीय तिमाही में वृद्धि दर क्रमश: 5.7 प्रतिशत, 5.8 प्रतिशत और 5.9 प्रतिशत के सापेक्ष गिरावट दर्ज़ करते हुए 3.5 प्रतिशत, 4.1 प्रतिशत और 4.3 प्रतिशत का आकलन किया गया है।
  - व्यापार, होटल, परिवहन और प्रसारण से संबंधित संचार सेवाएँ समग्र GVA की गणना में लगभग 20 प्रतिशत का योगदान करती हैं।

हालाँकि नवीनतम आँकड़ों में, कृषि व लोक प्रशासन जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं।

सकल मूल्य वर्द्धन क्या है ?

- वित्तीय वर्ष 2015-16 से सकल मूल्य वर्द्धन की अवधारणा को प्रारंभ किया गया है।
- सकल मूल्य वर्द्धन किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों, यथा- प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है।

नोट :

- साधारण शब्दों में कहा जाए तो GVA से किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल निष्पादन और आय का पता चलता है। दरअसल जब किसी उत्पाद के मूल्य से उसकी इनपुट लागत और कच्चे माल की लागत में कटौती के बाद जो राशि शेष बचती है उसे GVA कहते हैं। उदाहरण के लिये अगर कोई कंपनी 20 रुपये में ब्रेड का पैकेट बेचती है और इसे बनाने में 16 रुपये इनपुट और कच्चे माल की लागत के रूप में प्रयोग होता है तो उस स्थिति में GVA का संग्रहण 4 रुपये माना जाएगा।
  - सकल मूल्य वर्द्धन = GDP + उत्पादों पर सब्सिडी - उत्पादों पर कर
- GVA की गणना आधार वर्ष 2011-12 को आधार मानकर की जाती है।
- NSO , सकल मूल्य वर्द्धन के लिये तिमाही और वार्षिक दोनों अनुमान प्रदान करता है । यह आठ व्यापक श्रेणियों पर क्षेत्रवार वर्गीकरण डेटा प्रदान करता है जिसमें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कराई गई वस्तुओं और सेवाएँ दोनों शामिल हैं। आठ श्रेणियाँ इस प्रकार हैं-
  - कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन,
  - खनन एवं उत्खनन,
  - विनिर्माण,
  - बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य जनोपयोगी सेवाएँ,
  - निर्माण,
  - व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएँ,
  - वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएँ,
  - लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ।

सकल घरेलू उत्पाद से तात्पर्य

- किसी अर्थव्यवस्था या देश के लिये सकल घरेलू उत्पाद या GDP एक निर्धारित अवधि में उस देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। यह अवधि आमतौर पर एक साल की होती है।
- विदित है कि GDP के आकलन के लिये मूल्य की आवश्यकता होती है और मूल्य के लिये बाज़ार की ज़रूरत पड़ती है। अत: GDP केवल उन वस्तुओं और सेवाओं को प्रतिबिंबित करता है जो विपणन योग्य हैं और जिनके बाज़ार हैं। ज़ाहिर है, जिसका बाज़ार नहीं होता, उसे GDP में शामिल नहीं किया जाता।
- इसको समझने के लिये पर्यावरणीय क्षरण का उदाहरण लेते हैं, जिसके कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है लेकिन पर्यावरणीय क्षरण की गणना बाज़ार मूल्य में नहीं की जा सकती, अत: इसे GDP में शामिल नहीं किया जाता।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

- वर्ष 2019 में सरकार ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office- NSSO) को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central Statistics Office- CSO) के साथ विलय करने का निर्णय लिया और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office- NSO) के गठन को मंज़ूरी दी।
- एक एजेंसी के रूप में NSO को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (National Statistical Commission-NSC) द्वारा निर्धारित सांख्यिकीय मानकों को लागू करने और बनाए रखने के लिये तथा राज्य एजेंसियों की सांख्यिकीय गतिविधियों का पर्यवेक्षण करने के लिये सर्वप्रथम डॉ. सी. रंगराजन द्वारा परिकल्पित किया गया था।

संरचना

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अंतर्गत 4 डिविजन बनाई गई हैं, जो इस प्रकार हैं-
  - सर्वे डिज़ाइन एंड रिसर्च डिविजन (Survey Design and Research Division-SDRD)
  - फील्ड ऑपरेशंस डिविजन (Field Operations Division-FOD)
  - डेटा प्रोसेसिंग डिविजन (Data Processing Division-DPD)
  - सर्वे कॉर्डिनेशन डिविजन (Survey Coordination Division-SCD)

नोट :

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य मंत्रालय के वर्तमान नोडल कार्यों को सुव्यवस्थित और मज़बूत करना है और मंत्रालय के भीतर प्रशासनिक कार्यों को एकीकृत कर बेहतर तालमेल स्थापित करना है।
- यह सांख्यिकीय प्रणाली की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करेगा क्योंकि इन दो निकायों पर नियंत्रण की कमी वर्तमान में एक चुनौती थी।
- यह अन्य देशों के साथ भारत की सांख्यिकीय प्रणाली को संरेखित करेगा।

GDP और GVA में मुख्य अंतर

- सकल मूल्य वर्द्धन पद्धति के अंतर्गत जहाँ उत्पादक या आपूर्ति पक्ष की तरफ से आर्थिक गतिविधियों की तस्वीर पेश की जाती है, वहीं सकल घरेलू उत्पाद पद्धति के अंतर्गत उपभोक्ता पक्ष या मांग पक्ष के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक गतिविधियों का अनुमान लगाया जाता है।
- इस प्रकार सकल मूल्य वर्द्धन पद्धति पूर्ति आधारित जबकि सकल घरेलू उत्पाद पद्धति मांग आधारित अर्थव्यवस्था को मापने का तरीका है।

GVA की चुनौतियाँ

- सभी प्रकार के आर्थिक आँकड़े व समग्र राष्ट्रीय उत्पादन की माप के रूप में GVA की सटीकता आँकड़ों के स्रोत और विभिन्न मानकों की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। यदि आँकड़ों के संग्रहण में किसी भी प्रकार की लापरवाही होती है तो GVA की सटीकता निश्चित रूप से प्रभावित हो जाएगी।
- किसी अनुचित या त्रुटिपूर्ण तरीकों के प्रयोग से GVA की प्रभावकारिता नकारात्मक परिणाम प्रदर्शित कर सकती है।
- GVA के नकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्था की राजकोषीय व मौद्रिक नीति को भी प्रभावित कर देंगे, जिससे मुद्रास्फ़ीति संबंधी अनुमान भी गलत हो जाएँगे।

GVA की प्रासंगिकता

- GVA को अर्थव्यवस्था का बेहतर मापक माना जाता है। GDP वास्तविक आर्थिक परिदृश्य को मापने में विफल है क्योंकि उत्पादन में तेज वृद्धि उच्च कर संग्रहण व बेहतर अनुपालन के कारण भी हो सकती है, जो वास्तविक उत्पादन की स्थिति को प्रतिबिंबित करे यह आवश्यक नहीं।
- GVA आठ व्यापक श्रेणियों पर क्षेत्रवार वर्गीकरण डेटा प्रदान करता है जिससे नीति निर्माताओं को यह तय करने में मदद मिलती है कि किन क्षेत्रों को प्रोत्साहन की आवश्यकता है और तदनुसार क्षेत्र विशिष्ट नीतियाँ तैयार की जा सकती हैं।
- वैश्विक डेटा मानकों और एकरूपता के परिप्रेक्ष्य में GVA किसी देश के आर्थिक प्रदर्शन को मापने में एक अभिन्न और आवश्यक पैरामीटर है।
- कोई भी देश जो अन्य देशों से पूँजी और निवेश आकर्षित करना चाहता है , उसे राष्ट्रीय आय लेखांकन में सर्वोत्तम वैश्विक मानकों के अनुरूप होना ही चाहिये।

विदेशी मुद्रा भंडार: संभावनाएँ व महत्त्व

संदर्भ

भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 1991 में उस दौर की भी साक्षी रही है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग शून्य हो गया था और तब विदेश से आयात करने के लिये हमें बैंकों में मौजूद स्वर्ण गिरवी रखना पड़ा था। अब लगभग 30 वर्षों के बाद भारत के पास 501.70 अरब डॉलर का वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार है। वैश्विक महामारी COVID-19 के संक्रमण के दौरान जहाँ विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएँ संकट के दौर से गुजर रही हैं, वहीँ भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिये एक सुखद संकेत है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) द्वारा जारी नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, जून माह के प्रथम सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.22 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 501.70 अरब डॉलर के कुल भंडार तक पहुँच गया है। इससे पूर्व मार्च माह के अंतिम सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 3.44 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई थी और उस समय विदेशी मुद्रा भंडार 493.48 अरब डॉलर तक पहुँच गया था।

नोट :

इस आलेख में विदेशी मुद्रा भंडार, उसकी संरचना, आर्थिक मंदी के बावजूद विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के कारण, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का महत्त्व तथा RBI द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

विदेशी मुद्रा भंडार से तात्पर्य

- विदेशी मुद्रा भंडार को फॉरेक्स रिज़र्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है।
- सामान्यत: विदेशी मुद्रा भंडार में केवल विदेशी रुपये, विदेशी बैंकों की जमाओं, ,विदेशी ट्रेज़री बिल और अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक सरकारी परिसंपत्तियों को शामिल किया जाना चाहिये परन्तु इसमें प्राय: सोने के भंडारों, विशेष आहरण अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भंडार अवस्थितियों को शामिल किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार अथवा अंतर्राष्ट्रीय भंडार की संज्ञा देना अधिक उचित है।
- विदेशी मुद्रा भंडारों को भुगतान संतुलन में 'आरक्षित परिसंपत्तियाँ' कहा जाता है तथा ये पूँजी खाते में होते हैं।
- ये किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्त्वपूर्ण भाग हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार की संरचना

- किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित 4 तत्व शामिल होते हैं-
  - विदेशी परिसंपत्तियाँ (विदेशी कंपनियों के शेयर, डिबेंचर, बॉण्ड इत्यादि विदेशी मुद्रा के रूप में)
  - स्वर्ण भंडार
  - IMF के पास रिज़र्व ट्रेंच (Reserve Trench)
  - विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights-SDR)

विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ

- विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (Foreign Currency Assets) विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा घटक होता है और यह जून माह के प्रथम सप्ताह में 8.42 अरब डॉलर बढ़कर 463.63 अरब डॉलर के स्तर पर पहुँच गया है।
- ध्यातव्य है कि यदि डॉलर के संदर्भ में बात की जाए तो विदेशी मुद्रा भंडार में पड़ी गैर-अमेरिकी मुद्रा जैसे- यूरो, पाउंड और येन की कीमतों में उतार-चढ़ाव को FCA में शामिल किया जाता है।

स्वर्ण भंडार

- इस अवधि में जून माह के प्रारंभ में जारी आँकड़ों के अनुसार, भारत के स्वर्ण भंडार में गिरावट दर्ज़ की गई है।
- नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, वर्तमान में भारत का स्वर्ण भंडार 32.682 बिलियन डॉलर है।

रिज़र्व ट्रेंच से तात्पर्य

- रिज़र्व ट्रेंच वह मुद्रा होती है जिसे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) को प्रदान किया जाता है और जिसका उपयोग वे देश अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिये कर सकते हैं।
- इस मुद्रा का प्रयोग सामान्यत: आपातकाल की स्थिति में किया जाता है।

विशेष आहरण अधिकार

- विशेष आहरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिये अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था।
- SDR न तो एक मुद्रा है और न ही IMF पर इसका दावा किया जा सकता है।
- SDR का मूल्य, बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर किया जाता है। इस बास्केट में पाँच देशों की मुद्राएँ शामिल हैं- अमेरिकी डॉलर (Dollar), यूरोप का यूरो (Euro), चीन की मुद्रा रॅन्मिन्बी (Renminbi), जापानी येन (Yen), ब्रिटेन का पाउंड (Pound)।

नोट :

विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के कारण

- विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का प्रमुख कारण भारतीय शेयर बाज़ार में पोर्टफोलियो निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हो रही वृद्धि है। विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाज़ार में 2.75 बिलियन डॉलर से अधिक के शेयर खरीदे हैं।
- विदेशी निवेशकों द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की सहायक कंपनी जियो (JIO Platform) में लगभग 97,000 करोड़ रूपए का निवेश भी किया गया है।
- इसके साथ ही कच्चे तेल की मांग में भारी कमी और उसकी कीमत में गिरावट से विदेशी मुद्रा भंडार में भी बचत हुई।
- मांग में गिरावट के चलते आयात भी काफी कम हुआ है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार से कम व्यय करना पड़ा है।

विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन में RBI की भूमिका

- भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक एवं प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, और भारत सरकार की सहमति से निर्मित समग्र नीतिगत ढाँचे के अंतर्गत कार्य करता है।
- RBI विशिष्ट उद्देश्यों के लिये विदेशी मुद्रा का आवंटन करता है। उदाहरण के लिये, उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रति वर्ष 250,000 डॉलर तक की छूट प्रदान की जाती है।
- RBI रुपये के क्रमबद्ध संचालन के लिये अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करता है। जब रुपया कमज़ोर होता है तब यह डॉलर को बेंच देता है और रुपया मज़बूत होने पर पुन: डॉलर खरीद लेता है।
- RBI जब बाज़ार से डॉलर खरीदता है तो उसी अनुपात में रुपए का निर्गमन करता है ताकि बाज़ार में तरलता बनी रहे।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की अवस्थिति

- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 RBI को विभिन्न विदेशी मुद्रा आस्तियों में अपने विदेशी मुद्रा भंडार की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करता है।
- लगभग 64 प्रतिशत विदेशी मुद्रा भंडार अन्य देशों की प्रतिभूतियों जैसे- ट्रेज़री बिल इत्यादि में रखा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।
- लगभग 28 प्रतिशत विदेशी मुद्रा अन्य केंद्रीय बैंकों में संगृहीत की जाती है और तकरीबन 8 प्रतिशत विदेशी मुद्रा अन्य देशों के वाणिज्यिक बैंकों में भी जमा किया जाता है।
- मार्च 2020 तक भारत में 653.01 टन स्वर्ण भंडार था, जिसमें 360.71 टन स्वर्ण बैंक ऑफ इंग्लैंड (Bank of England) और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (Bank for International Settlements) की अभिरक्षा में है, जबकि शेष स्वर्ण को घरेलू स्तर पर सुरक्षित रखा गया है।

विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का महत्त्व

- विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि से सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को भारत के आंतरिक और वाह्य वित्तीय मुद्दों का प्रबंधन करने में सहायता प्राप्त होगी।
- विदेशी मुद्रा बाज़ार में अस्थिरता को कम करने के लिये विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि अति आवश्यक थी।
- विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि से भारत लगभग 17 माह तक आयात बिल को कवर करने में सक्षम हो जाएगा।
- विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि से भारतीय रूपए को डॉलर के सापेक्ष मज़बूती भी प्राप्त होती है।
- विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि निवेशकों में आत्मविश्वास और ऊर्जा का भी संचार करता है।
- विदेशी मुद्रा भंडार वाह्य ऋण दायित्वों को पूरा करने में सरकार की सहायता कर सकता है।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं की स्थिति में बेहतर ढंग से निपटने में विदेशी मुद्रा भंडार की प्रभावी भूमिका हो सकती है।

नोट :

पर्यटन विकास: अतुल्य भारत 2.0 अभियान

संदर्भ

वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण अर्थव्यवस्था का शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा हो जो इससे प्रभावित न हुआ हो। इन क्षेत्रों में यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस महामारी के चलते घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के प्रतिबंधित होने से पर्यटन उद्योग को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry-CII) ने इसे सबसे बुरे संकटों में से एक करार दिया है। इसके अनुसार, यह संकट तेज़ी से विकास कर रहे भारतीय पर्यटन उद्योग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इससे न केवल घरेलू पर्यटन उद्योग बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन उद्योग भी प्रभावित हुआ है। विदित है कि यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धी सूचकांक (Travel and Tourism Competitive Index), 2019 में भारत ने अपनी स्थिति में सुधार करते हुए 34वाँ स्थान प्राप्त किया है।

ज्ञातव्य है कि भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्टता और संस्कृति है। ये क्षेत्र अपने ठंड / गर्म रेगिस्तान (लद्दाख / राजस्थान), नदियों (गंगा और ब्रह्मपुत्र), वन (निलिगिरि और उत्तर पूर्व), द्वीपों (अंडमान और निकोबार), पर्वत व पठारों आदि प्राकृतिक विशेषताओं से पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। साथ ही यहाँ के परिदृश्य में पाई जाने वाली व्यापक विविधता और सांस्कृतिक विरासत विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिये कई विकल्प प्रदान करती है।

ऐसे में इस क्षेत्र के पुन: संचालन के लिये मानक प्रचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedures-SOPs) को अपनाने की आवश्यकता है। जिससे किसी महामारी के बाद भी स्वच्छता और सुरक्षा संबंधी अनुपालन सुनिश्चित किये जा सके।

महामारी से पूर्व भारत में पर्यटन की स्थिति

- वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में वर्ष 2022 तक प्रत्येक नागरिक से देश के 15 पर्यटक स्थलों का भ्रमण करने का आह्वान किया था। इसका प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत को वैश्विक पर्यटन का केंद्र बनाना है।
- वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज़्म काउंसिल (World Travel and Tourism Council-WTTC), 2018 की रिपोर्ट में भारत को पर्यटन के मामले में विश्व में तीसरा स्थान मिला है। इस रिपोर्ट में 185 देशों के पिछले सात वर्षों (2011-2017) के प्रदर्शन पर अवलोकन किया गया था। इस रिपोर्ट के चार मुख्य आधार थे-
  - सकल घरेलू उत्पाद में कुल योगदान
  - अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यय
  - घरेलू पर्यटन व्यय एवं
  - पूँजी निवेश
- वर्ष 2017 में, पर्यटन से भारत ने लगभग 23 अरब डॉलर का राजस्व अर्जित किया जिसे वर्ष 2023 तक 100 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। यह फ्रांस और स्पेन की तुलना में अधिक है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में भारत में 1.4 करोड़ विदेशी पर्यटक आए थे। हालाँकि सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का योगदान 7 प्रतिशत रहा।
- वर्ष 2019 में यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र ने सकल घरेलू उत्पाद में 9.3 प्रतिशत का योगदान दिया और 5.9 प्रतिशत का निवेश प्राप्त किया।

पर्यटन उद्योग की महत्ता

- वैश्विक स्तर पर पर्यटन एक बड़ा उद्योग है। यह कई क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर सृजित करता है साथ ही अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। इसके महत्व का अनुमान केवल इस तथ्य से ही लगाया जा सकता है कि विश्व भर में पर्यटकों की संख्या वर्ष 1950 में 2.5 करोड़ थी, जबकि वर्ष 2018 में बढ़कर यह 125 करोड़ हो गई है।
- आँकड़ों की बात करें तो पर्यटन क्षेत्र में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 4.27 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। फिक्की की तरफ से जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में भारत को ट्रैवल और टूरिज़्म क्षेत्र में 10 लाख नौकरियाँ प्राप्त हुई हैं।

नोट :

- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2029 तक प्रति वर्ष इस सेक्टर में 10 लाख नौकरियाँ सृजित होने का अनुमान था। वर्ष 2019 के अंत तक भारत में इस क्षेत्र का कारोबार बढ़कर 35.40 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया, जो वर्ष 2018 में 17 लाख करोड़ रुपये के आसपास था।
- पिछले कुछ वर्षों में ट्रैवल और टूरिज़्म इंडस्ट्री में हुई प्रगति के बाद से कुछ वर्षों के भीतर ही आतिथ्य क्षेत्र (Hospitality Sector) ने भी काफी प्रगति की है।
- पर्यटन से भारत में महिलाओं के लिये भी रोज़गार के तमाम अवसर सृजित हुए हैं।
- विदित है कि वैश्विक स्तर पर अन्य क्षेत्रों के मुकाबले पर्यटन क्षेत्र में लगभग दोगुनी संख्या में महिलाएँ कार्यरत हैं। इस दृष्टि से पर्यटन क्षेत्र समाज में समानता तथा सामाजिक न्याय को समर्थन देने का भी माध्यम रहा है।
- आज भारत का पर्यटन उद्योग अपने पारंपरिक दायरों से निकल कर चिकित्सा और योग जैसे क्षेत्रों में फैल रहा है। नतीजतन भारत के लिये नई संभावनाओं व अवसरों का द्वारा खुला है।

अतुल्य भारत 2.0 अभियान की भूमिका

- पर्यटन मंत्रालय ने देश के विभिन्न गंतव्यों और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिये वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अतुल्य भारत 2.0 अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य विशिष्ट प्रचार योजनाओं के माध्यम से विरासत स्थलों की प्रसिद्धि का प्रचार-प्रसार करना है। इसमें पर्यटन की आध्यात्मिक, चिकित्सा और योग विधा शामिल है।
- अतुल्य भारत 2.0 अभियान डिजिटल और सोशल मीडिया पर अधिक ध्यान केंद्रित कर बाज़ार आधारित प्रचार योजनाओं और उत्पादन विशिष्टता के आधार पर रचनात्मकता में हो रहे सामयिक परिवर्तनों को दर्शाता है।
- इस अभियान के द्वारा पर्यटक सुविधाएँ विकसित करने के लिये सार्वजनिक और निज़ी कंपनियों को उत्तरदायित्व दिया जाएगा।

अतुल्य भारत अभियान

- अतुल्य भारत, भारतीय पर्यटन विभाग का एक अभियान है, जो देश-विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करता है।
- इस अभियान का उद्देश्य भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंच पर उभारना है।
- भारतीय पर्यटन विभाग ने सितंबर 2002 में 'अतुल्य भारत' नाम से इस नए अभियान को शुरू किया था।
- इस अभियान के तहत हिमालय, वन्य जीव, योग और आयुर्वेद की ओर अंतर्राष्ट्रीय समूह का ध्यान आकर्षित किया गया। वास्तव में इस अभियान से देश के पर्यटन क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं।
- देश की पर्यटन क्षमता को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने वाला यह इस प्रकार का पहला प्रयास था।

पर्यटन क्षेत्र की चुनौतियाँ

- भारत सरकार द्वारा पर्यटकों को प्रदान किये जाने वाले विभिन्न सुविधाओं के बावजूद अच्छी तरह से विकसित पर्यटन प्रणाली के समक्ष कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इन्हें हम दो स्थितियों (अ) वैश्विक महामारी से पूर्व और (ब) वैश्विक महामारी के बाद के आधार पर समझ सकते हैं-
- वैश्विक महामारी से पूर्व
  - बुनियादी ढाँचे का अभाव भारतीय पर्यटन क्षेत्र के लिये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। पर्यटन से जुड़ी आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना, होटल, कनेक्टिविटी, मानव संसाधन स्वास्थ्य सुविधाएँ आदि काफी हद तक भारत में विकसित होने की अवस्था में हैं। इस उदासीनता का मुख्य कारण वित्तीय संसाधनों का अपर्याप्त आवंटन है।
  - देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में फैली गंदगी एक अन्य समस्या है। बड़ी संख्या में पश्चिमी देशों के पर्यटक सिर्फ इसलिये भारत आना पसंद नहीं करते क्योंकि यहाँ पर्याप्त स्वच्छता का अभाव रहता है।
  - पर्यटकों की सुरक्षा विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों की, पर्यटन विकास के मार्ग में एक प्रमुख बाधा रही है। विदेशी नागरिकों पर विशेष रूप से महिलाओं पर हमले, दूरदराज के देशों के पर्यटकों के स्वागत के लिये भारत की क्षमता पर कुछ सवाल उठाते हैं।
  - देश के अधिकांश पर्यटन स्थलों तक आज भी गरीब, महिला और बुजुर्गों की पहुँच नहीं है। ऐसा यात्रा की उच्च लागत, खराब कनेक्टिविटी और विभिन्न स्तरों पर आवश्यक अनुमतियों की एक श्रृंखला के कारण होता है।

नोट :

- वैश्विक महामारी के बाद
  - वैश्विक महामारी के बाद पर्यटन के रूप में भारत को प्राप्त होने वाले विदेशी मुद्रा में कमी आएगी।
  - एक उद्योग के रूप में यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को अब स्थापित होने में काफी समय लगेगा।
  - यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य आधारित राज्य की आर्थिक स्थिति ख़राब हो सकती है। इनमें गोवा, तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर शामिल हैं।
  - चूँकि COVID-19 एक संचारी रोग है। जो मानव से मानव में संपर्क के द्वारा एक-दूसरे में फैलता है। अत: पर्यटन में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है।
  - घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक पर्यटन के दौरान विभिन्न होटलों, धर्मशालाओं जैसे स्थानों पर विश्राम करते हैं, वैश्विक महामारी के बाद इन विश्राम स्थलों में ठहरना सुरक्षित नहीं है।
  - पर्यटन के दौरान सार्वजनिक परिवहन के साधनों का प्रयोग हानिकारक साबित हो सकता है।
  - इस महामारी से जूझ रहे राज्य पर्यटन को लेकर नकारात्मक रुख प्रदर्शित कर सकते हैं।

महामारी से पूर्व पर्यटन के विकास हेतु प्रयास

- देश में पर्यटन सर्किट के विकास हेतु 'स्वदेश दर्शन' योजना, विरासत स्थलों के विकास हेतु 'हृदय' योजना तथा धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास हेतु 'प्रसाद' योजना लाई गई है। इसके अलावा पर्यटन स्थलों पर रोप-वे के निर्माण तथा रेलवे स्टेशनों और लॉजिस्टिक पार्कों के आसपास की वाणिज्यिक भूमि के विकास पर बल दिया गया है।
- विदेशी पर्यटकों के आगमन को सरल बनाने पर बल देते हुए सरकार ने 166 देशों के लिये ई-वीजा व्यवस्था की शुरूआत की है। विदित है कि इसकी अगली कड़ी के रूप में पर्यटन मंत्रालय द्वारा ई-वीजा (इलेक्ट्रॉनिक वीजा) शुल्क में कमी का प्रस्ताव किया गया है।
- सरकार ने कुछ समय पूर्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विदेशियों को पहुँचने के 24 घंटे के अंदर, विदेशी पंजीकरण कार्यालय में पंजीकरण कराने की बाध्यता को समाप्त कर दिया है।
- सरकार ने मुख्य पर्यटन स्थलों के बुनियादी ढाँचे के विकास और रख-रखाव पर भी बहुत ध्यान दिया है। 'स्वदेश दर्शन' और 'प्रसाद योजना' दो नई ऐसी योजनाओं की शुरूआत की गई है, जो देश में पर्यटन से जुड़ी आधारभूत अवसंरचना विकसित करेंगी।
- 'धरोहर गोद लो' योजना के द्वारा किसी एक विरासत स्थल को कॉर्पोरेट जगत द्वारा गोद लिया गया है। इसका उद्देश्य लोगों में अपनी विरासत के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करके उन्हें इनसे जोड़ना है।
- इसके अतिरिक्त अतुल्य भारत 2.0 अभियान यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को गति देने में सहायक होगा।

महामारी के बाद पर्यटन के विकास में संभावित प्रयास

- इस महामारी के बाद सरकार को स्वच्छता के विषय पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि भारतीय विरासत स्थलों की ओर पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके।
- सरकार को पर्यटन उद्योग को पुनर्स्थापित करने के लिये घरेलू पर्यटकों को प्रोत्साहित करना होगा।
- इस असाधारण परिस्थिति में असाधारण उपायों की आवश्यकता है। यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में व्यापक नवाचार लाने की ज़रूरत है।
- पर्यटन स्थलों पर किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने हेतु बेहतर स्वास्थ्य अवसंरचना को विकसित करना चाहिये।
- पर्यटन स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिये मानक प्रचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करवाना होगा।

वस्त्र उद्योग और आत्मनिर्भर भारत

संदर्भ

वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण प्रारंभ हुए आर्थिक संकट से निपटने के लिये सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को रीबूट (पुनर्जीवित) करने के लिये विकास की रणनीति के रूप में 'आत्मनिर्भरता' को अपनाया है। यह आर्थिक परिदृश्य के साथ ही अन्य सभी पहलुओं

नोट :

में एक मज़बूत राष्ट्र के रूप में उभरने के लिये भारत की अंतर्निहित शक्तियों के उपयोग के बारे में है। हालाँकि, सरकार को उन क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिये, जो पहले से ही आत्मनिर्भर हैं और सहायता मात्र से ही वैश्विक बाज़ार में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वस्त्र उद्योग ऐसे क्षेत्र का एक ज्वलंत उदाहरण है।

निश्चित रूप से वस्त्र उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि भारतीय वस्त्र उद्योग को बांग्लादेश और वियतनाम जैसे कई छोटे वैश्विक प्रतिभागियों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।

इस आलेख में भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का महत्त्व, वस्त्र उद्योग की समस्याएँ, सरकार के द्वारा किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा की जाएगी।

भारतीय वस्त्र उद्योग

- भारतीय वस्त्र उद्योग, अपनी समग्र मूल्य श्रृंखला, मजबूत कच्ची सामग्री तथा सशक्त विनिर्माण क्षमता के कारण विश्व के बड़े वस्त्र उद्योगों में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।
- इस उद्योग की विशिष्टता इसके व्यापक विस्तार में है जहाँ एक तरफ गहन पूँजी वाले मिल उद्यम हैं वहीं दूसरी ओर सूक्ष्म कारीगरी वाले हस्तशिल्प उद्योग हैं। मिल क्षेत्र, 50 मिलियन स्पिंडल्स (Spindles) और 8,42,000 रोटर्स से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली 3400 वस्त्र मिलों के साथ विश्व में दूसरे स्थान पर है।
- हथकरघा, हस्तशिल्प और छोटे स्तर की विद्युतकरघा इकाई जैसे परंपरागत क्षेत्र ग्रामीण व अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिये रोज़गार के बड़े स्रोत हैं।
- भारतीय वस्त्र उद्योग के कृषि तथा देश की संस्कृति तथा परंपराओं के साथ नैसर्गिक संबंध हैं जो घरेलू तथा निर्यात बाज़ारों, दोनों के लिये उपयुक्त उत्पादों के बहुआयामी विस्तार को संभव बनाते हैं।
- वस्त्र उद्योग को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:
  - असंगठित क्षेत्र: असंगठित क्षेत्र छोटे पैमाने पर विद्यमान है और इसमें पारंपरिक उपकरणों एवं विधियों का उपयोग किया जाता है। इसमें हथकरघा, हस्तशिल्प और रेशम कीट पालन/सेरीकल्चर (sericulture) शामिल हैं।
  - संगठित क्षेत्र: संगठित क्षेत्र में आधुनिक मशीनरी तथा तकनीकों का उपयोग किया जाता है एवं इसमें कताई, परिधान और पोशाक निर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

वस्त्र उद्योग महत्त्वपूर्ण क्यों है?

- वस्त्र उद्योग, मूल्य के रूप में उद्योग के आउटपुट में 7 प्रतिशत, भारत की जीडीपी में 2 प्रतिशत तथा देश की निर्यात आय में 12 प्रतिशत का योगदान देता है।
- वस्त्र उद्योग कृषि के बाद प्रत्यक्ष रूप से 10 करोड़ से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान करता है।
- उल्लेखनीय है कि नीति आयोग के विज़न डॉक्यूमेंट के अनुसार अगले 7 वर्षों में यह क्षेत्र 130 मिलियन रोज़गार मुहैया करा सकता है।
- वस्त्र उद्योग ऐसा क्षेत्र है, जो कृषि और उद्योग के बीच सेतु का कार्य करता है। कपास की खेती हो या रेशम का उत्पादन, इस उद्योग पर बहुत कुछ निर्भर करता है।
- वस्त्र उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये औद्योगिक उत्पादन, रोज़गार सृजन और निर्यात से प्राप्त आय में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। उद्योग में कपास, प्राकृतिक और मानव निर्मित फाइबर, रेशम आधारित वस्त्र, हाथ से बुना हुआ परिधान और अन्य परिधान शामिल हैं। भारत वर्तमान में वस्त्रों के कुल वैश्विक निर्यात में लगभग 4.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है।
- वस्त्र उद्योग न केवल लाखों परिवारों का पेट भरने का काम करता है, बल्कि यह पारंपरिक कौशल और विरासत का भंडार होने के साथ-साथ हमारी संस्कृति का वाहक भी है।

वस्त्र उद्योग की समस्याएँ

- पुरातन श्रम कानून: इसके तहत विवाद का प्रमुख कारण यह कानून है कि 100 या अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने वाली किसी भी फर्म को उन्हें किसी भी प्रकार की नौकरी से निकालने या छंटनी करने से पहले, श्रम विभाग से अनुमति लेनी होगी।

नोट :

- लोगों को काम पर रखने और काम से निकालने की प्रक्रिया में लचीलापन लाने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 जैसे श्रम कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिये।
- ऐसी फर्मों के आकार का परिसीमन किया जाना चाहिये जिनके लिये रोज़गार को समाप्त करने से पहले श्रम विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है और सभी फर्मों की दक्षता को प्रोत्साहित करने के मामले में निर्णय लेने की छूट दी जानी चाहिये।

- मुक्त व्यापार समझौते: दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता (South Asia Free Trade Agreement-SAFTA) जैसे कुछ प्रमुख मुक्त व्यापार समझौतों ने बांग्लादेश जैसे देश को भारत के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने में सहायता प्रदान की है, जिन्हें भारतीय बाज़ार तक पहुँच के लिये शून्य शुल्क देना होता है। सरकार को इस तरह के समझौते पर फिर से विचार करना चाहिये और समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिये।
- सब्सिडी के वितरण में देरी: उद्योग संचालन को आधुनिक बनाने में मदद करने के लिये प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (Technology Upgradation Fund Scheme-TUFS) के तहत सब्सिडी के वितरण में तेज़ी लानी चाहिये।
- कर संरचना के मुद्दे: जटिल वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Service tax) संरचना घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में वस्त्रों को महँगा और अप्रभावी बना देता है।
- पुरातन तकनीक: भारतीय वस्त्र उद्योग की नवीनतम प्रौद्योगिकी (विशेष रूप से छोटे उद्योगों में) तक पहुँच की सीमाएँ हैं और प्रतिस्पर्धी बाज़ार में वैश्विक मानकों को पूरा करने में विफलताएँ हैं।
- स्थिर निर्यात: वस्त्र उद्योग का निर्यात पिछले छह वर्षों से 40 अरब डॉलर के स्तर पर स्थिर रहा है।
- मानकों का अभाव: भारत में परिधान इकाइयों का औसत आकार 100 मशीनों का है, जो बांग्लादेश की तुलना में बहुत कम है, जहाँ प्रति कारखाने में औसतन कम से कम 500 मशीनें हैं।
- विदेशी निवेश का अभाव: विदेशी निवेशक उपर्युक्त चुनौतियों के कारण वस्त्र उद्योग में निवेश करने के लिये बहुत उत्साहित नहीं हैं जो एक चिंता का विषय है। COVID-19 से उपजी हुई परिस्थितियों से निपटने के लिये वस्त्र उद्योग को अत्यधिक विदेशी निवेश की आवश्यकता है।

समाधान के प्रयास

भारत के विकास को समावेशी तथा प्रतिभागी बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार का मुख्य जोर वस्त्र क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण करना, नवाचार को बढ़ावा देने वाली प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना है। साथ ही साथ कौशल तथा परंपरागत शक्तियों को बढ़ाकर वस्त्र विनिर्माण में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं-

- श्रम कानूनों में सुधार: COVID-19 से उपजी हुई परिस्थितियों से निपटने के लिये विभिन्न राज्य सरकारों ने श्रम कानूनों में व्यापक सुधार किये हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार प्रमुख हैं।
- ड्यूटी ड्रॉबैक कवरेज में वृद्धि: यह अपनी तरह की पहली योजना है जिसके तहत राज्य यदि लेवियों के रूप में पुनर्अदायगी नहीं कर पाया है तो अब उसकी अदायगी केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन: संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत वर्ष 2022 तक लगभग 95,000 करोड़ रुपये के नये निवेश को प्रेरित करने तथा लगभग 35 लाख लोगों के लिये रोज़गार के सृजन का लक्ष्य रखा गया है।
- एकीकृत कौशल विकास योजना: वस्त्र क्षेत्र में कुशल श्रमशक्ति की कमी को दूर करने के उद्देश्य से वस्त्र मंत्रालय 15 लाख अतिरिक्त कुशल श्रम शक्ति उपलब्ध कराने के लिये एकीकृत कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इसके लिये सरकार ने 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किये हैं।
- वस्त्र उद्योग के कामगारों हेतु आवास: वस्त्र कामगारों की आवास योजना की शुरूआत 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। इस योजना का उद्देश्य वस्त्र उद्योग के कामगारों को उद्योगों के उच्च बहुलता वाले क्षेत्र के नज़दीक सुरक्षित पर्याप्त और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना है।
- शैक्षिक सुविधाएँ: बुनकरों को उनके अनुकूल शैक्षणिक सेवा उपलब्ध कराने के लिये इग्नू तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं, जिसके तहत मंत्रालय SC, ST, बीपीएल एवं महिला बुनकरों के मामले में फीस का 75 प्रतिशत उपलब्ध कराती है।

नोट :

आगे की राह

- संगठित क्षेत्र में विस्तार: भारत, वस्त्र उद्योग के लिये मेगा परिधान पार्क और सामान्य बुनियादी ढाँचा स्थापित करके इस क्षेत्र को संगठित कर सकता है।
- उद्योगों का आधुनिकीकरण: सरकार का मुख्य फोकस अप्रचलित मशीनरी और प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण पर होना चाहिये। यह वस्त्र उद्योग के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में सहायता कर सकता है और इस तरह निर्यात को भी बढ़ा सकता है।
- राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (Amended Technology Up-gradation Fund Scheme-ATUFS) और एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (Integrated Wool Development Programme-IWDP) जैसे कार्यक्रमों को सबसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिये।
- विदेशी निवेश आकर्षित करना: भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिये कई निर्यात प्रोत्साहन नीतियों को अपनाया है। उदाहरण के लिये, भारत ने स्वचालित मार्ग के तहत भारतीय वस्त्र उद्योग में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दी है।

सामरिक पेट्रोलियम भंडार: महत्त्व व चुनौतियाँ

संदर्भ

वैश्विक महामारी COVID-19 से उपजे संकट से निपटने के लिये लागू किये गए लॉकडाउन के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में कमी के चलते मई, 2019 की तुलना में मई, 2020 में भारत में कच्चे तेल का उत्पादन 7.1 प्रतिशत तक गिर गया है। हालाँकि वित्त वर्ष 2012-13 के बाद से प्रत्येक वर्ष कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन घट रहा है। वार्षिक कच्चे तेल का उत्पादन वित्त वर्ष 2012-13 में 38,089.7 हजार मीट्रिक टन (Thousand Metric Tonnes) से घटकर वित्त वर्ष 2019-20 में 32,169.3 हजार मीट्रिक टन हो गया है।

वस्तुत: भारत ने कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के मद्देनज़र अपने सामरिक तेल भंडार में वृद्धि की है और वर्ष के अंत तक इसके बढ़ने की उम्मीद है, किंतु इसके बावजूद वित्तीय वर्ष 2020 में देश का तेल आयात बिल 100 बिलियन डॉलर के आसपास रह सकता है, जो कि वित्तीय वर्ष 2019 के तेल आयात बिल (111.9 बिलियन डॉलर) से कम है।

इस आलेख में सामरिक तेल भंडार की आवश्यकता, ऊर्जा के प्रमुख व वैकल्पिक स्रोत, सामरिक तेल भंडार के मामले में भारत की स्थिति व इसके प्रभाव के संदर्भ में व्यापक चर्चा की जाएगी।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1990 में पश्चिमी एशिया में जब खाड़ी युद्ध हुआ था तो उस समय भारत के समक्ष कच्चे तेल को लेकर एक बहुत बड़ा संकट आ गया था।
- उस समय भारत के पास बस केवल इतना ही तेल शेष था जिससे मात्र कुछ दिन ही दैनिक कार्य किये जा सकते थे। उस समय तो किसी प्रकार से संकट टल गया था परंतु आज भी इस प्रकार के संकट की आशंका बनी हुई है।
- भारत की ऊर्जा मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन (fossil fuels) पर पूर्णतया निर्भर है। ईंधन का 80 प्रतिशत आयात विशेषकर पश्चिम एशिया से किया जाता है। यदि किसी कारण से पश्चिम एशिया में युद्ध की पृष्ठभूमि बन जाए तो आपूर्ति का संकट तो आएगा ही, देश का चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) भी बड़े पैमाने पर बढ़ सकता है।
- इन तथ्यों को ध्यान में रखकर तत्कालीन सरकार ने वर्ष 1998 में सामरिक पेट्रोलियम भंडारण की नीति को अनुमति दी थी।
- हाल ही में 'वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट' (West Texas Intermediate- WTI) क्रूड ऑयल की कीमत नकारात्मक रही जो इस ओर संकेत करता है कि देशों के पास तेल को भंडारित करने के लिये पर्याप्त भंडारण क्षमता की कमी है।

वेस्ट टेक्सस इंटरमिडिएट

- वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 'ब्रेंट' और 'दुबई क्रूड' के साथ तेल मूल्य निर्धारण के तीन मुख्य बेंचमार्क में से एक है।
- अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन मुख्यत: टेक्सस (Texas), नार्थ डेकोटा (North Dakota) और लुसियाना (Louisiana) राज्य में होता है।

नोट :

- ईंधन के रूप में खनिज तेल के प्रयोग के अतिरिक्त वायदा बाज़ार (Future Market) में एक कमोडिटी (Commodity) के रूप में इसका व्यापार भी किया जाता है।
- WTI के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट (Future Contract) का व्यापार 'न्यूयार्क मर्चेंटाइल एक्सचेंज' (New York Mercantile Exchange- NYMEX) में किया जाता है और WTI की कीमत को अमेरिकी तेल बाज़ार में बेंचमार्क (Benchmark) के रूप में देखा जाता है।

सामरिक पेट्रोलियम भंडार से तात्पर्य ?

- पहली बार तेल के संकट के बाद सामरिक भंडार की इस अवधारणा को वर्ष 1973 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लाया गया था।
- पृथ्वी की सतह के नीचे गहरी गुफाओं में भंडारण की अवधारणा को पारंपरिक रूप से एक ऊर्जा सुरक्षा उपाय के रूप में लाया गया है जो भविष्य में हमले या आक्रमण के कारण तेल की आपूर्ति में कमी आने पर सहायक हो सकती हैं।
- यह भूमिगत भंडारण, पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण की अब तक की सबसे अच्छी आर्थिक विधि है, क्योंकि भूमिगत सुविधा भूमि के बड़े स्तर की आवश्यकता को नियंत्रित करती है, कम वाष्पीकरण सुनिश्चित करती है, क्योंकि गुफाओं का निर्माण समुद्र तल से बहुत नीचे किया जाता है, इसलिये कच्चे तेल का निर्वहन जहाज़ो से करना आसान होता है।

पेट्रोलियम निष्कर्षण व शोधन

- पेट्रोलियम धरातल के नीचे स्थित अवसादी परतों के बीच पाया जाने वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन का काले-भूरे रंग का तैलीय द्रव है, जिसका प्रयोग वर्तमान में ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम को 'जीवाश्म ईंधन' भी कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण धरातल के नीचे उच्च ताप व दाब की परिस्थितियों में मृत जीव-जंतुओं व वनस्पतियों के जीवाश्मों के रासायनिक रूपान्तरण से होता है।
- विश्व में सबसे पहले पेट्रोलियम कुएँ की खुदाई संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिलवेनिया राज्य में स्थित 'टाइटसविले' स्थान पर की गई थी। 'ड्रिलिंग' से प्राप्त होने वाले पेट्रोलियम को 'कच्चा तेल' (Crude Oil) कहा जाता है।
- कच्चे तेल को रिफाइनरियों में प्रसंस्कृत किया जाता है। पेट्रोलियम से ही पेट्रोल, मिट्टी के तेल, विभिन्न हाइड्रोकार्बन, ईंथर, प्रकृतिक गैस आदि को प्राप्त किया जाता है।
- पेट्रोलियम से इसके अवयवों को अलग करने की विधि 'प्रभावी आसवन विधि' (Fractional Distillation Method) कहा जाता है। इसे 'पेट्रोलियम शोधन' (Petroleum Refining) कहा जाता है।

भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार

- भारत के सामरिक कच्चे तेल के भंडार वर्तमान में विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), मंगलौर (कर्नाटक) और पादुर (कर्नाटक) में स्थित हैं।
- इनके अलावा सरकार ने चंदीखोल (ओडिशा) और पादुर (कर्नाटक) में दो अतिरिक्त सुविधाएँ स्थापित करने की घोषणा की थी।

सामरिक पेट्रोलियम भंडार की क्षमता

- वर्तमान में भारत आपातकालीन आवश्यकताओं के लिये तेल भंडारण करता है। वर्तमान में 'सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम' (Strategic Petroleum Reserves programme- SPRP) के तहत भारत 87 दिनों तक आवश्यकता पूर्ति की भंडारण क्षमता रखता है।
- इसमें से लगभग 65 दिनों की आवश्यकता पूर्ति को तेल प्रसंस्करण इकाइयाँ जबकि शेष भंडार 'भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड' (Indian Strategic Petroleum Reserves Limited- ISPRL) द्वारा बनाए गए भूमिगत भंडार के रूप में अनुरक्षित किया जाता है। भूमिगत भंडार की वर्तमान क्षमता 10 दिनों के तेल आयात के बराबर है।

पेट्रोलियम भंडारण के लाभ

- कच्चे तेल के ऐसे भूमिगत भंडारण के कई लाभ हैं। पहला लाभ तो यह है कि किसी युद्ध या आपदा की स्थिति में देश की ऊर्जा सुरक्षा अचानक खतरे में नहीं पड़ती है।
- वर्ष 1991 में खाड़ी युद्ध के समय इस प्रकार के सामरिक पेट्रोलियम भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका के लिये काफी लाभदायक सिद्ध हुए थे।

नोट :

- दूसरा लाभ यह है कि कच्चे तेल की कीमतें अचानक बहुत ज्यादा होने पर इस रिज़र्व स्टॉक के इस्तेमाल से देश में तेल की कीमतें काबू में रखी जा सकती हैं।
- इसके अलावा भूमिगत भंडारण कच्चे तेल को रखने का सबसे कम व्यय वाला तरीका है।
- चूँकि भंडार काफी गहराई में होता है, इसलिये बड़े पैमाने पर ज़मीन के अधिग्रहण और सुरक्षा इंतजाम की जरूरत नहीं पड़ती।

भारत में तेल भंडारण से जुड़ी समस्याएँ

- तेल भंडार में पारदर्शिता के अभाव के कारण तेल को समय पर उपयोग करने में अनेक अड़चनें हैं जिससे SPR तेल की कीमत सामान्यत: बहुत अधिक रहती है। वास्तव में निजी रिफाइनरियों के पास पर्याप्त 'सामरिक पेट्रोल भंडार' होते हैं परंतु इनके द्वारा यह भंडारण किस रूप में (क्रूड या रिफाइंड) तथा कहाँ किया जाता है, इस संबंध में पूरी तरह पारदर्शिता का अभाव रहता है।
- दूसरा मुद्दा रिफाइनरी की धारिता से संबंधित है। भारत में SPR तेल रिफाइनरियों, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के नियंत्रण में है। हालाँकि स्टॉक रखने वाली अधिकांश रिफाइनरी सार्वजनिक रूप से स्वामित्व वाली कंपनियां हैं।
- भारत तेल भंडारण के लिये ओमान जैसे देशों में सामरिक तेल भंडार स्थापित कर सकता है, हालाँकि इन स्थानों के साथ भू-राजनीतिक जोखिम भी हो सकते हैं।

समाधान के प्रयास

- भारत के अन्य रणनीतिक भंडार (यथा विदेशी मुद्रा भंडार) जिसमें स्पष्ट प्रक्रियाओं, प्रोटोकॉल तथा आँकड़ों को जारी करने की आवश्यकता होती है, उसी SPR भंडारण के लिये भी स्पष्ट सार्वजनिक तथा संसदीय जाँच की आवश्यकता होनी चाहिये।
- SPR संबंधी सूचना के बारे में गोपनीयता के बजाय इसे समय पर और विश्वसनीय रूप से उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिये।
- SPR पर अलग-अलग इकाइयों का नियंत्रण होने के कारण, इन तेल भंडारों को समय पर उपयोग करने में बाधा उत्पन्न होती है इससे तेल की गतिशीलता प्रक्रिया काफी अस्पष्टता तथा जटिल बन जाती है। अत: SPR के संबंध में विभिन्न इकाइयों की भूमिका और प्रक्रिया में स्पष्टता होनी चाहिये।
- आपात स्थितियों में जोखिमों को कम करने के लिये भारत को अपने SPR धारिता में विविधता लानी चाहिये। यह विविधता भौगोलिक स्थान (तेल घरेलू या विदेश में भंडारण), भंडारण स्थान (भूमिगत या अधितल) और उत्पाद के स्वरूप (क्रूड ऑयल या परिष्कृत ऑयल) पर आधारित हो सकती है।
- स्वामित्त्व में विविधता भी एक महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है। यह सार्वजनिक ISPRL के माध्यम से या निजी तेल कंपनियों के माध्यम से अथवा विदेशी कंपनियों के स्वामित्त्व में हो सकता है।

आगे की राह

- भारत को वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर तेल की कम कीमतों का लाभ उठाना चाहिये तथा भारत की ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में तेल खरीदने और अपनी 'सामरिक पेट्रोलियम भंडार' (Strategic Petroleum Reserves- SPR) को भरने के सुअवसर के रूप में देखना चाहिये।
- भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडारण की प्रक्रियाओं, प्रोटोकॉल और तथ्यों को अधिक सार्वजनिक किये जाने और उनकी संसदीय जाँच करने की आवश्यकता होती है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

अफ्रीका महाद्वीप: रणनीतिक महत्त्व का केंद्र

संदर्भ

वैश्विक महामारी COVID-19 का प्रसार विश्व के लगभग सभी देशों में हो चुका है। अफ्रीका महाद्वीप भी इस महामारी से अछूता नहीं रहा है, लेकिन इसका प्रभाव विशेष रूप से अफ्रीका में विनाशकारी हो सकता है क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में आर्थिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति बेहद कमज़ोर है। अफ्रीकी देशों ने न केवल मास्क, वेंटिलेटर बल्कि साबुन और पानी जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की कमी के बावजूद कोरोना वायरस के प्रारंभिक प्रसार पर अंकुश लगाने के लिये तेजी से कदम उठाए हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य की बेहद कमजोर स्थिति के कारण अफ्रीका वाह्य सहायता पर निर्भर है। अफ्रीका को इस वैश्विक महामारी में कार्य कर रहे अग्रिम पंक्ति के सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिये चिकित्सा सुरक्षा उपकरण और समर्थन की आवश्यकता है। एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ अफ्रीका में लंबे समय से कार्यरत हैं, भारत और चीन ने चिकित्सा सहायता के माध्यम से अफ्रीका में अपनी पहुँच बढ़ाई है। भारत और अफ्रीका के बीच अनुक्रियाओं का एक दीर्घ और समृद्ध इतिहास रहा है जिसमें दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर आधारित सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विनिमय उल्लेखनीय हैं। हाल के वर्षों में इन सबंधों को आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिये कई कदम उठाए गए हैं।

भारत-अफ्रीका संबंध

- भारत का अफ्रीकी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना कोई नई बात नहीं है। पिछले 3-4 दशकों से भारत ने इस महाद्वीप के साथ सक्रिय रूप से कार्य किया है। हालाँकि, पिछले दशक से इसमें और तेज़ी आई है और साथ ही कुछ वर्षों में इस संबंध में कई गुना वृद्धि देखी गई है।
- दिल्ली में तीसरे भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन की ताजपोशी के दौरान भारत ने पहली बार अफ्रीका को एक गुट के रूप में नहीं देखा था बल्कि अफ्रीकी गुट वाले व्यक्तिगत देशों के रूप में देखा था।
- रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से अफ्रीका हमारे लिये बहुत महत्त्वपूर्ण है।
- भारत जापान के साथ एशिया-अफ्रीका गलियारे जैसे त्रिपक्षीय साझेदारी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और मुखर होकर बॉटम-अप साझेदारी दृष्टिकोण को अपना रहा है।
- पिछले दशकों में भारत द्वारा अफ्रीका के साथ संवाद कायम किया गया है न कि एकतरफा एकालाप। इस प्रकार भारत ने अफ्रीकी लोगों में आत्मविश्वास उत्पन्न किया है।
- अफ्रीकी देशों के साथ भारत की भागीदारी हमेशा द्विपक्षीय रही है। उदाहरण के तौर पर भारत-दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंध को देखा जा सकता है। जिन विभिन्न व्यापारिक गुटों के साथ साझेदारी के लिये प्रयास किया जाना चाहिये उनमें से COMESA, ECOWAS, ECCAS, अफ्रीका के मुक्त व्यापार क्षेत्र प्रमुख हैं।

भारत-अफ्रीका के मध्य सहयोग के क्षेत्र

- आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध
  - भारत व अफ्रीकी संबंधों के प्रारंभिक दशकों में दोनों के मध्य व्यापार लगभग नगण्य था लेकिन वर्तमान में यह 65 बिलियन डॉलर का स्तर पार कर चुका है। भारत और अफ्रीकी संघ के देश मिलकर विश्व जनसंख्या का लगभग एक तिहाई हैं, अत: एक-दूसरे का ध्यान रखते हुए सहयोग करना और आगे बढ़ना लाभकारी है।
  - भारत का व्यवसाय और उद्यम इसकी स्थिति बदलते रहे हैं और वर्तमान में अफ्रीका में बड़ी संख्या में भारतीय कंपनियाँ मौजूद हैं। अत: वर्ष 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के बाद राष्ट्र निर्माण का भाव परिवर्तित हो चुका है और भारतीय उद्यम काफी प्रभावशाली और बहुराष्ट्रीय हो गए हैं।

नोट :

- अफ्रीका के बारे में एक विविधतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाए क्योंकि वहाँ अन्य के अलावा अंग्रेजीभाषी, फ्रेंचभाषी और पुर्तगालीभाषी (अफ्रीकी देशों का भाषाई वर्गीकरण) हैं। अंग्रेजीभाषी अफ्रीकियों के साथ व्यापार एवं व्यवसाय के हमारे पारंपरिक रिश्ते रहे हैं, लेकिन बाकी अन्य दो के साथ हमारे रिश्ते शुरू होने की प्रक्रिया में हैं और उन पर और बल दिये जाने की आवश्यकता है।
- भारत को यूरेनियम, सोना, प्लूटोनियम, कॉपर आदि जैसे कच्चे माल की आवश्यकता है जिसे अफ्रीका से मंगाया जा सकता है और इसके बदले भारत उन्हें तैयार उत्पाद दे सकता है। हमारे कई हित विषम हैं जहाँ भारत कुछ बेहतर स्थिति में है जिसे हम और आगे ले जा सकते हैं।

- सुरक्षा
  - भारत और अफ्रीकी राष्ट्रों- दोनों द्वारा सुरक्षा आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये और प्रशिक्षण मामले में दोनों एक-दूसरे की सहायता कर सकते हैं।
  - आतंकवाद रोधी और समुद्री डकैती रोधी गठबंधन द्वारा समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिये समुद्री सुरक्षा को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है।
  - आतंकवादी संपर्क के कारण सुरक्षा संबंध लगातार महत्त्वपूर्ण बने हुए हैं। अफ्रीका में दो बड़े आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र में बोको हरम तथा पूर्व अफ्रीकी क्षेत्र में अल-शबाब। ये दोनों बड़े बहुराष्ट्रीय आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े हैं जो आगे पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ जाते हैं।
  - भारत और अफ्रीका के सामान्य हित के क्षेत्र, जैसे- सुरक्षा के क्षेत्र के रूप में हिंद महासागर और आर्थिक सहयोग के मुद्दों पर और ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
- कृषि
  - इस क्षेत्र में सहयोग अत्यधिक संभावना है क्योंकि कई अफ्रीकी देशों में बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त कृषि भूमि है। इसमें उद्यम करने पर खाद्य सुरक्षा मुद्दे को हल किया जा सकता है।
  - इस क्षेत्र की भारत के साथ पूरकता है क्योंकि हमारे पास कृषि उत्पादन में दक्ष जनसंख्या, एक बड़ा बाजार और प्रोसेसिंग क्षमता है।
  - अफ्रीका में भारतीयों के लिये कृषि कार्य को संभव बनाने के लिये भारत सरकार को एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) या इकाई बनानी चाहिये, क्योंकि इस प्रकार के विशाल उद्यम की व्यवस्था करना किसी एकल निकाय के लिये संभव नहीं है।

विशेष प्रयोजन वाहन

- विशेष प्रयोजन वाहन को विशेष प्रयोजन इकाई भी कहा जाता है, यह वित्तीय जोखिमों को अलग रखने के लिये मूल कंपनी द्वारा निर्मित एक सहायक संस्था है। एक अलग कंपनी के रूप में इसकी कानूनी स्थिति इसके उत्तरदायित्वों को सुरक्षित करती है, चाहे मूल कंपनी दिवालिया ही क्यों न हो जाए।
- सामान्य जुड़ाव
  - भूतकाल से संबद्धताएँ जैसे गांधी-मंडेला-एंक्रूमा जैसे नेताओं को आपस में संबद्ध करके।
  - उपनिवेश विरोधी, जातिवाद अपनी जड़ों को खोज रहा है और वह उसे पुन: प्राप्त करना चाहता है अत: हमें इस कारक का दोहन करना चाहिये जिसमें पारंपरिक और सांस्कृतिक जुड़ाव, जैसे- बंबइया फिल्में और शास्त्रीय नृत्य एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
  - भारत को अफ्रीका तक पहुँच बनाने और चीन की तरह संबद्ध होने की आवश्यकता है ताकि हमारी संस्कृतियों का मिश्रण हो सके और विकास के लिये और अधिक संभावनाएँ खोजी जा सकें।

अफ्रीकी संघ

- अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय निकाय है जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 55 सदस्य देश शामिल हैं।
- इसे वर्ष 1963 में स्थापित अफ्रीकी एकता संगठन (Organisation of African Unity) के स्थान पर आधिकारिक रूप से जुलाई 2002 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गठित किया गया।
- अफ्रीकी संघ का सचिवालय आदिस अबाबा में स्थित है।

नोट :

उद्देश्य

- अफ्रीकी देशों और उनके लोगों के बीच अधिक एकता और एकजुटता हासिल करना।
- अपने सदस्य देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा करना।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- व्यापार, रक्षा और विदेशी संबंधों पर सामान्य नीतियों को विकसित करना और बढ़ावा देना, ताकि महाद्वीप की रक्षा और इसकी वार्ता की स्थिति को मज़बूत किया जा सके।

संबंधों को बेहतर करने में सहायक उपाय

- विविधता पर ध्यान देना: प्रत्येक राष्ट्र की वैयक्तिकता का भिन्न तरीके से ध्यान रखकर , क्योंकि अफ्रीका एक एकल राजनीतिक इकाई नहीं है और यहाँ काफी विविधता है।
- सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करके: सभ्यता संबंधी एवं ऐतिहासिक संबंधों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ने पर, क्योंकि संबंधों को और आगे ले जाने के लिये विश्वास और आत्मविश्वास ज़रूरी हैं।
- आकांक्षापूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के लिये समर्थन: आकांक्षापूर्ण अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाएँ जो भारत के समान स्तर पर आना चाहती हैं, उन्हें समर्थन प्रदान कर (एजेंडा 2063)।

एजेंडा 2063: अफ्रीका को भविष्य के वैश्विक पावर हाउस में रूपांतरित करने के लिये यह अफ्रीका का ब्लूप्रिंट और मास्टर प्लान है। यह महाद्वीप का रणनीतिक ढाँचा है जो समावेशी और संवहनीय विकास के लिये इसके लक्ष्यों को प्रदान करने हेतु लक्षित है और एकता, आत्मनिर्णय, स्वतंत्रता, उन्नति और सामूहिक समृद्धि के लिये पैन-अफ्रीकन अभियान की ठोस अभिव्यक्ति है।

- संवृद्धि और विकास: आर्थिक संवृद्धि, आर्थिक एवं औद्योगिक साझेदारी पर ध्यान केन्द्रित कर, पहले से परिकल्पित परियोजनाओं पर साथ कार्य करने के लिये सहक्रिया खोजना और चालू योजनाओं पर उन्हें लागू करना।
- सुरक्षा: विवाद का भाव पैदा किये बिना अपने स्वयं के सुरक्षा हितों को सावधानी से व्यवस्थित करना। ऐसा न करने पर यह एक नाजुक स्थिति बन सकती है तथा और अधिक असुरक्षा को जन्म दे सकती है। अत: उस प्रकार के संपर्कों पर कार्य करना, विश्वास को मजबूत करना और भावी फ़ायदों के लिये कार्य करना।

आगे की राह

- भारत और अफ्रीका को एक मज़बूत आधार बनाने की आवश्यकता है जो पहले से ही विद्यमान है तथा सतत तरीके से और अधिक कूटनीतिक मिशन स्थापित करने और अधिक व्यापार मिशन, लगातार उच्चस्तरीय अनुबंध हेतु कार्य करना चाहिये, जिसमें शिखर स्तर पर संपर्क भी शामिल है। महत्त्वपूर्ण रूप से भारतीय अनुसंधान संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अफ्रीका के अध्ययन के विकास के लिये सतत प्रयास किए जाने चाहिये।
- सहयोग के समकालीन क्षेत्रों, जैसे- अर्थव्यवस्था, निवेश, अवसंरचना विकास और मानव संसाधन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।
- हमें अफ्रीकी लोगों के विकास में सहयोग करने की आवश्यकता है इसके लिये हमें डॉक्टरों, शिक्षकों और अन्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करना ज़रूरी है। हमें पश्चिम अफ्रीकी देशों में अपनी उपस्थिति बनाए रखने की आवश्यकता होगी क्योंकि वे प्राकृतिक संसाधनों में विशेष रूप से तेल और कच्चे माल में समृद्ध हैं।

फारस की खाड़ी: पश्चिम एशिया में रणनीतिक महत्त्व का केंद्र

संदर्भ

फारस की खाड़ी, पश्चिम एशिया में हिंद महासागर का एक विस्तार है, जो ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच फैला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र इस जल स्रोत को फारस की खाड़ी (Persian Gulf) के रूप में परिभाषित करता है। इस जल स्रोत के चारों ओर की भूमि को आठ खाड़ी देशों यथा- बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा संयुक्त रूप से साझा किया जाता है। इन खाड़ी देशों का कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक होने के कारण उनके बीच आर्थिक हितों की समानता भी है, और इस तरह खाड़ी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। फारस की खाड़ी के कारण इस क्षेत्र का भू-राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है।

नोट :

इस क्षेत्र में शक्ति के दो केंद्र हैं। जहाँ एक ओर शिया मुस्लिम बाहुल्य ईरान है तो वहीं दूसरी ओर सुन्नी मुस्लिम बाहुल्य सऊदी अरब है। पश्चिम एशिया में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिये दोनों शक्तियाँ कई बार एक-दूसरे के आमने-सामने आ चुकी हैं। इतना ही नहीं फारस की खाड़ी में तैनात युद्धपोतों और मालवाहक पोतों पर संयुक्त राज्य अमेरिका व ईरान द्वारा एक-दूसरे पर हमला करने की धमकी से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। ऐसी स्थिति में शांति बहाल करने हेतु इस क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा की नीति को अपनाने पर बल दिया जा रहा है, जिसमें खाड़ी सहयोग परिषद की प्रमुख भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है।

पृठभूमि

- वर्ष 1970 से आठ दशक पूर्व तक इस जल स्रोत का नियंत्रण और पर्यवेक्षण ब्रिटिश शासन के द्वारा किया जाता था। उस दौरान इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आपसी प्रतिस्पर्धा कम ही देखने को मिलती थी।
- 1970 के दशक के अंतिम दौर में इस क्षेत्र में तेल के भंडार पाए जाने के बाद कई क्षेत्रीय शक्तियाँ उभरने लगी और यह क्षेत्र आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गया।
- इस क्षेत्र में सऊदी अरब व ईरान के बीच चल रहे तनाव के कारण वर्ष 1975 में निक्सन और कार्टर डॉक्ट्रिन (The Nixon and the Carter Doctrines) के द्वारा एक सामूहिक सुरक्षा नीति का प्रस्ताव रखा गया, परंतु इस प्रस्ताव को इराक की बाथ पार्टी (Baath Party) के द्वारा निरस्त कर दिया गया।
- ईरान-इराक युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nation Security Council) ने वर्ष 1987 में प्रस्ताव 598 के द्वारा इस क्षेत्र में शांति और स्थायित्व स्थापित करने का प्रयास किया।

सऊदी अरब और ईरान की स्थिति

- ऐसा ही एक क्षेत्रीय संघर्ष सऊदी अरब और ईरान के बीच चल रहा है। वर्ष 1979 की ईरानी क्रांति के समय से ही शिया प्रभुत्व वाले ईरान तथा सुन्नी प्रभुत्व वाले सऊदी अरब में एक दूसरे के प्रति शत्रुता की स्थिति बनी हुई है।
- पिछले चार दशकों में इन दोनों देशों के बीच तनाव में लगातार वृद्धि ही हुई है। इन दोनों देशों के सहयोगी राष्ट्रों का विशिष्ट समूह है और इन राष्ट्रों के एक दूसरे के साथ प्रतिकूल संबंध भी हैं। इसके कारण पश्चिम एशिया की भू-राजनीति काफी अस्थिर है।
- भारत के लिये अच्छी बात यह है कि वह इस क्षेत्र में एक 'निष्क्रिय खिलाड़ी' बनकर दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में सक्षम रहा है। ऐसा इसलिये है क्योंकि खुले तौर पर किसी एक देश का पक्ष लेना इसके राष्ट्रीय हित के लिये बेहद हानिकारक होगा।

तेल पर केंद्रित पश्चिम एशिया का भूगोल

- अकूत तेल के भंडार मिलने के बाद पिछली एक सदी से पश्चिम एशिया का भूगोल, राजनीति, सुरक्षा और स्थिरता तेल पर ही केंद्रित रही है। तेल के मुद्दे पर ही राष्ट्रों का निर्माण हुआ, सत्ता परिवर्तन हुए और युद्ध लड़े गए।
- प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय खाड़ी युद्ध तक का इतिहास पश्चिमी शक्तियों द्वारा पश्चिम एशिया क्षेत्र में तेल तक पहुँच को सुरक्षित रखने पर ही केंद्रित रहा है।
- पिछले एक दशक में जब से ऊर्जा के मामले में अमेरिका की आत्मनिर्भरता बढ़ी है, तब से अमेरिकी नीति केवल तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के बजाय आपूर्ति के स्रोत पर नियंत्रण की दिशा में काम करने लगी है।
- पश्चिम एशिया क्षेत्र में फिर से उत्पन्न तनाव ईरान-प्रायोजित आतंकवाद पर केंद्रित नहीं है, बल्कि इसका मंतव्य ईरान द्वारा उत्पादित तेल पर नियंत्रण करना है।

तेल के मामले में अमेरिका की आत्मनिर्भरता

- ऊर्जा बाज़ार में संरचनात्मक परिवर्तन ने विशेष रूप से आयातित तेल पर अमेरिकी निर्भरता और सामान्य रूप से हाइड्रोकार्बन पर पश्चिमी निर्भरता में कमी की है।
- ट्रांस-अटलांटिक देश (विशेष रूप से अमेरिका) अब खाड़ी के तेल पर निर्भर नहीं रह गए हैं।
- दूसरी तरफ, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत सहित अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ अब भी खाड़ी के तेल उत्पादन पर ही निर्भर हैं।
- खाड़ी देशों में अशांति व अस्थिरता अमेरिका की तेल कंपनियों के लाभदायक स्थिति प्रदान करता है।

नोट :

- जहाँ तक भारत का प्रश्न है, तो आयातित तेल पर हमारी निर्भरता में पिछले दशक से काफी वृद्धि हुई है और अब घरेलू खपत का लगभग 90% से अधिक कच्चा तेल भारत आयात करता है।
- ऐसे में तेल और गैस की आपूर्ति करने वाले विश्व के सबसे बड़े क्षेत्र को अस्थिर कर अमेरिका एशियाई आर्थिक विकास की राह में हर तरह की बाधा उत्पन्न कर रहा है ताकि 'राइजिंग एशिया' को असंतुलित कर सके।

क्या है खाड़ी सहयोग परिषद ?

- खाड़ी सहयोग परिषद अरब प्रायद्वीप में छह देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।
- वर्ष 1981 में स्थापित, GCC छह देशों के बीच आर्थिक, सुरक्षा, सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देता है और सहयोग तथा क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा करने के लिये प्रत्येक वर्ष एक शिखर सम्मेलन आयोजित करता है।
- खाड़ी सहयोग परिषद का मुख्यालय रियाद, सऊदी अरब में स्थित है।
- खाड़ी सहयोग परिषद के कार्य संचालन की भाषा 'अरबी' है।
- वर्ष 2019 में खाड़ी सहयोग परिषद का 40वाँ शिखर सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था।

खाड़ी देशों की चुनौतियाँ

- वैश्विक लॉकडाउन के कारण हाइड्रोकार्बन की खपत में कमी आ गई है।
- गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार, लॉकडाउन के बाद कच्चे तेल के उपभोग में प्रतिदिन 28 मिलियन बैरल की गिरावट दर्ज़ की गई है।
- कच्चे तेल की मांग में अत्यधिक गिरावट के कारण उत्पादन कम करने को लेकर तेल उत्पादक देशों के संगठन और रूस के मध्य हो रही वार्ता विफल हो गई, परिणामस्वरूप मांग में कमी व उत्पादन जस का तस बना रहने के कारण कच्चे तेल के मूल्य में अप्रत्याशित गिरावट हुई।
- तेल उत्पादक देशों के संगठन और अंतर्राष्ट्रीय उर्जा एजेंसी के आकलन के अनुसार, वर्ष 2020 में दूरगामी आर्थिक और सामाजिक परिणामों के साथ विकासशील देशों के तेल और गैस राजस्व में 50 प्रतिशत से 85 प्रतिशत की गिरावट आएगी।
- वर्ष 2020 में सऊदी अरब का राजकोषीय घाटा 8 प्रतिशत से अधिक हो जाने की संभावना है।
- वैश्विक महामारी COVID-19 से ईरान व्यापक तौर पर प्रभावित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहायता भी नहीं प्राप्त कर पा रहा है।

सामूहिक सुरक्षा नीति में GCC की भूमिका

- GCC सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सुरक्षा, सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देता है, यदि यह संगठन ईरान के साथ वार्ता करने की पहल करता है तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणामों की उम्मीद की जा सकती है।
- वैश्विक महामारी COVID-19 के परिणामस्वरूप सभी खाड़ी देशों में पेट्रोलियम का उत्पादन नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। चूँकि तेल निर्यातक देशों के संगठन-ओपेक में GCC के सदस्यों के अतिरिक्त ईरान भी शामिल है अत: सामूहिक लाभ को प्राप्त करने हेतु सभी खाड़ी देशों को एक मंच पर लाया जा सकता है। उन्हें इस बात पर सहमत किया जा सकता है कि सामूहिक लाभ को प्राप्त करने के लिये फारस की खाड़ी को स्पर्श करने वाले सभे देशों को सामूहिक सुरक्षा नीति पर मिलकर कार्य करना होगा।

भारत के लिये खाड़ी देशों का महत्त्व

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत और खाड़ी देशों के बीच लगभग 162 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ है। यह एक वर्ष में भारत के द्वारा पूरे विश्व के साथ किये जाने वाले व्यापार का 20 प्रतिशत है।
- लगभग 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस खाड़ी देशों से आयात की जाती है।
- खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय लगभग 40 बिलियन डॉलर की धनराशि भी प्रेषण के माध्यम से भारत भेजते हैं।
- सऊदी अरब भारत को हाइड्रोकार्बन आपूर्ति करने वाला इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख देश है।
- खाड़ी क्षेत्र हमारी विकास की अहम जरूरतों जैसे ऊर्जा संसाधन, कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिये निवेश के मौके और लाखों लोगों को नौकरी के भरपूर अवसर देता है।

नोट :

- जहाँ ईरान हमें अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोप तक पहुँचने का रास्ता उपलब्ध कराता है, तो वहीँ ओमान हमें पश्चिम हिंद महासागर तक पहुँचने की राह दिखाता है।

आगे की राह

- भारत को खाड़ी देशों की सामूहिक सुरक्षा नीति का समर्थन करना चाहिये क्योंकि खाड़ी देशों में शांति व स्थायित्व निश्चित रूप से भारत के लिये लाभकारी साबित होगा।
- भारत को खाड़ी देशों के साथ तालमेल के लिये नए चालकों को खोजने की आवश्यकता है। यह खोज स्वास्थ्य सेवा में सहयोग के साथ शुरू हो सकती है और धीरे-धीरे दवा अनुसंधान और उत्पादन, पेट्रोकेमिकल, भारत में बुनियादी ढाँचे के निर्माण और तीसरे देशों में कृषि, शिक्षा और कौशल के साथ-साथ अरब सागर में निर्मित द्विपक्षीय मुक्त क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों की ओर बढ़ सकती है।
- खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के हस्तक्षेप को रोकने के लिये आवश्यक है कि खाड़ी देशों को सामूहिक सुरक्षा की नीति पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

नई दिल्ली- वाशिंगटन डी.सी- बीजिंग' त्रिकोण

संदर्भ

पिछले कुछ दिनों से भारत व चीन के मध्य सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव देखा जा रहा है। इस तनाव को दूर करने के लिये दोनों ही देशों के मध्य शांतिपूर्ण वार्ता चल रही है, परंतु इस घटनाक्रम के बीच ही दोनों देश एक-दूसरे पर रणनीतिक बढ़त हासिल करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन भी प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 'G-7 प्लस' समूह में भारत को आमंत्रित करना उसके बढ़ते रणनीतिक कद को दर्शाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और चीन के संबंधों में विभिन्न मुद्दों पर तनाव बना हुआ है, जिसमें हॉन्गकॉन्ग की स्वायत्तता, ताइवान से तनाव, COVID-19 की उत्पत्ति, दक्षिण चीन सागर में तनाव और व्यापार जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं।

विभिन्न विशेषज्ञ अमेरिका के इस निर्णय को आगामी भविष्य में चीन की नीतियों से निपटने के लिये सभी पारंपरिक सहयोगियों को एक साथ लाने की योजना के रूप में देख रहे हैं। ऐसे में भारत के लिये भी यह महत्त्वपूर्ण है कि वह बदलती भू-राजनीतिक स्थिति में किस प्रकार अपने हितों को पोषित करता है।

इस आलेख में भारत-चीन विवाद के बिंदु, चीन व अमेरिका के बीच विवाद के कारण, चीन के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने में भारत व अमेरिका की भूमिका तथा क्वाड की प्रभावकारिता पर विमर्श करने का प्रयास किया जाएगा।

भारत-चीन के मध्य विवाद के बिंदु

- भारत-चीन के मध्य हालिया विवाद का केंद्र अक्साई चिन में स्थित गालवन घाटी (Galwan Valley) है, जिसको लेकर दोनो देशों की सेनाएँ आमने-सामने आ गईं हैं। जहाँ भारत का आरोप है कि गालवन घाटी के किनारे चीनी सेना अवैध रूप से टेंट लगाकर सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर चीन का आरोप है कि भारत गालवन घाटी के पास रक्षा संबंधी अवैध निर्माण कर रहा है।
- G-7 समूह के विस्तारीकरण और उसमें भारत की सदस्यता के कारण भी चीन नाखुश नज़र आ रहा है।
- पूर्व में हुए अन्य सीमा विवाद, जैसे- पैंगोंग त्सो मोरीरी झील विवाद-2019, डोकलाम गतिरोध-2017, अरुणाचल प्रदेश में आसफिला क्षेत्र पर हुआ विवाद प्रमुख है।
- परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (Nuclear Suppliers Group- NSG) में भारत का प्रवेश, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता आदि पर चीन का प्रतिकूल रुख दोनों देशों के मध्य संबंधों को प्रभावित कर रहा है।
- बेल्ट एंड रोड पहल (Belt and Road Initiative) संबंधी विवाद और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (China Pakistan Economic Corridor- CPEC) भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है।
- सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर चीन द्वारा पाकिस्तान का बचाव एवं समर्थन।

नोट :

अमेरिका व चीन के मध्य विवाद का कारण

- अमेरिका व चीन के मध्य हालिया विवाद का कारण COVID-19 संक्रमण व उससे जुड़ी जानकारियाँ छिपाने को लेकर है। दोनों ही देशों ने COVID-19 संक्रमण को लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप किये हैं, परिणामस्वरूप उनके मध्य संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं।
- इसके अतिरिक्त, विगत वर्ष हॉन्गकॉन्ग में लोकतंत्र के समर्थकों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए अमेरिका ने हॉन्गकॉन्ग मानवाधिकार और लोकतंत्र अधिनियम पारित किया था, जिसके तहत अमेरिकी प्रशासन को इस बात का आकलन करने की शक्ति दी गई है कि हॉन्गकॉन्ग में अशांति की वजह से इसे विशेष क्षेत्र का दर्जा दिया जाना उचित है या नहीं। चीन की सरकार ने हॉन्गकॉन्ग को उसका आंतरिक विषय बताते हुए अमेरिका के इस अधिनियम को चीन की संप्रभुता पर खतरा माना था।
- हाल ही में अमेरिका के 'प्रतिनिधि सभा' (House of Representatives) ने 'उइगर मानवाधिकार विधेयक' (Uighur Human Rights Bill) को मंज़ूरी दी है। विधेयक में ट्रंप प्रशासन से चीन के उन शीर्ष अधिकारियों को दंडित करने की मांग की गई है जिनके द्वारा अल्पसंख्यक मुसलमानों को हिरासत में रखा गया है।

कौन हैं उइगर मुस्लिम ?

- इस्लाम धर्म को मानने वाले उइगर समुदाय के लोग चीन के सबसे बड़े और पश्चिमी क्षेत्र शिंजियांग प्रांत में रहते हैं।
- तुर्क मूल के उइगर मुसलमानों की इस क्षेत्र में आबादी लगभग 40 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में उनकी आबादी बहुसंख्यक थी। परंतु जब से इस क्षेत्र में चीनी समुदाय हान की संख्या बढ़ी है और सेना की तैनाती हुई है तब से स्थिति बदल गई है और यह समुदाय अल्पसंख्यक स्थिति में आ गया है।
- शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुस्लिम 'ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट' चला रहे हैं जिसका उद्देश्य चीन से अलग होना है।
- वर्ष 2019 में अमेरिका ने चीन की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे (Huawei) पर जासूसी का आरोप लगाते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिकी इंटेलिजेंस विभाग का मानना था कि हुआवे द्वारा तैयार किये जा रहे उपकरण देश की आंतरिक सुरक्षा के लिये खतरा पैदा कर सकते हैं।

उइगर मुस्लिम के मुद्दे पर भारत व अमेरिका का रुख

- अमेरिका का मानना है शिनजियांग में आधुनिक नज़रबंदी के शिविर हैं जहाँ होलोकॉस्ट (बड़े स्तर पर नरसंहार) के बाद इतने बड़े स्तर पर लोगों का दमन किया जा रहा है।
- अनेक लीक हुए दस्तावेज़ों के अनुसार, शिविरों को उच्च सुरक्षा वाली जेलों के रूप में चलाया जा रहा है, जिसमें कठोर अनुशासन, दंड की व्यवस्था है तथा इन शिविरों से किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं है।
- भारत ने पूर्व में चीन की 'मुस्लिम अल्पसंख्यक नीति' का खुलकर विरोध नहीं किया, परंतु चीन द्वारा लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की कश्मीर नीति का विरोध करने के परिणामस्वरूप भारत ने अपनी नीति में परिवर्तन करते हुए चीन की 'मुस्लिम अल्पसंख्यक नीति' की आलोचना की है।

भारत व अमेरिकी साझेदारी के मायने

- भारत, अमेरिकी समर्थन के माध्यम से अपने हितों को ध्यान में रखते हुए चीन को विभिन्न विवादित मुद्दों पर वार्ता करने के लिये तैयार कर सकता है।
- अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत की सीमा में चीनी सेना के प्रवेश करने के मुद्दे को चिंताजनक करार दिया है। चीन द्वारा पूर्व में वैश्विक महामारी के संबंध में जानकारियों को छिपाने तथा अब अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं का अतिक्रमण करने के कारण विश्व बिरादरी के सम्मुख अलग-थलग हो गया है।
- भारत को वर्ष 1980 के दशक में चीन के साथ हुई सीमा वार्ता हो या जम्मू और कश्मीर के लोगों को स्टेपल वीज़ा जारी करने की चीन की नीति को बंद करने के लिये दबाव डालना हो, इन सभी मुद्दों पर अमेरिका का समर्थन प्राप्त हुआ।
- इतना ही नहीं वर्ष 2017 में डोकलाम क्षेत्र में भारत व चीन के बीच हुए विवाद में अमेरिका ने भारत का खुला समर्थन किया था।
- भारत-अमेरिकी साझेदारी के माध्यम से चीन को अपनी साम्राज्यवादी नीतियों पर लगाम लगाने के लिये विवश किया जा सकता है।

नोट :

चिंताएँ

- भारत को चीन के साथ अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में अमेरिका सहित अन्य देशों का समर्थन अवश्य प्राप्त करना चाहिये, परंतु किसी भी अन्य देश की मध्यस्थता का प्रस्ताव नहीं स्वीकार करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से विश्व बिरादरी के समक्ष यह संदेश जाएगा कि भारत द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान में स्वयं सक्षम नहीं है।
- भारत को चीन के संबंध में अपनी आक्रामक नीति का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना होगा ताकि यह दोनों देशों के मध्य कटुता का कारण न बने।
- द्विपक्षीय संबंधों के निर्धारण में भारत की अमेरिका पर निर्भरता भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है।

आगे की राह

- भारत को चीन के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिये द्विपक्षीय वार्ता का विकल्प अपनाना चाहिये।
- सीमाओं को परिभाषित करने के साथ ही उनका सीमांकन और परिसीमन किये जाने की आवश्यकता है ताकि आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भय को दूर किया जा सके और संबंधों को मज़बूत किया जा सके
- भारत को अमेरिकी समर्थन का उपयोग चीन के विरुद्ध भयादोहन के सिद्धांत का पालन करते हुए अपने संबंधों को सुधारने के लिये करना चाहिये न कि चीन को नीचा दिखाने के लिये।
- अमेरिका व चीन के झगड़े में न पड़ते हुए भारत को अपने सर्वोत्तम हितों को साधने का प्रयास करना चाहिये।

शीत युद्ध 2.0 का उदय

संदर्भ

विगत कुछ समय से अमेरिका व चीन के मध्य द्विपक्षीय संबंधों में लगातार गिरावट हो रही है। ध्यातव्य है कि पूर्व में यह गिरावट आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित विषयों पर थी, परंतु वैश्विक महामारी को लेकर चीन द्वारा कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी छिपाने व विश्व स्वास्थ्य संगठन पर अनावश्यक दबाव बनाने के कारण दोनों देशों के मध्य संबंध राजनयिक व भू-राजनीतिक स्तर पर भी ख़राब हुए हैं।

इन बदली हुई परिस्थितियों में राजनीतिक विश्लेषक अमेरिका व चीन के मध्य शीत युद्ध के नए दौर के उदय का संकेत कर रहे हैं। सामान्य तौर पर इसे शीत युद्ध 2.0 कहना गलत नहीं होगा। ऐसे में यह जानना दिलचस्प हो जाता है कि क्या शीतयुद्ध के इस नए दौर को दोनों देशों की जनता का समर्थन प्राप्त हो पाता है ? क्योंकि संपूर्ण विश्व अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य शीतयुद्ध के पुराने दौर की परिणति का साक्षी रहा है।

अमेरिकी चिंतकों और राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि चीन के साथ शीत युद्ध 2.0 जैसी स्थिति में भारत उसका सहयोगी साबित होगा। इसलिये अमेरिका की विदेश नीति में भारत को उच्च स्थान दिया जाना चाहिये।

इस आलेख में शीतयुद्ध, उसके कारण व परिणाम तथा शीत युद्ध 2.0 के कारण व उसका आकलन करते हुए भारत की भूमिका और उस पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया जाएगा।

शीत युद्ध से तात्पर्य

- शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एवं उसके आश्रित देशों (पूर्वी यूरोपीय देश) और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं उसके सहयोगी देशों (पश्चिमी यूरोपीय देश) के बीच भू-राजनीतिक तनाव की अवधि (1945-1991) को कहा जाता है।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो महाशक्तियों– सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व वाले दो शक्ति समूहों में विभाजित हो गया था।
- यह पूंजीवादी व्यवस्था का पोषक संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध था जिसमें दोनों महाशक्तियाँ अपने-अपने समूह के देशों के साथ संलग्न थीं।
- 'शीत'(Cold) शब्द का उपयोग इसलिये किया जाता है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच प्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर कोई युद्ध नहीं हुआ था।
- शीत युद्ध शब्द का पहली बार प्रयोग जॉर्ज ऑरवेल ने वर्ष 1945 में प्रकाशित अपने एक लेख 'यू एंड द एटॉमिक बम' (You and The Atomic Bomb) में किया था।

नोट :

- शीत युद्ध सहयोगी देशों (Allied Countries), जिसमें एक ओर अमेरिका के नेतृत्व में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस आदि शामिल थे तो वहीं दूसरी ओर सोवियत संघ के नेतृत्व में अल्बानिया, बुल्गारिया व रोमानिया जैसे अन्य आश्रित देशों (Satellite States) के बीच शुरू हुआ था।

शीत युद्ध के कारण

- पोलैंड की सीमाओं के निर्धारण के संबंध में सोवियत संघ चाहता था कि पोलैंड के एक भाग (सोवियत संघ की सीमा से लगा क्षेत्र) को बफर ज़ोन के रूप में बनाए रखा जाए किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन इस मांग से सहमत नहीं थे।
- इसके साथ ही अमेरिका ने सोवियत संघ को जापान पर गिराए गए परमाणु बम की सटीक प्रकृति के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी। इसने सोवियत संघ के अंदर पश्चिमी देशों की मंशा को लेकर एक संदेह पैदा किया जिसने गठबंधन संबंध को कटु बनाया।
- ट्रूमैन सिद्धांत सोवियत संघ के साम्यवादी और साम्राज्यवादी प्रयासों पर नियंत्रण की एक अमेरिकी नीति थी जिसमें दूसरे देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने जैसे विविध उपाय अपनाए गए। इतिहासकारों का मानना है कि इस सिद्धांत के बाद ही शीत युद्ध के आरंभ की आधिकारिक घोषणा हुई।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ द्वारा स्वयं को और उसके आश्रित पूर्वी एवं मध्य यूरोपीय देशों को पश्चिम एवं अन्य गैर-साम्यवादी देशों के साथ खुले संपर्क से अलग रखने के लिये एक राजनीतिक, सैन्य और वैचारिक अवरोध खड़ा किया गया जिसे 'आयरन कर्टेन' कहा गया।

शीत युद्ध 2.0 क्या है ?

- संयुक्त राज्य अमेरिका व जनवादी गणराज्य चीन के मध्य प्रारंभ हुआ व्यापार युद्ध अब ज़ुबानी जंग (Verbal Spat) में परिवर्तित हो चला है।
- दोनों ही देश समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में एक-दूसरे को नीचा दिखने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों ने दोनों देशों के बीच चल रहे इस वैचारिक युद्ध को ही शीत युद्ध 2.0 की संज्ञा दी है।
- वर्तमान में अमेरिका, चीन के विरूद्ध अपने सहयोगियों की संख्या में वृद्धि कर रहा है। अमेरिका का सहयोगी ऑस्ट्रेलिया प्रभावी रूप से चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंध तोड़ने की दिशा में बढ़ रहा है, बावजूद इसके कि चीन, ऑस्ट्रेलिया के लिये सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार है।
- अमेरिका का दूसरा सहयोगी जापान भी चीन के साथ अपने व्यापारिक व आर्थिक रिश्तों को सीमित कर रहा है।
- अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि चीन के विरूद्ध घेरेबंदी में भारत एक अहम् सहयोगी साबित होगा।
- वहीं दूसरी ओर चीन भी रूस के साथ मिलकर अमेरिकी घेरेबंदी को तोड़ने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। विदित है कि रूस व चीन दोनों ही साम्यवाद की वैचारिक व सांस्कृतिक धरोहर को साझा करते हैं।
- एशिया महाद्वीप तथा अपने विरुद्ध हो रही घेरेबंदी में भारत के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने में चीन को पाकिस्तान का साथ मिल सकता है।
- इसके साथ ही चीन को उत्तर कोरिया, तुर्की व सीरिया जैसे देशों का भी समर्थन मिल सकता है।

शीत युद्ध 2.0 के कारण

- अमेरिका व चीन के मध्य विभिन्न विषयों पर लेकर वैचारिक मतभेद ही शीत युद्ध 2.0 की पृष्ठभूमि है, यह मतभेद इस प्रकार हैं-
  - अमेरिका व चीन के मध्य हालिया मतभेद का कारण COVID-19 संक्रमण व उससे जुड़ी जानकारियाँ छिपाने को लेकर है। दोनों ही देशों ने COVID-19 संक्रमण को लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप किये हैं, परिणामस्वरूप उनके मध्य संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं।
  - अमेरिका व चीन के मध्य कुछ वर्षों से व्यापारिक युद्ध चल रहा है, जो वर्तमान में चरम अवस्था पर पहुँच चुका है। व्यापारिक युद्ध संरक्षणवाद का नतीज़ा होता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित होता है। इसके लिये एक देश दूसरे देश से आने वाले समान पर टैरिफ या टैक्स लगा देता है या उसे बढ़ा देता है। इससे आयात होने वाली चीजों की कीमत बढ़ जाती हैं, जिससे वे घरेलू बाज़ार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती। इससे उनकी बिक्री घट जाती है।

नोट :

- इसके अतिरिक्त, विगत वर्ष हॉन्गकॉन्ग में लोकतंत्र के समर्थकों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए अमेरिका ने हॉन्गकॉन्ग मानवाधिकार और लोकतंत्र अधिनियम पारित किया था, जिसके तहत अमेरिकी प्रशासन को इस बात का आकलन करने की शक्ति दी गई है कि हॉन्गकॉन्ग में अशांति की वजह से इसे विशेष क्षेत्र का दर्जा दिया जाना उचित है या नहीं। चीन की सरकार ने हॉन्गकॉन्ग को उसका आंतरिक विषय बताते हुए अमेरिका के इस अधिनियम को चीन की संप्रभुता पर खतरा माना था।
- हाल ही में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने (House of Representatives) ने 'उइगर मानवाधिकार विधेयक' (Uighur Human Rights Bill) को मंज़ूरी दी है। विधेयक में ट्रंप प्रशासन से चीन के उन शीर्ष अधिकारियों को दंडित करने की मांग की गई है जिनके द्वारा अल्पसंख्यक मुसलमानों को हिरासत में रखा गया है।
- वर्ष 2019 में अमेरिका ने चीन की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे (Huawei) पर जासूसी का आरोप लगाते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिकी इंटेलिजेंस विभाग का मानना था कि हुआवे द्वारा तैयार किये जा रहे उपकरण देश की आंतरिक सुरक्षा के लिये खतरा पैदा कर सकते हैं।

क्या हो भारत की रणनीति ?

- गालवान घाटी में भारत व चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद दोनों ही देशों में स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है। ऐसे में दोनों देशों को शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में पहल करना चाहिये।
- वर्तमान परिस्थिति में भारत को किसी भी गुट में शामिल हुए बिना अपना पूरा ध्यान बेहतर स्वास्थ्य अवसंरचना के निर्माण व स्वास्थ्य सेवाओं के सुचारू क्रियान्वयन में लगाना चाहिये।
- चीन के लिये भारत एक बड़ा बाज़ार है ऐसे में चीन के उत्पादों को प्रतिबंधित कर भारत, चीन की आर्थिक घेरेबंदी कर सकता है।
- बदलती वैश्विक परिस्थिति में भारत को चीन के विरुद्ध बनने वाले गठबंधन को परोक्ष रूप से समर्थन देने पर विचार करना चाहिये।

प्रभाव

- विश्व की दो बड़ी महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध प्रारंभ होने से विश्व व्यवस्था दो धडों में बंट जाएगी और दोनों धड़े एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिये शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के मार्ग से विचलित हो जाएंगें।
- दोनों धड़े एक-दूसरे के उत्पादों पर अनावश्यक उत्पाद शुल्क लगाएँगे और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा हेतु संरक्षणवादी नीतियाँ अपनाएँगे।
- शीत युद्द 2.0 के प्रारंभ होने से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का महत्त्व कम हो जाएगा।
- दोनों ही धडों द्वारा परस्पर वर्चस्व स्थापित करने हेतु परमाणु हथियारों के निर्माण व उन्हें खरीदने की होड़ लग जाएगी।

निष्कर्ष

इस समय पूरा विश्व वैश्विक महामारी COVID-19 से ग्रसित है, ऐसे में शीत युद्ध 2.0 की आहट निश्चित ही चिंता का विषय है। सभी देशों को इस समय अपना पूरा ध्यान स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर लगाना चाहिये।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद: भारत अस्थायी सदस्य

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council-UNSC) वैश्विक सुरक्षा प्रबंधन का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। सुरक्षा परिषद पर विश्व में शांति-व्यवस्था को बनाए रखने और सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व रहता है। समय-समय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता में परिवर्तन होता रहता है। हाल ही में भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य (Non-Permanent Members) चुना गया है। भारत, वर्ष 2021-22 के बीच सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज़ कराएगा।

इस आलेख में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इतिहास, संगठन, उसकी भूमिका, अस्थायी सदस्यता तथा सुरक्षा परिषद की संरचना में सुधार की आवश्यकता और भारत की दावेदारी के संदर्भ में विभिन्न पहलूओं पर विमर्श करने का प्रयास किया जाएगा।

नोट :

सुरक्षा परिषद: पृष्ठभूमि

- सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्त्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1945 में हुआ था। सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, रूस और चीन हैं।
- मूल रूप से सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे जिसे वर्ष 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिया गया।
- गौरतलब है कि इन स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को दो वर्ष के लिये अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है।
- सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद के शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करती है।

क्या है अस्थायी सदस्यता ?

- अस्थायी सदस्यों का चुनाव दो वर्ष के लिये होता है। अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का उद्देश्य सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन कायम करना है।
- इस अस्थायी सदस्यता के लिये सदस्य देशों में चुनाव होता है। इसमें पाँच सदस्य एशियाई या अफ्रीकी देशों से, दो दक्षिण अमेरिकी देशों से, एक पूर्वी यूरोप से और दो पश्चिमी यूरोप या अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं।
- अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के लिये विनिर्धारित पाँच सीटों में से तीन सीट अफ्रीका के लिये और दो सीट एशिया के लिये निश्चित की गई हैं।
- अफ्रीका और एशिया महाद्वीप दोनों में परस्पर मतैक्यता के आधार पर अरब देशों के लिये 1 सीट आरक्षित करने का भी प्रावधान है। दोनों महाद्वीप के द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में क्रमश: 1 अरब देश की सदस्यता का अनुमोदन करना होता है।

चुनाव की प्रक्रिया

- सम संख्या से प्रारंभ होने वाले वर्षों में अफ्रीका महाद्वीप से 2 सदस्य देश और पूर्वी यूरोप, एशिया-प्रशांत क्षेत्र, लैटिन अमेरिका व कैरीबियाई क्षेत्र से एक-एक सदस्य देश चुने जाते हैं।
- वहीं विषम संख्या से प्रारंभ होने वाले वर्षों में पश्चिमी यूरोप और अन्य क्षेत्रों से दो सदस्य, एशिया-प्रशांत क्षेत्र, अफ्रीका महाद्वीप, लैटिन अमेरिका व कैरीबियाई क्षेत्र से एक-एक सदस्य देश चुने जाते हैं।
- जून 2019 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र से 1 सदस्य के लिये सर्वसम्मति से भारत का अनुमोदन किया गया था। ध्यातव्य है कि इस अनुमोदन को चीन पाकिस्तान का पूर्ण समर्थन प्राप्त था।
- पश्चिमी यूरोप और अन्य क्षेत्रों से दो सदस्य के चयन हेतु कनाडा, आयरलैंड व नार्वे ने दावेदारी प्रस्तुत की थी।
- लैटिन अमेरिका व कैरीबियाई क्षेत्र से एक सदस्य के लिये मैक्सिको का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया था।
- अफ्रीका महाद्वीप से एक सदस्य के चयन के लिये केन्या और जिबूती ने दावेदारी प्रस्तुत की थी।
- यदि कोई देश सर्वसम्मति से उम्मीदवार बना है और उसके समूह द्वारा उसे पूर्ण समर्थन प्राप्त है तो भी उसे वर्तमान सत्र में उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों के वोट सुरक्षित करने की आवश्यकता है जो कि न्यूनतम 129 वोट हैं, यदि सभी 193 सदस्य राज्य भाग लेते हैं।
- भारत ने जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक की समयावधि के लिये मतदान करने वाले 192 देशों के सापेक्ष 184 देशों का समर्थन प्राप्त किया।

पूर्व में भी भारत अस्थायी सदस्य रहा

- इससे पूर्व भी भारत वर्ष 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और 2011-12 में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है।
- वर्ष 2011-12 में कजाख़स्तान द्वारा अपनी दावेदारी से पीछे हटने के बाद भारत ने मतदान करने वाले 190 देशों के सापेक्ष 187 देशों का समर्थन प्राप्त कर किया था।

नोट :

- जहाँ अफ्रीका महाद्वीप ने तीन सीटों की दावेदारी को लेकर रोटेशन की पद्धति को अपनाया है, वहीं एशिया-प्रशांत क्षेत्र में इस तरह के समन्वय का अभाव दिखता है। सुरक्षा परिषद में दावेदारी को लेकर एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों में अक्सर प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है।
- वर्ष 2018 में अस्थायी सदस्यता की दावेदारी को लेकर मालदीव और इंडोनेशिया के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली थी।
- अमूमन, आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण अस्थायी सदस्यता की दावेदारी को लेकर चुनाव कई दौर तक चल सकते हैं।
- वर्ष 1975 में अस्थायी सदस्यता की दावेदारी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिली और चुनाव आठ राउंड तक चला, जिसमें अंततः पाकिस्तान को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता प्राप्त हुई।

सुरक्षा परिषद की भूमिका तथा शक्तियाँ

- सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है जिसकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना है।
- इसकी शक्तियों में शांति अभियानों का योगदान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना तथा सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई करना शामिल है।
- यह सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार वाला संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी सदस्य देश सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिये बाध्य हैं।
- मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों के पास वीटो पॉवर है। वीटो पॉवर का अर्थ होता है 'निषेधाधिकार'।
- स्थायी सदस्यों के निर्णय से अगर कोई भी एक स्थायी सदस्य सहमत नहीं है तो वह वीटो पॉवर का इस्तेमाल करके उस निर्णय को रोक सकता है।

सुरक्षा परिषद में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों ?

- सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1945 की भू-राजनीति के हिसाब से की गई थी। मौजूदा भू-राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि से अब काफी अलग हो चुकी है।
- शीत युद्ध समाप्त के बाद से ही इसमें सुधार की ज़रूरत महसूस की जा रही है। इसमें कई तरह के सुधार की आवश्यकता है जिसमें संगठनात्मक बनावट और प्रक्रिया सबसे अहम है।
- मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देशों में यूरोप का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है। जबकि यहाँ विश्व की कुल आबादी का मात्र 5 प्रतिशत ही निवास करती है।
- अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का कोई भी देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। जबकि संयुक्त राष्ट्र का 50 प्रतिशत से अधिक कार्य अकेले अफ्रीकी देशों से संबंधित है।
- शांति स्थापित करने वाले अभियानों में अहम भूमिका निभाने के बावजूद भारत जैसे अन्य देशों के पक्ष को मौजूदा सदस्यों द्वारा नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ के ढाँचे में सुधार की आवश्यकता इसलिये भी है क्योंकि इसमें अमेरिका का वर्चस्व है। अमेरिका अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के बल पर संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतराष्ट्रीय संगठनों की भी अनदेखी करता रहा है।

सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी दावेदारी के पक्ष में तर्क

- 1.3 बिलियन आबादी के साथ भारत, दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का करीब 1/5वाँ हिस्सा निवास करता है।
- भारत विश्व की उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है। वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते आर्थिक कद ने भारत के दावों को और मज़बूत किया है। मौजूदा समय में भारत विश्व की छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा पीपीपी पर आधारित जीडीपी की दृष्टि से भारत विश्व की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।
- भारत को अब विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स और जी-20 जैसे आर्थिक संगठनों में सबसे प्रभावशाली देशों में गिना जाता है।
- भारत की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से विश्व शांति को बढ़ावा देने वाली रही है।
- भारत संयुक्त राष्ट्र की सेना में सबसे ज़्यादा सैनिक भेजने वाला देश है।

नोट :

सुरक्षा परिषद में अन्य समूहों की दावेदारी

- जी-4 समूह: भारत, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान ने मिलकर जी-4 नामक समूह बनाया है। ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के लिये एक-दूसरे का समर्थन करते हैं। जी-4 समूह का मानना है कि सुरक्षा परिषद को और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, न्यायसंगत व प्रभावी बनाने की ज़रूरत है।
- L-69 समूह: ये समूह भारत, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के क़रीब 42 विकासशील देशों के एक समूह की अगुवाई कर रहा है। L-69 समूह ने UNSC सुधार मोर्चा पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
- अफ्रीकी समूह: अफ्रीकी समूह में 54 देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की वकालत करने वाला दूसरा महत्त्वपूर्ण समूह है। इस समूह की मांग है कि अफ्रीका के कम से कम दो राष्ट्रों को वीटो की शक्तियों के साथ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए।

चुनौतियाँ

- स्थायी सदस्य देश अपने वीटो पॉवर को छोड़ने के लिये सहमत नहीं हैं और न ही वे इस अधिकार को किसी अन्य देश को देने पर सहमत हैं।
- भारत की सदस्यता के लिये चार्टर में संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिये स्थायी सदस्यों के साथ-साथ दो-तिहाई देशों द्वारा पुष्टि करना आवश्यक है।
- अमेरिका जहाँ बहुपक्षवाद के खिलाफ है। तो वहीं रूस भी किसी तरह के सुधार के पक्ष में नहीं है। सुरक्षा परिषद में एशिया का एकमात्र प्रतिनिधि होने की मंशा रखने वाला चीन भी संयुक्त राष्ट्र में किसी तरह का सुधार नहीं चाहता। चीन नहीं चाहता कि भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य बने।
- G-4 समूह में शामिल देशों के साथ भी विभिन्न मानकों पर भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। जैसे- मानव विकास सूचकांक, लैंगिक अंतराल सूचकांक इत्यादि में भारत की रैंकिंग जर्मनी और जापान जैसे देशों से खराब है।

स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लाभ

- सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है। प्रतिबंध लगाने या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिये सुरक्षा परिषद के समर्थन की आवश्यकता होती है।
- स्थायी सीट भारत को वैश्विक भू-राजनीति में अधिक मज़बूती से अपनी बात कहने में सक्षम बनाएगी।
- सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यता भारत को वीटो पॉवर प्रदान करेगी।
- सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता वाह्य सुरक्षा खतरों और भारत के खिलाफ राज्य प्रायोजित आतंकवाद के समाधान के लिये तंत्र को मज़बूत करने में सहायक सिद्ध होगी।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता निश्चित तौर पर स्थायी सदस्यता की दिशा में अग्रसर होने के लिये एक महत्त्वपूर्ण प्रयास होगा। स्थायी सदस्यता भारत को वैश्विक राजनीति के स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, चीन और रूस के समकक्ष लाकर खड़ा कर देगा। अत: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिये भारत को भी और अधिक गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है।

चीन से आयात पर प्रतिबंध: चुनौतियाँ और संभावनाएँ

संदर्भ

ऐसे समय में जब विश्व व्यवस्था को वैश्विक महामारी से निपटने के लिये आपसी सहयोग, समन्वय एवं सहभागिता की आवश्यकता है, विश्व व्यवस्था के दो बड़े राष्ट्र भारत व चीन सीमा विवाद के कारण आपस में उलझे हुए हैं। हालिया विवाद का केंद्र अक्साई चिन में स्थित गालवन घाटी (Galwan Valley) है, जिसको लेकर दोनो देशों की सेनाओं में 15 जून 2020 को हिंसक झड़प हो गई, इस झड़प में दोनों देशों के कई सैनिक शहीद हो गए। इस घटना के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है और वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control- LAC) पर युद्ध जैसे हालात बन गए हैं।

नोट :

इस प्रकार की जटिल परिस्थिति में भारत में घरेलू स्तर पर चीन के आर्थिक बहिष्कार का मुद्दा भी चर्चा के केंद्र में है। जन समुदाय का एक बड़ा भाग चीन से आयात होने वाले उत्पादों पर तत्काल प्रतिबंध की माँग कर रहा है। प्रारंभिक स्तर पर भारत सरकार ने भी संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, हालाँकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध सुरक्षा मानकों पर खरा न उतरने के कारण लगाए गए हैं। ऐसे में यह प्रश्न उठाना लाज़िमी है कि क्या भारत में चीन के उत्पादों पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा देना चाहिये? ऐसा करना कहाँ तक व्यवहार्य है? प्रतिबंध लगाने से कहीं ऐसा न हो कि विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation-WTO) के नियमों और समझौतों का उल्लंघन हो जाए।

इस आलेख में भारत-चीन संबंधों की पृष्ठभूमि, दोनों देशों के मध्य व्यापार की स्थिति, आयात पर प्रतिबंध की व्यवहार्यता, मोस्ट फेवर्ड नेशन (Most Favoured Nation-MFN) का मुद्दा और विश्व व्यापार संगठन के दिशा-निर्देशों पर विश्लेषण करने का प्रयास किया जाएगा।

भारत-चीन संबंधों की पृष्ठभूमि

- हज़ारों वर्षों तक तिब्बत ने एक ऐसे क्षेत्र के रूप में काम किया जिसने भारत और चीन को भौगोलिक रूप से अलग और शांत रखा, परंतु जब वर्ष 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर वहाँ कब्ज़ा कर लिया तब भारत और चीन आपस में सीमा साझा करने लगे और पड़ोसी देश बन गए।
- 20वीं सदी के मध्य तक भारत और चीन के बीच संबंध न्यूनतम थे एवं कुछ व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और विद्वानों के आवागमन तक ही सीमित थे।
- वर्ष 1954 में नेहरू और झोउ एनलाई (Zhou Enlai) ने 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' के नारे के साथ पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किये, ताकि क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिये कार्ययोजना तैयार की जा सके।
- वर्ष 1959 में तिब्बती लोगों के आध्यात्मिक और लौकिक प्रमुख दलाई लामा तथा उनके साथ अन्य कई तिब्बती शरणार्थी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बस गए। इसके पश्चात् चीन ने भारत पर तिब्बत और पूरे हिमालयी क्षेत्र में विस्तारवाद और साम्राज्यवाद के प्रसार का आरोप लगा दिया।
- वर्ष 1962 में सीमा संघर्ष से द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर झटका लगा तथा उसके बाद वर्ष 1976 मे भारत-चीन राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल किया गया।
- वर्ष 1988 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने द्विपक्षीय संबंधों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया शुरू करते हुए चीन का दौरा किया। दोनों पक्ष सीमा विवाद के प्रश्न पर पारस्परिक स्वीकार्य समाधान निकालने तथा अन्य क्षेत्रों में सक्रिय रूप से द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने के लिये सहमत हुए। वर्ष 1992 में, भारतीय राष्ट्रपति आर. वेंकटरमन भारत गणराज्य की स्वतंत्रता के बाद चीन का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति थे।
- वर्ष 2003 में भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी ने चीन का दौरा किया। दोनों पक्षों ने भारत-चीन संबंधों में सिद्धांतों और व्यापक सहयोग पर घोषणा (The Declaration on the Principles and Comprehensive Cooperation in China-India Relations) पर हस्ताक्षर किये।
- वर्ष 2011 को 'चीन-भारत विनिमय वर्ष' तथा वर्ष 2012 को 'चीन-भारत मैत्री एवं सहयोग वर्ष' के रूप में मनाया गया।
- वर्ष 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया इसके बाद चीन ने भारतीय आधिकारिक तीर्थयात्रियों के लिये नाथू ला दर्रा खोलने का फैसला किया। भारत ने चीन में भारत पर्यटन वर्ष मनाया।
- वर्ष 2018 में चीन के राष्ट्रपति तथा भारतीय प्रधानमंत्री के बीच वुहान में 'भारत-चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन' का आयोजन किया गया। उनके बीच गहन विचार-विमर्श हुआ और वैश्विक और द्विपक्षीय रणनीतिक मुद्दों के साथ-साथ घरेलू एवं विदेशी नीतियों के लिये उनके संबंधित दृष्टिकोणों पर व्यापक सहमति बनी।
- वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री तथा चीन के राष्ट्रपति बीच चेन्नई में 'दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन' आयोजित किया गया। इस बैठक में, 'प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन' में बनी आम सहमति को और अधिक दृढ़ किया गया।
- वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70 वीं वर्षगांठ है तथा भारत-चीन सांस्कृतिक तथा पीपल-टू-पीपल संपर्क का वर्ष भी है।

नोट :

व्यापारिक स्थिति

- फरवरी, 2020 में जारी आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, चीन के साथ भारत का व्यापार वित्तीय वर्ष 2017-18 में 89.71 बिलियन डॉलर से घटकर वित्तीय वर्ष 2018-19 में 87.07 बिलियन डॉलर हो गया।
- चीन से भारत का आयात वित्तीय वर्ष 2018-19 में 70.32 बिलियन डॉलर था, जबकि भारत का चीन को निर्यात वित्तीय वर्ष 2018-19 में 16.75 बिलियन डॉलर था। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2018-19 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 53.57 बिलियन डॉलर था।

चीन से आयातित उत्पाद

- भारत, चीन से मोबाइल फोन, दूरसंचार के अन्य उपकरण, बिजली का सामान, प्लास्टिक के खिलौने और चिकित्सीय उपकरण सहित चिकित्सीय दवाइयाँ आयात करता है जो उसके कुल आयात का 14 प्रतिशत है।
- इसके अतिरिक्त, कार और मोटरसाइकिल के कलपुर्जे, दुग्ध उत्पाद, उर्वरक, कंप्यूटर से संबंधित उपकरण तथा ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ें उत्पादों का आयात भारत के द्वारा किया जाता है।
- मुद्रण स्याही, पेंट, वार्निश और तंबाकू उत्पादों का भी आयात किया जाता है।

भारत द्वारा निर्यात किये जाने वाले उत्पाद

- भारत, चीन को कृषि उत्पाद, सूती वस्त्र, हस्तशिल्प उत्पाद, कच्चा लेड, लौह अयस्क, स्टील, कॉपर, टेलीकॉम सामाग्री, तथा अन्य पूंजीगत वस्तुएँ इत्यादि निर्यात करता है।
- भारत हीरा-जवाहरात (Diamond) के कुल व्यापार का 36 प्रतिशत चीन को निर्यात करता है।

आयात पर प्रतिबंध की व्यवहार्यता

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 53.57 बिलियन डॉलर था। ऐसे में भारत वस्तु एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये चीन की कंपनियों पर निर्भर है।
- भारत के बाज़ार में चीन निर्मित स्मार्टफोन की हिस्सेदारी लगभग 51 प्रतिशत है, जबकि भारत द्वारा निर्मित स्मार्टफोन की हिस्सेदारी लगभग 21 प्रतिशत है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के कुल निर्यात का 60 प्रतिशत चीन से किया गया था।
- चीन, भारत के लिये ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों के बड़े ब्रांड का मैन्युफेक्चरिंग हब बन चुका है। अधिकांश विख्यात कंपनियों के उपकरण चीन में ही निर्मित होते हैं।
- चीन के उत्पादों का मूल्य कम होने के कारण भारत के बहुत सारे उत्पादक वर्तमान में केवल और केवल ट्रेडर्स बनकर रह गए हैं। दरअसल समस्या यह है कि जितने मूल्य में भारत में उत्पाद बनता है, उससे कम दाम में वह 'मेक इन चाइना' के ठप्पे के साथ बाज़ार में आ जाता है।

भारत के पास विकल्प

- भारत को अपने उत्पादन क्षेत्र का आकार बढ़ाना होगा। चीन के उत्पाद गुणवत्ता और टिकाऊपन के क्षेत्र में कमजोर होते हैं, इस क्षेत्र में अच्छा काम करके भारत अपना स्थान बना सकता है।
- भारत को विनिर्माण क्षेत्र के विकास हेतु असाधारण उपाय करने की आवश्यकता है, इसमें सरलतापूर्वक भूमि की उपलब्धता व सस्ता श्रम प्रमुख है।
- भारत के पास एक विकल्प यह भी है कि वह चीन को दिया सबसे पसंदीदा राष्ट्र (Most-Favoured Nation) का दर्जा वापस ले सकता है।

MFN (Most-Favoured Nation) क्या है ?

- विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation-WTO) के टैरिफ एंड ट्रेड पर जनरल समझौते (General Agreement on Tariffs and Trade-GATT) के तहत MFN का दर्जा दिया गया था। भारत और चीन दोनों ही WTO के हस्ताक्षरकर्त्ता देश हैं तथा विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें माल पर सीमा शुल्क लगाने के मामले में एक-दूसरे एवं WTO के अन्य सदस्य देशों के साथ व्यापारिक साझेदार के रूप में व्यवहार करना आवश्यक है।

नोट :

प्रभाव

- MFN का दर्जा वापस लेने का मतलब है कि भारत अब चीन से आने वाले सामान पर सीमा शुल्क बढ़ा सकता है। इससे भारत में चीन द्वारा किया गया निर्यात प्रभावित होगा।
- यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि, भारत अपने कुल निर्यात का लगभग 8 प्रतिशत चीन को निर्यात करता है जबकि चीन अपने कुल निर्यात का केवल 2 प्रतिशत भारत को निर्यात करता है। इस प्रकार यदि भारत, चीन के उत्पादों को प्रतिबंधित करता है तो चीन भी ऐसा ही करेगा जिससे ज्यादा नुकसान चीन का ना होकर भारत का ही होगा।
- चीन के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को प्रतिबंधित करना भी भारत के हित में नही होगा क्योंकि भारत में अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद चीन से ही आती है जिनका मूल्य कम होता है।
- यदि भारत ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर रोक लगा भी दी तो इतनी जल्दी इन उत्पादों का उत्पादन भारत में शुरू नही हो सकता क्योंकि इसमें अधिक समय और अधिक निवेश की ज़रुरत होती है।
- चीन के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने से वह भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन कर सकता है और उत्तर-पूर्व भारत में सुरक्षा समस्याएँ खड़ी कर सकता है।

आगे की राह

- भारत को अपने विनिर्माण क्षेत्र के विकास की दिशा में तीव्र गति से बढ़ना होगा। ऐसे में 'मेक इन इंडिया 2.0' का लक्ष्य भारत को विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करना है।
- भारत जिन उत्पादों के उत्पादन में सक्षम है केवल उन्ही उत्पादों के संबंध में 'एंटी डंपिंग ड्यूटी' लगा सकता है। यह एक प्रकार का शुल्क है जिससे चीनी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जायेगीं और भारतीय उत्पादक उनका मुकाबला कर सकेंगे।
- चीन के उत्पादों पर प्रतिबंध संबंधी अवधारणा 'नागरिक केंद्रित' होनी चाहिये। भारतीयों को 'Think Globally and Act Locally' विचारधारा को अपनाना ही होगा तभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी।

The Vision

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा का समय

संदर्भ

हाल ही में 'राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन' (National Aeronautical and Space Administration- NASA) ने निजी कंपनी SpaceX के रॉकेट से दो अंतरिक्ष यात्रियों को 'अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन' (International Space Station- ISS) भेजा है। इसी के साथ दुनिया में 'वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा' की शुरुआत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिये दो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों की यात्रा विज्ञान जगत के लिये गर्व की बात है। अंतरिक्ष स्टेशन पर मानव की यह पहली यात्रा नहीं है। लेकिन इस यात्रा ने विश्व व्यवस्था का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और अंतरिक्ष में मानव की इस यात्रा ने दुनिया भर के लोगों में उत्साह पैदा किया है। यह पहली बार था जब अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में किसी निजी कंपनी द्वारा निर्मित रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा गया। यह निश्चित रूप से अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए युग की शुरुआत है।

अंतरिक्ष यात्री डग हार्ले (Doug Hurley) और बॉब बेनकेन (Bob Behnken) SpaceX के रॉकेट Falcon 9 की मदद से 'अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन' पहुँचे हैं। यात्रियों को जिस क्रू कैप्सूल के माध्यम से ले जाया गया है उसे 'क्रू ड्रैगन' (Crew Dragon) नाम दिया गया है।

इस आलेख में अंतरिक्ष यान की यात्रा, अंतरिक्ष का वाणिज्यिक उपयोग, निजी क्षेत्र की भूमिका, मिशन की सफलता का महत्त्व तथा अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विमर्श किया जाएगा।

अंतरिक्ष यान की यात्रा

- SpaceX का फाल्कन- 9 दो चरणों वाला रॉकेट है जिसने 'फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर' (Florida's Kennedy Space Center) से यात्रा प्रारंभ की।
- SpaceX के कैप्सूल को ISS के साथ 'डॉकिंग प्रक्रिया' को पूरा करने में 28,000 किमी. प्रति घंटे की गति से 19 घंटे का समय लगा। डॉकिंग प्रक्रिया में दो अलग-अलग स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले वाहनों को एक साथ जोड़ा जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुँचने के साथ ही यात्रा का प्रथम चरण पूरा हो गया है परंतु मिशन को तभी सफल घोषित किया जाएगा जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आएँगे।

अंतरिक्ष का वाणिज्यिक उपयोग

- मौजूदा समय में विश्व की कई कंपनियाँ अंतरिक्ष की वाणिज्यक दौड़ में शामिल हुई हैं। इन कंपनियों ने विश्व को अंतरिक्ष के आर्थिक उपयोग के लिये सोचने को प्रोत्साहित किया है। वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग का आकार 350 बिलियन डॉलर है।
- इसके वर्ष 2025 तक बढ़कर 550 बिलियन डॉलर होने की संभावना है। इस प्रकार अंतरिक्ष एक महत्त्वपूर्ण बाज़ार के रूप में विकसित हो रहा है।
- इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं किंतु भारत का अंतरिक्ष उद्योग 7 बिलियन डॉलर के आस-पास है, जो वैश्विक बाजार का केवल 2 प्रतिशत ही है।

भारत भी बना रहा है स्पेस स्टेशन

- ध्यातव्य है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation) के चेयरमैन के. सिवान द्वारा घोषणा की गई थी कि भारत इस दशक के अंत तक यानी वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष में अपने स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण पर विचार कर रहा है।

नोट :

- भारत ने वर्ष 2017 में ही स्पेस डॉकिंग जैसी तकनीक पर शोध करने के लिये बजट का प्रावधान किया था। यह तकनीक स्पेस स्टेशन में उपयोग होने वाले मॉडयूल को आपस में जोड़ने के लिये आवश्यक होती है। इसके बाद से ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की चर्चाएँ काफी तेज़ हो गईं थीं।
- विशेषज्ञों के अनुसार, इस स्टेशन का भार 20 टन होगा जो कि ISS (450 टन) और चीनी अंतरिक्ष स्टेशन (80 टन) से काफी हल्का है और इस स्टेशन में 4-5 अंतरिक्ष यात्री 15-20 दिनों के लिये रुक सकेंगे। इस स्टेशन को पृथ्वी की निम्न कक्षा (LEO) में लगभग 400 किमी. की ऊँचाई पर स्थापित किया जाएगा।
- अंतरिक्ष को भविष्य की कई संभावनाओं का द्वार माना जा रहा है। इन संभावनाओं का सहभागी होने से भारत आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है।

अंतरिक्ष यात्रा के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव

- पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सीमा के ऊपर विकिरण के कारण कैंसर का खतरा बढ़ जाता है साथ में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और संज्ञानात्मक क्रियाएँ (पहचान संबंधी समस्याएँ) भी प्रभावित हो सकते हैं।
- एक लंबे समय तक एक छोटी सी जगह में लोगों के समूहों को रखा जाता है, तो उनके बीच व्यवहार संबंधी मुद्दे उभर आते हैं चाहे वे कितने भी प्रशिक्षित क्यों न हों।
- एक अंतरिक्ष यात्री को संचार में देरी, उपकरणों की विफलता या चिकित्सीय आपातकाल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
- मानक गुरुत्वाकर्षण में कमी या वृद्धि का हड्डियों, मांसपेशियों, हृदय प्रणाली सभी पर प्रभाव पड़ता है।
- रॉकेट में यात्रियों के लिये आवश्यक तापमान, दबाव, प्रकाश, ध्वनि आदि को मानव आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित करना होता है।

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता अमेरिका

- नासा द्वारा वर्ष 2011 में 'अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम' (Space Shuttle Programme) समाप्त होने की घोषणा कर दी गई थी। इसके बाद से रूसी 'सोयुज़' एकमात्र ऐसे अंतरिक्ष यान हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों को ISS में आवागमन की सुविधा देते हैं। NASA रूस के 'सोयुज़ स्पेस शटल' कार्यक्रम पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है।
- SpaceX के द्वारा अमेरिका अंतरिक्ष यात्रियों को ISS में आवागमन की सुविधा प्रदान करने में सक्षम हो गया है, जिससे निश्चित रूप से अमेरिका आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकता है।

निजी क्षेत्र की भूमिका

- अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी उद्योग की भागीदारी कोई नई बात नहीं है। पूरी दुनिया में अंतरिक्ष एजेंसियों का काम निजी कंपनियों के साथ मिलकर किया जा रहा है। सैकड़ों निजी कंपनियाँ हैं जो अपने ग्राहकों के लिये वाणिज्यिक उपग्रहों के निर्माण में लगी हुई हैं।
- नासा ने अपने 'वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम' (Commercial Crew Programme- CCP) के तहत निजी क्षेत्र की कंपनियों SpaceX और बोइंग (Boeing) के साथ अंतरिक्ष यान निर्माण के लिये समझौते किया था। अमेरिका द्वारा भविष्य में अंतरिक्ष यान का उपयोग करने के लिये लगभग 7 बिलियन डॉलर का अनुबंध किया गया था।
- लेकिन बोइंग कंपनी, विगत वर्ष किये गए परीक्षण के असफल रहने के बाद SpaceX कंपनी से अलग हो गई।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि अमेरिका 'वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम' के तहत ऐसी कंपनियों को निवेश के लिये आमंत्रित कर रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तथा पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष परिवहन सेवाएँ प्रदान कर सकें।
- निजी कंपनियों को आमंत्रित करने से अंतरिक्ष यात्रा की लागत में तेजी से कमी आने की भी उम्मीद है।

अंतरिक्ष प्रशासन संबंधी नियम

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष के सुव्यवस्थित प्रशासन के लिये कई प्रकार के प्रावधान किये गए हैं जिनमें से प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:
  - वर्ष 1967 में की गई वाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty) सदस्य देशों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये वाह्य अंतरिक्ष का प्रयोग करने की इजाज़त देती है। साथ ही यह संधि अंतरिक्ष में जनसंहारक हथियारों की तैनात करने पर पाबंदी लगाती हैं। विदित है कि भारत प्रारंभ से ही इस संधि का हिस्सा है।

नोट :

- वर्ष 1979 में सोवियत संघ की पहल के बाद 'मून एग्रीमेंट' (Moon Agreement) पर विभिन्न राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर किये गए थे। यह समझौता अन्य राष्ट्रों की अनुमति के बिना सभी खगोल पिंडों की जाँच-पड़ताल या उनके प्रयोग को प्रतिबंधित करता है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1967 में 'रेस्क्यू एग्रीमेंट' (Rescue Agreement) को अपनाया गया था। इस समझौते के अनुसार, सभी राष्ट्रों का यह दायित्त्व है कि वे सभी संकटग्रस्त अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने और उन्हें अपने देश वापस लाने का हरसंभव प्रयास करें।
- लायबिलिटी कन्वेंशन (Liability Convention) को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1971 में अपनाया गया था। इसके अनुसार, यदि किसी देश के स्पेस ऑब्जेक्ट के कारण अंतरिक्ष में किसी अन्य देश को कोई नुकसान होता है तो उसके मुआवज़े का भुगतान करने के लिये स्पेस ऑब्जेक्ट से संबंधित देश ही उत्तरदायी होगा।

मिशन की सफलता का महत्व

- दोनों यात्रियों के प्रवास के दौरान व्यापक परीक्षण किये जाएंगे ताकि भविष्य में ISS की वाणिज्यिक यात्रा की दिशा में अमेरिका की दक्षता को प्रमाणित किया जा सके।
- इससे अमेरिका की 'अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन' आधारित मिशन के लिये रूस पर निर्भरता में कमी आएगी।
- निजी क्षेत्र के प्रवेश से अन्य ग्रहों पर आधारित अमेरिका के अंतरिक्ष मिशनों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

- नासा का सहयोग प्राप्त कर भारत को अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में गंभीरता से विचार करना चाहिये।
- भारत को SpaceX के जैसी फ्लाई, टेस्ट, फेल, फिक्स (Fly, test, fail, fix) की रणनीति पर कार्य करना होगा।
- भारत का अतीत अंतरिक्ष के क्षेत्र में कामयाबी भरा रहा है। किंतु वर्तमान में अंतरिक्ष नवीन संभावनाओं को जन्म दे रहा है। इन संभावनाओं का भागी बनने के लिये भारत को भी महत्त्वपूर्ण प्रयास करने होंगे।
- भारत पहले ही अंतरिक्ष की उपयोगिता और महत्त्व को समझते हुए डिफेंस स्पेस एजेंसी तथा अंतरिक्ष प्रतिरक्षा तथा अनुसंधान संगठन के गठन की योजना पर कार्य कर रहा है। अत: इसरो को अपनी असैन्य पहचान को बल देना चाहिये साथ ही स्वयं को वाणिज्यिक क्षेत्र से भी जोड़ने की योजना बनानी चाहिये।

नोट :

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

विविधतापूर्ण भारतीय मानसून

संदर्भ

वैश्विक महामारी COVID-19 के प्रसार के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department-IMD) ने मानसूनी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मानसून अपने निर्धारित समय 1 जून को केरल के तट पर दस्तक दे चुका है। केरल में अच्छी वर्षा हो रही है और देश के अन्य हिस्सों में भी अच्छी वर्षा का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, 'दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल में पूरी तरह सक्रिय हो गया है।

इससे पूर्व भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances) की सक्रियता के कारण मानसून के आगमन में देरी का अनुमान व्यक्त किया था, परंतु एक निजी मौसम विज्ञान कंपनी ने अम्फान चक्रवात के प्रभाव का अध्ययन कर मानसून के समय से पूर्व आने का पूर्वानुमान व्यक्त किया था। तत्पश्चात भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्वानुमान को संशोधित करते हुए 1 जून को मानसून के आगमन का समय निर्धारित किया। इस प्रकार की घटनाएँ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान पर संदेह व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती हैं।

इस आलेख में भारतीय मानसून, उसकी कार्यप्रणाली, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, सामान्य मानसून के लाभ तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की कार्यप्रणाली पर विमर्श करने का प्रयास किया जाएगा।

मानसून से तात्पर्य

- ध्यातव्य है कि यह अरबी शब्द मौसिम से निकला हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है हवाओं का मिज़ाज।
- शीत ऋतु में हवाएँ उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं जिसे शीत ऋतु का मानसून कहा जाता है। उधर, ग्रीष्म ऋतु में हवाएँ इसके विपरीत दिशा में बहती हैं, जिसे दक्षिण-पश्चिम मानसून या गर्मी का मानसून कहा जाता है।
- चूँकि पूर्व के समय में इन हवाओं से व्यापारियों को नौकायन में सहायता मिलती थी, इसीलिये इन्हें व्यापारिक हवाएँ या 'ट्रेड विंड' भी कहा जाता है।

मानसून की उत्पत्ति

- ग्रीष्म ऋतु में जब हिंद महासागर में सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है, तो मानसून का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में समुद्र की सतह गरम होने लगती है और उसका तापमान 30 डिग्री तक पहुँच जाता है। जबकि इस दौरान धरती का तापमान 45-46 डिग्री तक पहुँच चुका होता है।
- ऐसी स्थिति में हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में मानसूनी हवाएँ सक्रिय हो जाती हैं। ये हवाएँ एक दूसरे को आपस में काटते हुए विषुवत रेखा पार कर एशिया की तरफ बढ़ने लगती है। इसी दौरान समुद्र के ऊपर बादलों के बनने की प्रक्रिया शुरू होती है।
- विषुवत रेखा पार करके ये हवाएँ और बादल वर्षा करते हुए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का रुख करते हैं। इस दौरान देश के तमाम हिस्सों का तापमान समुद्र तल के तापमान से अधिक हो जाता है।
- ऐसी स्थिति में हवाएँ समुद्र से सतह की ओर बहना शुरू कर देती हैं। ये हवाएँ समुद्री जल के वाष्पन से उत्पन्न जल वाष्प को सोख लेती हैं और पृथ्वी पर आते ही ऊपर की ओर उठने लगती है और वर्षा करती हुई आगे बढ़ती हैं।
- बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पहुँचने के बाद ये मानसूनी हवाएँ दो शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं।
- एक शाखा अरब सागर की तरफ से मुंबई, गुजरात एवं राजस्थान होते हुए आगे बढ़ती है तो दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वोत्तर होते हुए हिमालय से टकराकर गंगीय क्षेत्रों की ओर मुड़ जाती हैं और इस प्रकार जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरे देश में अत्यधिक वर्षा होने लगती है।

नोट :

मानसून का पूर्वानुमान कैसे ?

- वस्तुत: मानसून एक ऐसी अबूझ पहेली है जिसका अनुमान लगाना बेहद जटिल है। कारण यह है कि भारत में विभिन्न किस्म के जलवायु जोन और उप-जोन हैं। हमारे देश में 127 कृषि जलवायु उप-संभाग हैं और 36 संभाग हैं।
- मानसून विभाग द्वारा अप्रैल के मध्य में मानसून को लेकर दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसके बाद फिर मध्यम अवधि और लघु अवधि के पूर्वानुमान जारी किये जाते हैं। हालाँकि पिछले कुछ समय से 'नाऊ कास्ट' के माध्यम से मौसम विभाग ने अब कुछ घंटे पहले के मौसम की भविष्यवाणी करना आरंभ कर दिया है।
- ध्यातव्य है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणियों में हाल के वर्षों में सुधार देखा गया है। अभी मध्यम अवधि की भविष्यवाणियाँ जो 15 दिन से एक महीने की होती हैं, 70-80 फीसदी तक सटीक निकलती है।
- हालाँकि, लघु अवधि की भविष्यवाणियाँ जो आगामी 24 घंटों के लिये होती हैं करीब 90 फीसदी तक सही होती हैं। अलबत्ता, नाऊ कास्ट की भविष्यवाणियाँ करीब-करीब 99 फीसदी सही निकलती हैं।

मानसून को प्रभावित करने वाले कारक

- अल-नीनो
  - वैज्ञानिकों के अनुसार, प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के निकट खासकर पेरु तट में यदि विषुवत रेखा के इर्द-गिर्द समुद्र की सतह अचानक गरम होनी शुरू हो जाए तो अल-नीनो की स्थिति बनती है।
  - यदि तापमान में यह बढ़ोतरी 0.5 डिग्री से 2.5 डिग्री के बीच हो तो यह मानसून को प्रभावित कर सकती है। इससे मध्य एवं पूर्वी प्रशांत महासागर में हवा के दबाव में कमी आने लगती है। इसका असर यह होता कि विषुवत रेखा के इर्द-गिर्द चलने वाली व्यापारिक हवाएँ कमजोर पड़ने लगती हैं। यही हवाएँ मानसूनी हवाएँ होती हैं जो भारत में वर्षा करती हैं।

ला-नीना

- प्रशांत महासागर में उपरोक्त स्थान पर कभी-कभी समुद्र की सतह ठंडी होने लगती है। ऐसी स्थिति में अल-नीनो के ठीक विपरीत घटना होती है जिसे ला-नीना कहा जाता है।
- ला-नीना बनने से हवा के दबाव में तेजी आती है और व्यापारिक पवनों को रफ्तार मिलती है, जो भारतीय मानसून पर अच्छा प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिये, वर्ष 2009 में मानसून पर अल-नीनो के प्रभाव के कारण कम वर्षा हुई थी, जबकि वर्ष 2010 एवं 2011 में ला-नीना के प्रभाव के कारण अच्छी वर्षा हुई थी।

हिंद महासागर द्विध्रुव

- हिंद महासागर द्विध्रुव के दौरान हिंद महासागर का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा ज़्यादा गर्म या ठंडा होता रहता है। पश्चिमी हिंद महासागर के गर्म होने पर भारत के मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि ठंडा होने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

मेडेन जुलियन ऑस्किलेशन

- इसकी वजह से मानसून की प्रबलता और अवधि दोनों प्रभावित होती है। इसके प्रभावस्वरुप महासागरीय बेसिनों में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या और तीव्रता भी प्रभावित होती है, जिसके परिणामस्वरूप जेट स्ट्रीम में भी परिवर्तन आता है। यह भारतीय मानसून के संदर्भ में एल-नीनो और ला-नीना की तीव्रता और गति के विकास में भी योगदान देता है।

चक्रवात निर्माण

- चक्रवातों के केंद्र में अति निम्न दाब की स्थिति पाई जाती है जिसकी वजह से इसके आसपास की पवनें तीव्र गति से इसके केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। जब इस तरह की परिस्थितियाँ सतह के नज़दीक विकसित होती हैं तो मानसून को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। अरब सागर में बनने वाले चक्रवात, बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से अधिक प्रभावी होते हैं क्योंकि भारतीय मानसून का प्रवेश प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अरब सागर की ओर होता है।

नोट :

जेट स्ट्रीम

- जेट स्ट्रीम पृथ्वी के ऊपर तीव्र गति से चलने वाली हवाएँ हैं, ये भारतीय मानसून को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी। स्वतंत्रता के बाद 27 अप्रैल, 1949 को यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य बना।
- यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक प्रमुख एजेंसी है।
- इसका प्रमुख कार्य मौसम संबंधी भविष्यवाणी व प्रेक्षण करना तथा भूकंपीय विज्ञान के क्षेत्र में शोध करना है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- IMD के छह प्रमुख क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र हैं, जो क्रमश: चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली में स्थित है।

सामान्य मानसून के संभावित लाभ

- खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि
  - वर्षा अच्छी होने का सबसे अच्छा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ता है। जहाँ सिंचाई की सुविधा मौजूद नहीं है, वहाँ बारिश होने से अच्छी फसल होने की संभावना बढ़ जाती है।
  - इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं भी, तो ऐसे क्षेत्रों में समय पर अच्छी वर्षा होने से किसानों को नलकूप चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही उनकी उत्पादन लागत में कमी आयेगी। फलत: अच्छे उत्पादन से किसानों को फायदा होगा और खाद्यान्नों की मूल्यवृद्धि भी नियंत्रित रहेगी।
- जल की कमी दूर होगी
  - अच्छे मानसून से पीने के पानी की उपलब्धता संबंधी समस्या का भी काफी हद तक समाधान होता है। एक तो नदियों, तालाबों में पर्याप्त मात्रा में पानी जमा हो जाता है। दूसरे, भूजल का भी पुनर्भरण होता है।
- बिजली संकट कम होगा
  - मानूसन के चार महीनों में अच्छी वर्षा होने से नदियों, जलाशयों का जलस्तर बढ़ जाता है। इससे बिजली उत्पादन भी अच्छा होता है।
  - यदि वर्षा कम हो और जलस्तर कम हो जाए तो बिजली उत्पादन भी प्रभावित होता है।
- गर्मी से राहत
  - मानसून की वर्षा जहाँ एक ओर खेती-बाड़ी, जलाशयों, नदियों को पानी से लबालब कर देती हैं, वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी से तप रहे देश को भी गर्मी से राहत प्रदान करती है।

नोट :

सामाजिक न्याय

मानसिक स्वास्थ्य: अवसंरचना निर्माण की आवश्यकता

संदर्भ

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, तकरीबन 7.5 प्रतिशत भारतीय किसी न किसी रूप में अवसाद से ग्रस्त हैं। इतना ही नहीं WHO के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2020 तक भारत की लगभग 20 प्रतिशत आबादी मानसिक रोगों से पीड़ित होगी। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत द्वारा अवसाद से ग्रस्त होने के कारण आत्महत्या कर लेने की घटना ने मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के विस्तृत अध्ययन और उसके समाधान को पुन: विमर्श के केंद्र में ला दिया है।

मानसिक रोगियों की इतनी बड़ी संख्या के बावजूद भी अब तक भारत में इसे एक रोग के रूप में पहचान नहीं मिल पाई है, आज भी यहाँ मानसिक स्वास्थ्य की पूर्णत: उपेक्षा की जाती है और इसे काल्पनिक माना जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि जिस प्रकार शारीरिक रोग हमारे लिये हानिकारक हो सकते हैं उसी प्रकार मानसिक रोग भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

इस आलेख में मानसिक स्वास्थ्य, भारत में मानसिक स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ, समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अवधारणा तथा सरकार के प्रयासों का विश्लेषण किया जाएगा।

मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य

- मानसिक स्वास्थ्य में हमारा भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल होता है। यह हमारे सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है।
- गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी स्वास्थ्य संबंधी परिभाषा में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी शामिल करता है।
- मानसिक विकार में अवसाद (Depression) दुनिया भर में सबसे बड़ी समस्या है।
- कई शोधों में यह सिद्ध किया जा चुका है कि अवसाद, हृदय संबंधी रोगों का मुख्य कारण है।
- मानसिक विकार कई सामाजिक समस्याओं जैसे- बेरोज़गारी, गरीबी और नशाखोरी आदि को जन्म देती है।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति

- हाल ही में इंडिया स्टेट लेवल डिज़ीज़ बर्डन इनिशिएटिव (India State-Level Disease Burden Initiative) द्वारा भारत में मानसिक विकारों के संबंध में एक अध्ययन किया गया जिसे लांसेट साइकाइट्री (Lancet Psychiatry) में प्रकाशित किया गया।
- इसके अनुसार, अवसाद तथा चिंता भारत में मानसिक विकारों के प्रमुख कारण हैं तथा इनका प्रभाव दक्षिणी राज्यों और महिलाओं में अधिक है। इसके अलावा इसमें लगातार वृद्धि हो रही है।
- लगभग प्रत्येक 7 में से 1 भारतीय या कुल 19 करोड़ 70 लाख लोग विभिन्न प्रकार के मानसिक विकारों से ग्रसित हैं।
- वर्ष 2017 में देश में लगभग 76 लाख लोग बाइपोलर डिसऑर्डर (Bipolar Disorder) से ग्रसित थे। इसका सर्वाधिक प्रभाव गोवा, केरल, सिक्किम तथा हिमाचल प्रदेश में देखा गया।
- वर्ष 2018 में लगभग 35 लाख लोग सिज़ोफ्रेनिया (Schizophrenia) से ग्रसित थे। इसका प्रभाव गोवा, केरल, तमिलनाडु तथा दिल्ली में सर्वाधिक था।
- भारत में कुल बीमारियों में मानसिक विकारों की हिस्सेदारी विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष (Disability Adjusted Life Years- DALY) के अनुसार, वर्ष 1990 में 2.5 प्रतिशत थी तथा वर्ष 2017 में यह बढ़कर 4.7 प्रतिशत हो गई।
- यहाँ 1 DALY का आशय स्वस्थ जीवन में एक वर्ष की कमी से है।

नोट :

- वर्ष 2018 में भारत में मानसिक विकार DALY के सभी मामलों में 33.8% लोग अवसाद (Depression), 19% लोग एंग्जायटी डिसऑर्डर (Anxiety Disorder), 10.8% लोग इडियोपथिक डेवलपमेंटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी (Idiopathic Developmental Intellectual Disability) तथा 9.8% लोग सिज़ोफ्रेनिया (Schizophrenia) से ग्रसित थे।
- इस अध्ययन में राज्यों को सामाजिक-जनांकिकीय इंडेक्स (Socio-Demographic Index- SDI) के आधार पर तीन वर्गों- निम्न, मध्यम, तथा उच्च में विभाजित किया गया।
- SDI के मापन में राज्य की प्रतिव्यक्ति आय, औसत शिक्षा, 25 वर्ष से कम आयु की महिलाओं में प्रजनन दर जैसे पैमानों को अपनाया गया।
- उच्च SDI वाले राज्यों जैसे- तमिलनाडु, केरल, गोवा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तेलंगाना में अवसाद एवं एंग्जायटी की समस्या से सर्वाधिक ग्रसित लोग थे।

मानसिक विकार के कारण

- मानसिक विकार का एक महत्त्वपूर्ण कारक आनुवंशिक होता है। मनोविक्षिप्त या साइकोसिस, सिज़ोफ्रेनिया इत्यादि रोग उन लोगों में अधिक पाए जाते हैं, जिनके परिवार का कोई सदस्य इनसे पीड़ित होता है। ऐसे व्यक्ति के बच्चों में यह खतरा लगभग दोगुना हो जाता है।
- मानसिक विकार की एक वजह शारीरिक परिवर्तन भी माना जाता है। दरअसल किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, गर्भ-धारण जैसे शारीरिक परिवर्तन के कारण मानसिक विकार की संभावना बढ़ जाती है।
- मनोवैज्ञानिक कारणों को आज के समय में इसकी मुख्य वजह मानी जा रही है। उदाहरण के लिये आपसी संबंधों में टकराहट, किसी निकटतम व्यक्ति की मृत्यु, सम्मान को ठेस, आर्थिक हानि, तलाक, परीक्षा या प्रेम में असफलता इत्यादि।
- सहनशीलता का अभाव, बाल्यावस्था के अनुभव, खतरनाक किस्म के विडियोगेम, तनावपूर्ण परिस्थितियाँ और इनका सामना करने की असमर्थता मानसिक विकार के लिये जिम्मेदार मानी जा रही हैं।

समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अवधारणा

- वस्तुत: जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ सार्वजनिक और निजी दोनों स्तरों पर मानसिक बीमारी (Mental illness) हमेशा से एक उपेक्षित मुद्दा रही है। इसके विषय में न केवल समाज का रवैया बेरूखा है बल्कि सरकार की दृष्टि में भी यह एक उपेक्षित विषय ही है।
- सबसे चिंताजनक बात यह है कि किसी भी मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति को पागल समझा जाता है और उस व्यक्ति को समाज में उपेक्षा भरी नज़रों से देखा जाने लगता है।
- मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति समाज व परिवार के उपेक्षा पूर्ण बर्ताव के कारण अकेलेपन का भी शिकार हो जाता है। अकेलेपन के कारण वह अपने विचारों को दूसरे के साथ साझा नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति या तो स्वयं को हानि पँहुचाता है या अन्य लोगों को।
- यदि कोई व्यक्ति एक बार किसी मानसिक रोग से ग्रसित हो जाता है तो जीवन भर उसे इसी तमगे के साथ जीना पड़ता है, चाहे वह उस रोग से मुक्ति पा ले। आज भी भारत में इस प्रकार के लोगों के लिये समाज की मुख्य धारा से जुड़ना काफी चुनौतीपूर्ण होता है।

मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ

- आँकड़े दर्शाते हैं कि भारत में महिलाओं की आत्महत्या दर पुरुषों से काफी अधिक है। जिसका मूल घरेलू हिंसा, छोटी उम्र में शादी, युवा मातृत्व और अन्य लोगों पर आर्थिक निर्भरता आदि को माना जाता है। महिलाएँ मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से पुरुषों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होती हैं। परंतु हमारे समाज में यह मुद्दा इतना सामान्य हो गया है कि लोगों द्वारा इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता।
- भारत में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकारों से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियाँ भी एक बड़ी चुनौती है। उदाहरण के लिये भारत में वर्ष 2017 तक आत्महत्या को एक अपराध माना जाता था और भारतीय दंड संहिता के तहत इसके लिये अधिकतम 1 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया था। जबकि कई मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि अवसाद, तनाव और चिंता आत्महत्या के पीछे कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं।
- ध्यातव्य है कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिये भी भारत के पास आवश्यक क्षमताओं की कमी है। आँकड़े बताते हैं कि वर्ष 2018 में भारत की विशाल जनसंख्या के लिये मात्र 5,147 मनोचिकित्सक और 2,035 से भी कम मनोवैज्ञानिक मौजूद थे।

नोट :

- मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को ठीक ढंग से संबोधित न किये जाने के कारण अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इससे न केवल देश की मानव पूंजी को नुकसान होता है बल्कि प्रभावित व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है, क्योंकि इस रोग के इलाज की जो भी सुविधाएँ उपलब्ध हैं वे अपेक्षाकृत काफी महँगी हैं।
- WHO के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य विकारों का सर्वाधिक प्रभाव युवाओं पर पड़ता है और चूँकि भारत की अधिकांश जनसंख्या युवा है इसलिये यह एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आता है।

बजटीय व्यय का अभाव

- गौरतलब है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Mental Health Survey - NMHS) 2015-16 के अनुसार, भारत के अधिकांश राज्यों में मानसिक स्वास्थ्य का कुल बजट 1प्रतिशत से भी कम है।
- इनमें से कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिनमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देशों में स्पष्टता और संपूर्णता की कमी होने के कारण सही दिशा में धन का उपयोग नहीं किया जा रहा है।
- वर्तमान में केवल गुजरात और केरल दो ही राज्य ऐसे हैं जहाँ मानसिक स्वास्थ्य के लिये अलग बजट की व्यवस्था की गई है।
- वस्तुत: राज्यों को मानसिक स्वास्थ्य के लिये पृथक बजट की व्यवस्था करने के संबंध में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का सटीक कार्यान्वयन, पर्याप्त मात्रा में बजट की उपलब्धता, समय-सीमा, ज़िम्मेदार एजेंसियों और परिणामों की निगरानी के लिये बेहतर प्रबंधन आदि बहुत से ऐसे कारक शामिल हैं।

सरकार के द्वारा किये गए प्रयास

- वर्ष 1982 में मानसिक रोग से निपटने के लिये देश में मानसिक देखभाल के आधारभूत ढाँचे के विकास को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (National Mental Health Programm-NMHP) की शुरूआत की गई।
- कार्यक्रम की कार्यनीति में वर्ष 2003 में दो योजनाओं राज्य मानसिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण और सरकारी मेडिकल कॉलेजों/जनरल अस्पतालों में मनोचिकित्सा विंग को शामिल किया गया।
- वर्ष 2014 को सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि इस नीति के अंतर्गत जिन बातों को शामिल किया गया उनमें मुख्य रूप से रोगी केंद्रित और प्रगतिशील दृष्टिकोण वाले प्रावधान थे। इसके साथ-साथ इसके अंतर्गत सेवा वितरण और प्रशासन में पारदर्शिता और व्यावसायिकता लाने संबंधी प्रावधानों को भी जगह दी गई।
- सरकार इस दिशा में आगे बढ़ते हुए वर्ष 2017 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (Mental Healthcare Act), 2017 लेकर आयी ताकि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत किया जा सके।
- यह अधिनियम 7 अप्रैल, 2017 को पारित किया गया था तथा यह 7 जुलाई, 2018 से लागू हुआ था। अधिनियम ने 1987 में पारित मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम,1987 का स्थान लिया है।

अन्य प्रयास

- सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य प्रोग्राम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के गैर-संचारी रोगों (non-communicable diseases - NCDs) के फ्लेक्सी पूल (flexi pool) के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- एन.सी.डी. के फ्लेक्सी पूल (flexi pool) हेतु आवंटित राशि को पिछले दो वर्षों में तकरीबन तीन गुना बढ़ाया गया है। यानी अब राज्यों द्वारा केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के कोष का उपयोग विशेषज्ञों एवं अन्य सुविधाओं के भुगतान में किया जा सकता है।
- मानसिक विकार से पीड़ित लोगों की पूर्व जाँच और उनके इलाज के लिये जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में विभिन्न निवारक गतिविधियों को शामिल किया गया है जिसमें स्कूल मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ, कॉलेज परामर्श सेवाएँ, कार्यस्थल पर तनाव कम करने और आत्महत्या रोकथाम सेवाएँ शामिल हैं।

आगे की राह

- वैश्विक महामारी COVID-19 के दौर में देश में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या लगातार वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में आवश्यक है कि इससे निपटने के लिये उपर्युक्त क्षमताओं का विकास किया जाए और संसाधनों में वृद्धि की जाए।

नोट :

- यदि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया ऐसे मानसिक रोगग्रस्त लोगों की समस्याओं को संवेदनशील ढंग से उठाएँ तो निश्चय ही समाज का उपेक्षावादी रवैया कमजोर होगा और संवेदनशीलता में वृद्धि होगी।
- स्वास्थ्य देखभाल राज्य सूची का विषय है और इसलिये इसकी चुनौतियों से निपटने के लिये राज्य और केंद्र के मध्य उचित समन्वय की आवश्यकता है।
- बजटीय आवंटन की चिंताजनक स्थिति भी मानसिक स्वास्थ्य सुधारों में एक बड़ी बाधा है, ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान तथा अन्य एजेंसियों द्वारा मानसिक समस्याओं से ग्रसित लोगों की पहचान करते हुए, मानसिक रोगों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील तबके के लिये एक निश्चित आय की व्यवस्था कर दिया जाए।

लैंगिक असमानता: कारण और समाधान

संदर्भ

'जब हम महिलाओं और बालिकाओं में निवेश करते हैं, तो वास्तविकता में हम उन लोगों में निवेश कर रहे होते हैं, जो बाकी सभी क्षेत्रों में निवेश करते हैं'। मेलिंडा गेट्स का यह कथन प्रत्येक क्षेत्र में न केवल महिलाओं के महत्त्व को रेखांकित करता है, बल्कि उनकी उनकी प्रासंगिकता का भी विनिर्धारण करता है। क्या आपने कभी अपने आस-पास या पड़ोस में बेटी के जन्म पर ढ़ोल नगाड़े या शहनाइयाँ बजते देखा है? शायद नहीं देखा होगा और देखा भी होगा तो कहीं इक्का-दुक्का। वस्तुत: हम भारत के लोग 21वीं सदी के भारतीय होने पर गर्व करते हैं, बेटा पैदा होने पर खुशी का जश्न मनाते हैं और अगर बेटी का जन्म हो जाए तो शांत हो जाते हैं। वैश्विक महामारी COVID-19 के बाद महिलाओं की स्थिति में गिरावट की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसलिये इस समस्या से निपटने में असाधारण सुधारात्मक नीतियों के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) के द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट (Global Gender Gap Report), 2020 के अनुसार, भारत 91/100 लिंगानुपात के साथ 112वें स्थान पर रहा। उल्लेखनीय है कि वार्षिक रूप से जारी होने वाली इस रिपोर्ट में भारत पिछले दो वर्षों से 108वें स्थान पर बना हुआ था। महिला और पुरुष समाज के मूल आधार हैं। समाज में लैंगिक असमानता सोच-समझकर बनाई गई एक खाई है, जिससे समानता के स्तर को प्राप्त करने का सफर बहुत मुश्किल हो जाता है।

लैंगिक असमानता के विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र के साथ वैज्ञानिक क्षेत्र, मनोरंजन क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र और खेल क्षेत्र प्रमुख हैं। लैंगिक असमानता की इस खाई को दूर करने में हमें अभी मीलों चलना होगा। इस आलेख में लैंगिक असमानता के कारणों पर न केवल चर्चा की जाएगी बल्कि इस समस्या का समाधान तलाशने का प्रयास भी किया जाएगा।

लैंगिक असमानता से तात्पर्य

- लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमज़ोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है।
- वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है।
- वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2020 के अनुसार भारत 153 देशों में 112वें स्थान पर रहा। इससे साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में लैंगिक भेदभाव की जड़ें कितनी मज़बूत और गहरी हैं।

चिंताजनक हैं आँकड़े

- वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2020 के अनुसार, महिला स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता तथा आर्थिक भागीदारी के मामले में भारत सूची में निम्न स्थान प्राप्त करने वाले पाँच देशों में शामिल है।
  - स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता के क्षेत्र में भारत (150वाँ स्थान) का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है।
  - जबकि भारत के मुकाबले हमारे पड़ोसी देशों का प्रदर्शन बेहतर रहा- बांग्लादेश (50वाँ), नेपाल (101),श्रीलंका (102वाँ), इंडोनेशिया (85वाँ) और चीन (106वाँ)।
  - जबकि यमन (153वाँ), इराक़ (152वाँ) और पाकिस्तान (151वाँ) का प्रदर्शन सबसे खराब रहा।

नोट :

- राजनीतिक सशक्तीकरण और भागीदारी में अन्य बिंदुओं की अपेक्षा भारत का प्रदर्शन (18वाँ स्थान) बेहतर रहा है।
  - लेकिन भारतीय राजनीति में आज भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बहुत ही कम है, आकड़ों के अनुसार, केवल 14 प्रतिशत महिलाएँ ही संसद तक पहुँच पाती हैं (विश्व में 122वाँ स्थान)।
  - रिपोर्ट के अनुसार, भारत के इस बेहतर प्रदर्शन का कारण यह है कि भारतीय राजनीति में पिछले 50 में से 20 वर्षों में अनेक महिलाएँ राजनीतिक शीर्षस्थ पदों पर रही है। (इंदिरा गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, जयललिता आदि)
- महिलाओं के लिये शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता के मामले में भारत का स्थान विश्व में 112वाँ है।
  - जबकि इस मानक पर वर्ष 2018 में भारत का स्थान 114वाँ और वर्ष 2017 में 112वें स्थान पर रहा।
- रिपोर्ट के अनुसार, 2006 में पहली बार प्रकाशित आकड़ों की तुलना में आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं के लिये सक्रिय भागीदारी के अवसरों में कमी आई है।
  - 153 देशों में किये गए सर्वे में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत राजनीतिक क्षेत्र से कम है।
  - WEF के आँकड़ों के अनुसार, अवसरों के मामले में विभिन्न देशों में आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति इस प्रकार है- भारत (35.4%), पाकिस्तान (32.7%), यमन (27.3%), सीरिया (24.9%) और इराक़ (22.7%)।

लैंगिक असमानता का अर्थशास्त्र

- महिलाएँ दुनिया की कुल आबादी का करीब-करीब आधा हिस्सा हैं, और इसी कारण से लैंगिक विभेद के व्यापक और दूरगामी असर होते हैं, जिनका समाज के हर स्तंभ पर असर दिखता है।
- इस का आर्थिक मोर्चे पर भी बहुत गहरा असर होता है। विश्व बैंक समूह की वर्ष 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुरुषों और महिलाओं के वेतन में असमानता की वजह से विश्व अर्थव्यवस्था को करीब 160 खरब डॉलर की क्षति उठानी पड़ी थी।
- यह एक बड़ी हानि है, जिसकी व्यापकता का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। खास तौर से तब, जब हमें यह पता चलता है कि अगर पुरुष और महिला कामगारों का वेतन एकसमान कर दिया जाए, तो इससे विश्व की संपत्ति में हर व्यक्ति की ज़िंदगी में क़रीब 23 हज़ार 620 डॉलर की वृद्धि हो जाएगी।

लैंगिक असमानता के कारक

- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद वर्तमान भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता जटिल रूप में व्याप्त है। इसके कारण महिलाओं को आज भी एक ज़िम्मेदारी समझा जाता है। महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक रुढ़ियों के कारण विकास के कम अवसर मिलते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। सबरीमाला और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर सामाजिक मतभेद पितृसत्तात्मक मानसिकता को प्रतिबिंबित करता है।
- भारत में आज भी व्यावहारिक स्तर (वैधानिक स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति पर महिलाओं का समान अधिकार है) पर पारिवारिक संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार प्रचलन में नहीं है इसलिये उनके साथ विभेदकारी व्यवहार किया जाता है।
- राजनीतिक स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को छोड़कर उच्च वैधानिक संस्थाओं में महिलाओं के लिये किसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।
- वर्ष 2017-18 के नवीनतम आधिकारिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey) के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला श्रम शक्ति (Labour Force) और कार्य सहभागिता (Work Participation) दर कम है। ऐसी परिस्थितियों में आर्थिक मापदंड पर महिलाओं की आत्मनिर्भरता पुरुषों पर बनी हुई है।
- महिलाओं के रोज़गार की अंडर-रिपोर्टिंग (Under-Reporting) की जाती है अर्थात् महिलाओं द्वारा परिवार के खेतों और उद्यमों पर कार्य करने को तथा घरों के भीतर किये गए अवैतनिक कार्यों को सकल घरेलू उत्पाद में नहीं जोड़ा जाता है।
- शैक्षिक कारक जैसे मानकों पर महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा कमज़ोर है। हालाँकि लड़कियों के शैक्षिक नामांकन में पिछले दो दशकों में वृद्धि हुई है तथा माध्यमिक शिक्षा तक लैंगिक समानता की स्थिति प्राप्त हो रही है लेकिन अभी भी उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का नामांकन पुरुषों की तुलना में काफी कम है।

नोट :

असमानता को समाप्त करने के प्रयास

- समाज की मानसिकता में धीरे-धीरे परिवर्तन आ रहा है जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर गंभीरता से विमर्श किया जा रहा है। तीन तलाक, हाज़ी अली दरगाह में प्रवेश जैसे मुद्दों पर सरकार तथा न्यायालय की सक्रियता के कारण महिलाओं को उनका अधिकार प्रदान किया जा रहा है।
- राजनीतिक प्रतिभाग के क्षेत्र में भारत लगातार अच्छा प्रयास कर रहा है इसी के परिणामस्वरुप वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक- 2020 के राजनीतिक सशक्तीकरण और भागीदारी मानक पर अन्य बिंदुओं की अपेक्षा भारत को 18वाँ स्थान प्राप्त हुआ।
- भारत ने मैक्सिको कार्ययोजना (1975), नैरोबी अग्रदर्शी (Provident) रणनीतियाँ (1985) और लैंगिक समानता तथा विकास एवं शांति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र द्वारा 21वीं शताब्दी के लिये अंगीकृत "बीजिंग डिक्लरेशन एंड प्लेटफार्म फॉर एक्शन को कार्यान्वित करने के लिये और कार्रवाइयाँ एवं पहलें" जैसी लैंगिक समानता की वैश्विक पहलों की अभिपुष्टि की है।
- 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं', 'वन स्टॉप सेंटर योजना', 'महिला हेल्पलाइन योजना' और 'महिला शक्ति केंद्र' जैसी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तीकरण का प्रयास किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप लिंगानुपात और लड़कियों के शैक्षिक नामांकन में प्रगति देखी जा रही है।
- आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु मुद्रा और अन्य महिला केंद्रित योजनाएँ चलाई जा रही हैं।
- लैंगिक असमानता को दूर करने के लिये कानूनी प्रावधानों के अलावा किसी देश के बजट में महिला सशक्तीकरण तथा शिशु कल्याण के लिये किये जाने वाले धन आवंटन के उल्लेख को जेंडर बजटिंग कहा जाता है। दरअसल जेंडर बजटिंग शब्द विगत दो-तीन दशकों में वैश्विक पटल पर उभरा है। इसके ज़रिये सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुँचाया जाता है।

'जेंडर बजटिंग' क्या है ?

- लैंगिक समानता के लिये कानूनी प्रावधानों के अलावा किसी देश के बजट में महिला सशक्तीकरण तथा शिशु कल्याण के लिये किये जाने वाले धन आवंटन के उल्लेख को जेंडर बजटिंग कहा जाता है।
- महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिये 2005 से भारत ने औपचारिक रूप से वित्तीय बजट में जेंडर उत्तरदायी बजटिंग (Gender Responsive Budgeting- GRB) को अंगीकार किया था। जीआरबी का उद्देश्य है- राजकोषीय नीतियों के माध्यम से लिंग संबंधी चिंताओं का समाधान करना।

आगे की राह

- लैंगिक समानता के उद्देश्य को हासिल करना जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन और कार्यालयों में कुछ पोस्टर चिपकाने तक ही सीमित नहीं है। यह मूल रूप से किसी भी समाज के दो सबसे मजबूत संस्थानों - परिवार और धर्म की मान्यताओं को बदलने से संबंधित है।
- जेंडर बजटिंग के माध्यम से महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभार्थी बनाने की बजाय उन्हें विकास यात्रा की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी बनाना होगा। हालाँकि, जेंडर बजटिंग लैंगिक असमानता को खत्म करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है लेकिन इसके लिये जीआरबी के माध्यम से नीतियों को और अधिक प्रभावी और व्यापक दृष्टिकोण से युक्त बनाना होगा, उचित और व्यावहारिक आवंटन सुनिश्चित करना होगा। वास्तविक सुधारों के लिये जेंडर बजटिंग को महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता से जोड़ना होगा।

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

सोशल मीडिया: समस्या व समाधान

संदर्भ

कुछ दिन पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अफ्रीकी-अमेरिकी युवक की मृत्यु के बाद बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन को दौर प्रारंभ हो गया। यह हिंसक विरोध प्रदर्शन स्वत: परंतु सोशल मीडिया द्वारा विनियोजित था। हमने पूर्व में अरब की सड़कों पर शुरू हुए प्रदर्शनों (जिसने कई तानाशाहों की सत्ता को चुनौती दी) में भी सोशल मीडिया के व्यापक प्रभाव का अनुभव किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपने विचारों को एक-दूसरे के साथ साझा कर एक नई बौद्धिक दुनिया का निर्माण कर रहे हैं।

वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक अहम पहलू है। इस अधिकार के उपयोग के लिये सोशल मीडिया ने जो अवसर नागरिकों को दिये हैं, एक दशक पूर्व उनकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। दरअसल, इस मंच के ज़रिये समाज में बदलाव की बयार लाई जा सकती है। लेकिन, चिंता का विषय है कि मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया अपनी आलोचनाओं के लिये चर्चा में रहता है। दरअसल, सोशल मीडिया की भूमिका सामाजिक समरसता को बिगाड़ने और सकारात्मक सोच की जगह समाज को बाँटने वाली सोच को बढ़ावा देने वाली हो गई है।

इस आलेख में सोशल मीडिया, उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, भारत में स्थिति, सोशल मीडिया व निजता के अधिकार में संतुलन और सोशल मीडिया के विनियमन पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

सोशल मीडिया से तात्पर्य

- 'सामाजिक संजाल स्थल' (social networking sites) आज के इंटरनेट का एक अभिन्न अंग है जो दुनिया में एक अरब से अधिक लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। यह एक ऑनलाइन मंच है जो उपयोगकर्ता को एक सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने एवं वेबसाइट पर अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ सहभागिता करने की अनुमति देता है।
- प्रोफाइल का उपयोग अपने विचारों को साझा करने, पहचान के लोगों या अजनबियों से बात करने में किया जाता है। उदाहरण - फेसबुक, ट्विटर आदि इस संपूर्ण प्रक्रिया में वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता की निजी सूचनाएँ भी साझा हो जाती हैं।
- यह पूरी प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित होती है, जहाँ विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। उपयोग के बहु-विविध तरीके और तकनीकी निर्भरता ने 'सामाजिक संजाल स्थल' को विभिन्न प्रकार के ख़तरों के प्रति सुभेद्य किया है।

सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव

- सोशल मीडिया दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है और इसने विश्व में संचार को नया आयाम दिया है।
- सोशल मीडिया उन लोगों की आवाज़ बन सकता है जो समाज की मुख्य धारा से अलग हैं और जिनकी आवाज़ को दबाया जाता रहा है।
- वर्तमान में सोशल मीडिया कई व्यवसायियों के लिये व्यवसाय के एक अच्छे साधन के रूप में कार्य कर रहा है।
- सोशल मीडिया के साथ ही कई प्रकार के रोज़गार भी पैदा हुए हैं।
- वर्तमान में आम नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिये सोशल मीडिया का प्रयोग काफी व्यापक स्तर पर किया जा रहा है।
- कई शोधों में सामने आया है कि दुनिया भर में अधिकांश लोग रोज़मर्रा की सूचनाएँ सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं।

सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव

- कई शोध बताते हैं कि यदि कोई सोशल मीडिया का आवश्यकता से अधिक प्रयोग किया जाए तो वह हमारे मस्तिष्क को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और हमे डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है।
- सोशल मीडिया साइबर-बुलिंग को बढ़ावा देता है।
- यह फेक न्यूज़ और हेट स्पीच फैलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

नोट :

- सोशल मीडिया पर गोपनीयता की कमी होती है और कई बार आपका निजी डेटा चोरी होने का खतरा रहता है।
- साइबर अपराधों जैसे- हैकिंग और फिशिंग आदि का खतरा भी बढ़ जाता है।
- आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी का चलन भी काफी बढ़ गया है, ये लोग ऐसे सोशल मीडिया उपयोगकर्त्ता की तलाश करते हैं जिन्हें आसानी से फँसाया जा सकता है।
- सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है।

सोशल मीडिया और भारत

- सोशल मीडिया ने समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ने और खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर दिया है।
- आँकड़ों के अनुसार, वर्तमान में भारत में तकरीबन 350 मिलियन सोशल मीडिया यूज़र हैं और अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2023 तक यह संख्या लगभग 447 मिलियन तक पहुँच जाएगी।
- वर्ष 2019 में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय उपयोगकर्त्ता औसतन 2.4 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं।
  - इसी रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस के उपयोगकर्त्ता सोशल मीडिया का सबसे अधिक (औसतन 4 घंटे) प्रयोग करते हैं, जबकि इस आधार पर जापान में सबसे कम (45 मिनट) सोशल मीडिया का प्रयोग होता है।
- इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया अपनी आलोचनाओं के कारण भी चर्चा में रहता है। दरअसल, सोशल मीडिया की भूमिका सामाजिक समरसता को बिगाड़ने और सकारात्मक सोच की जगह समाज को बाँटने वाली सोच को बढ़ावा देने वाली हो गई है।
- भारत में नीति निर्माताओं के समक्ष सोशल मीडिया के दुरुपयोग को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है एवं लोगों द्वारा इस ओर गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है।

सोशल मीडिया का दुरुपयोग

- आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018-19 में फेसबुक, ट्विटर समेत कई साइटों पर 3,245 आपत्तिजनक सामग्रियों के मिलने की शिकायत की गई थी जिनमें से जून 2019 तक 2,662 सामग्रियाँ हटा दी गईं थीं।
  - उल्लेखनीय है कि इनमें ज़्यादातर वह सामग्री थी जो धार्मिक भावनाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान का निषेध करने वाले कानूनों का उल्लंघन कर रही थी। इस अल्पावधि में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सामग्री का पाया जाना यह दर्शाता है कि सोशल मीडिया का कितना ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है।
- दूसरी ओर सोशल मीडिया के ज़रिये ऐतिहासिक तथ्यों को भी तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। न केवल ऐतिहासिक घटनाओं को अलग रूप में पेश करने की कोशिश हो रही है बल्कि आज़ादी के सूत्रधार रहे नेताओं के बारे में भी गलत जानकारी बड़े स्तर पर साझा की जा रही है।
- विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचनाओं का प्रसार कुछ प्रमुख उभरते जोखिमों में से एक है।
- यकीनन यह न केवल देश की प्रगति में रुकावट है, बल्कि भविष्य में इसके खतरनाक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। अत: आवश्यक है कि देश की सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए इसे पूरी तरह रोकने का प्रयास करना चाहिये।

सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ संबंधी नियम-कानून

- भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले से ही सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2008 के दायरे में आते हैं।
- यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अदालत या कानून प्रवर्तन संस्थाओं द्वारा किसी सामग्री को हटाने का आदेश दिया जाता है तो उन्हें अनिवार्य रूप से ऐसा करना होगा।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्टिंग तंत्र भी मौजूद हैं, जो यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि क्या कोई सामग्री सामुदायिक दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रही है या नहीं और यदि वह ऐसा करते हुए पाई जाती है तो उसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाता है।

नोट :

- भारत में फेक न्यूज़ को रोकने के लिये कोई विशेष कानून नहीं है। परंतु भारत में अनेक संस्थाएँ हैं जो इस संदर्भ में कार्य कर रही हैं-
  - प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया: एक ऐसी ही नियामक संस्था है जो समाचार पत्र, समाचार एजेंसी और उनके संपादकों को उस स्थिति में चेतावनी दे सकती है यदि यह पाया जाता है कि उन्होंने पत्रकारिता के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।
  - न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन: निजी टेलीविजन समाचार और करेंट अफेयर्स के प्रसारकों का प्रतिनिधित्व करता है एवं उनके विरुद्ध शिकायतों की जाँच करता है।
  - ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल: टीवी ब्रॉडकास्टरों के खिलाफ आपत्तिजनक टीवी कंटेंट और फर्ज़ी खबरों की शिकायत स्वीकार करती है और उनकी जाँच करती है।

सोशल मीडिया और निजता का मुद्दा

- वर्तमान परिदृश्य भारत को डिजिटल सेवाओं के लिये एक नवीन डिजाइन तैयार करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं, जिसमें व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों का समावेश हो।
- निजता संरक्षण, डेटा संरक्षण से जुड़ा विषय है क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी डिजिटल पहचान द्वारा इंटरनेट माध्यम का प्रयोग करता है तो उस दौरान विभिन्न डाटाओं का संग्रह तैयार हो जाता है जिससे बड़ी आसानी से उपयोगकर्त्ता के निजी डाटा को प्राप्त किया जा सकता है।
- अत: डेटा संरक्षण ढाँचे के डिज़ाइन में महत्त्वपूर्ण चुनौती डिजिटलीकरण के उपयोग से दीर्घकालिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना तथा इसके साथ ही गोपनीयता को बनाए रखना भी है।
- भारत में प्रभावी डेटा संरक्षण के लिये डेटा नियामकों के पदानुक्रम और एक मजबूत नियामक ढाँचे की आवश्यकता होगी, जो जटिल डिजिटल सेटअप और आम सहमति के अलावा हमारे मूल अधिकारों की रक्षा कर सके।

निष्कर्ष

- पिछले वर्ष भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान ग्वालियर के अध्ययन में बताया गया कि भारत आने वाले 89 फीसदी पर्यटक सोशल मीडिया के ज़रिये ही भारत के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि इनमें से 18 फीसदी लोग तो भारत आने की योजना ही तब बनाते हैं जब सोशल मीडिया से प्राप्त सामग्री इनके मन में भारत की अच्छी तस्वीर पेश करती है।
- सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को नया आयाम दिया है, आज प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी डर के सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार रख सकता है और उसे हज़ारों लोगों तक पहुँचा सकता है, परंतु सोशल मीडिया के दुरुपयोग ने इसे एक खतरनाक उपकरण के रूप में भी स्थापित कर दिया है तथा इसके विनियमन की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है। अत: आवश्यक है कि निजता के अधिकार का उल्लंघन किये बिना सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिये सभी पक्षों के साथ विचार-विमर्श कर नए विकल्पों की खोज की जाए, ताकि भविष्य में इसके संभावित दुष्प्रभावों से बचा जा सके।

साइबर सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता

संदर्भ

हम जितनी तेज़ी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक उतनी ही तेज़ी से साइबर अपराध की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। इसका एक ताजा उदाहरण ऑस्ट्रेलिया की संचार प्रणाली पर हुआ साइबर हमला है, जिसने शासन व्यवस्था की संचार प्रणाली को बाधित कर दिया है। साइबर विशेषज्ञों ने भारत में भी एक बड़े साइबर हमले की आशंका व्यक्त की है।

भारत में पूर्व में भी बढ़ती आवृत्ति के साथ साइबर हमले होते रहे हैं। उदाहरण के लिये वर्ष 2016 में बैंक खाताधारकों के 3.2 मिलियन डेबिट कार्ड की व्यक्तिगत जानकारी का लीक होना और उनका डेटा चोरी होना भारत में एक बड़ा साइबर हमला था। वर्तमान में साइबर सुरक्षा रणनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसका प्रभाव क्षेत्र किसी देश के शासन, अर्थव्यवस्था और कल्याण के सभी पहलुओं को कवर करने में सैन्य प्रभाव व उसकी महत्ता से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। आज के समय में इंटरनेट का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। इंटरनेट के विकास और इसके संबंधित लाभों के साथ साइबर अपराधों की अवधारणा भी विकसित हुई है।

इस आलेख में साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा ढाँचे के अद्यतनीकरण की आवश्यकता, साइबर सुरक्षा दृष्टिकोण की चुनौतियाँ और सरकार के द्वारा किये गए प्रयासों पर विमर्श किया जाएगा।

नोट :

साइबर अपराध क्या है ?

- साइबर अपराध विभिन्न रूपों में किये जाते हैं। कुछ साल पहले, इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों के बारे में जागरूकता का अभाव था। साइबर अपराधों के मामलों में भारत भी उन देशों से पीछे नहीं है, जहाँ साइबर अपराधों की घटनाओं की दर भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
- साइबर अपराध के मामलों में एक साइबर अपराधी, किसी उपकरण का उपयोग, उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी, गोपनीय व्यावसायिक जानकारी, सरकारी जानकारी या किसी डिवाइस को अक्षम करने के लिये कर सकता है। उपरोक्त सूचनाओं को ऑनलाइन बेचना या खरीदना भी एक साइबर अपराध है।
- इसमें कोई संशय नहीं है कि यह एक आपराधिक गतिविधि है, जिसे कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग द्वारा अंजाम दिया जाता है। साइबर अपराध, जिसे 'इलेक्ट्रॉनिक अपराध' के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी भी अपराध को करने के लिये कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क का उपयोग, एक वस्तु या उपकरण के रूप में किया जाता है। जहाँ इनके (कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क) ज़रिये ऐसे अपराधों को अंजाम दिया जाता है वहीँ इन्हें लक्ष्य बनाते हुए इनके विरुद्ध अपराध भी किया जाता है।

साइबर सुरक्षा ढाँचे के अद्यतनीकरण की आवश्यकता क्यों?

- राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग
  - साइबर कमांड को बढ़ाने की आवश्यकता के पक्ष में सैन्य सिद्धांतों में हो रहा परिवर्तन साइबर सुरक्षा रणनीति में बदलाव के महत्त्व को प्रतिबिंबित करता है।
  - राष्ट्रीय सुरक्षा के अभिन्न अंग के रूप में एक सक्षम साइबर सुरक्षा बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता पर पहली बार कारगिल समीक्षा समिति (Kargil Review Committee), 1999 द्वारा ज़ोर दिया गया था।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था का बढ़ता महत्त्व
  - वर्तमान में भारत की कुल अर्थव्यवस्था के आकार का 14-15 प्रतिशत भाग डिजिटल अर्थव्यवस्था में शामिल है और वर्ष 2024 तक इसे 20 प्रतिशत तक पहुँचाने का लक्ष्य है।
- एक जटिल डोमेन
  - कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI), मशीन लर्निंग (Machine Learning -ML), डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (Internet of Things-IoT) की अधिक समावेशी प्रकृति के कारण साइबर स्पेस एक जटिल डोमेन बन गया है, जो तकनीकी व कानूनी प्रकृति की समस्याओं को जन्म देगा।
- डेटा संरक्षण की चुनौती
  - 21 वीं सदी में डेटा, मुद्रा के समान महत्त्वपूर्ण है। भारत की विशाल जनसंख्या के कारण कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियाँ (गूगल, अमेज़न) यहाँ अपनी पहुँच बनाने की कोशिश कर रही हैं।
  - इसलिये डेटा संप्रभुता (Data Sovereignty), डेटा स्थानीयकरण (Data Localisation) और इंटरनेट गवर्नेंस (Internet Governance) आदि से संबंधित मुद्दों का समाधान आवश्यक है।

साइबर सुरक्षा दृष्टिकोण की चुनौतियाँ

- मानव संशाधन की कमी
  - इस क्षेत्र के लिये आवश्यक विभिन्न सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से संबंधित तकनीकी पहलुओं को समझने के लिये भारतीय सैन्य बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों में कुशल लोगों का अभाव है।
  - इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI), ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी (BlockChain Technology-BCT), मशीन लर्निंग (Machine Learning -ML), डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (Internet of Things-IoT) जैसी अत्याधुनिक तकनीकी की समझ रखने वाले पेशेवरों की कमी है।
  - कई विशेषज्ञों के अनुसार, वर्तमान में कम से कम तीन मिलियन साइबर सुरक्षा पेशेवरों की आवश्यकता है।

नोट :

- सक्रिय साइबर डिफेंस का अभाव
  - भारत में यूरोपीय संघ की तरह, सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (General Data Protection Regulation-GDPR) या अमेरिका के 'क्लैरीफाइंग लॉ फुल ओवरसीज़ यूज़ ऑफ़ डेटा (Clarifying Lawful Overseas Use of Data-CLOUD) अधिनियम की तरह सक्रिय साइबर डिफेंस का अभाव है।
- विनियामक संगठनों की कार्यप्रणाली में एकरूपता का अभाव
  - संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर और ब्रिटेन में साइबर स्पेस के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक ही संगठन है जबकि भारत में कई केंद्रीय निकाय हैं जो साइबर मुद्दों से निपटते हैं। इसलिये प्रत्येक निकाय में एक अलग रिपोर्टिंग संरचना होती है, जिससे विनियामक संगठनों की कार्यप्रणाली में एकरूपता का अभाव नज़र आता है।
- साइबर सुरक्षा उपकरणों के लिये अन्य देशों पर निर्भरता
  - भारत में हार्डवेयर के साथ-साथ सॉफ्टवेयर साइबर सुरक्षा उपकरणों में स्वदेशीकरण का अभाव है।
  - यह भारत के साइबर स्पेस को राज्य अभिकर्ताओं और गैर-राज्य अभिकर्ताओं से प्रेरित साइबर हमले से निपटने में दुर्बल कर देता है।
- वाह्य चुनौतियाँ
  - सोशल मीडिया 'सूचना' के प्रसार का एक शक्तिशाली उपकरण बन रहा है, जिससे भ्रामक समाचार तेज़ी से फैलते हैं, जो साइबर सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करते रहते हैं।

साइबर सुरक्षा की दिशा में किये गए सरकार के प्रयास

- भारत में 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000' पारित किया गया जिसके प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता के प्रावधान सम्मिलित रूप से साइबर हमलों के प्रभाव से निपटने के लिये पर्याप्त हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धाराएँ 43, 43ए, 66, 66बी, 66सी, 66डी, 66ई, 66एफ, 67, 67ए, 67बी, 70, 72, 72ए और 74 हैकिंग और साइबर अपराधों से संबंधित हैं।
- सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013' जारी की गई जिसके तहत अति-संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिये 'राष्ट्रीय अतिसंवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (National Critical Information Infrastructure protection centre-NCIIPC) का गठन किया।
- इसके अंतर्गत 2 वर्ष से लेकर उम्रकैद तथा दंड अथवा जुर्माने का भी प्रावधान है।
- विभिन्न स्तरों पर सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने 'सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता' (Information Security Education and Awareness: ISEA) परियोजना प्रारंभ की है।
- साइबर सुरक्षा के खतरों का विश्लेषण करने, अनुमान लगाने और चेतावनी देने के लिये भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया टीम (CERT-IN) को नोडल एजेंसी बनाया गया।
- देश में साइबर अपराधों से समन्वित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिये 'साइबर स्वच्छता केंद्र' भी स्थापित किया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology-MeitY) के तहत भारत सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम का एक हिस्सा है।
- भारत सूचना साझा करने और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली अपनाने के लिये अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों के साथ समन्वय कर रहा है।
- सरकार ने साइबर सुरक्षा से संबंधित फ्रेमवर्क का अनुमोदन किया है। इसके लिये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

आगे की राह

- जागरूकता में वृद्धि: व्यापारिक संगठनों और सरकारी प्रक्रियाओं को लक्षित करने वाले डिजिटल वारफेयर और हैकर्स के विरुद्ध ठोस उपाय करने के लिये भारत को अन्य देशों के साथ साझा उपाय करने होंगे और इस संदर्भ में जागरूकता में वृद्धि करनी होगी कि कोई भी व्यक्ति या संस्था अकेले डिजिटल वारफेयर के प्रति प्रतिरक्षित नहीं है।

नोट :

- मौजूदा साइबर सुरक्षा ढाँचे को मजबूत करना: राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (National Cyber Coordination Centre-NCCC), नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (National Critical Information Infrastructure Protection Centre-NCIIPC) और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (Computer Emergency Response Team-CERT) जैसी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा परियोजनाओं को कई गुना मजबूत करने की आवश्यकता है।
- शैक्षिक पाठ्यक्रमों में साइबर सुरक्षा को शामिल करना: केंद्रीय विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, उद्योग संघों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित अन्य शैक्षिक संस्थानों को साइबर सुरक्षा को पाठ्यक्रमों को शामिल करना चाहिये।
- एकीकृत दृष्टिकोण: मोबाइल फोन और दूरसंचार के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति और राष्ट्रीय दूरसंचार नीति को वर्ष 2030 तक एक व्यापक समग्र नीति के निर्माण हेतु प्रभावी रूप से सहयोग करना होगा।

गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम: चुनौतियाँ व प्रासंगिकता

संदर्भ

वर्तमान में आतंकवाद वैश्विक स्तर पर एक बड़ी समस्या बना हुआ है। आतंकवाद की समस्या से प्रभावित होने वाले देशों में भारत गंभीर रूप से पीड़ित देशों की श्रेणी में आता है। आतंकवाद और नक्सलवाद की बढ़ती समस्या से निपटने के लिये गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (Unlawful Activities (Prevention) Act-UAPA), 1967 में आतंक विरोधी प्रावधानों को शामिल किया गया है। यह अधिनियम आतंकवादी गतिविधियों को रोकने, आतंकवादी संगठनों को चिह्नित करने और उन पर रोक लगाने में काफी सहायक सिद्ध हुआ।

इस कानून के निर्माण का उद्देश्य उन गतिविधियों पर अंकुश लगाना था, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिये खतरा हैं। स्वाभाविक रूप से, इसने देश की तथाकथित संप्रभुता और अखंडता के नाम पर नागरिकों की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी प्रभावित किया है, जिससे न्यायालयों को भी प्राय: देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिये सक्रियता से हस्तक्षेप करना पड़ा है। गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Record Bureau-NCRB), 2018 के आँकड़ों के आधार पर दी गई जानकारी के अनुसार, UAPA के तहत वर्ष 2017 में सजा की दर 49.3 प्रतिशत थी तो वहीं 2015 में यह दर 14.5 प्रतिशत थी। वर्ष 2018 में UAPA के तहत गिरफ्तार होने वाले व्यक्तियों की संख्या 1421 थी।

इस आलेख में गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी।

UAPA से तात्पर्य

- गैर-कानूनी गतिविधियों से तात्पर्य उन कार्यवाहियों से है जो किसी व्यक्ति/संगठन द्वारा देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को भंग करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देती है।
- यह कानून संविधान के अनुछेद-19 द्वारा प्रदत्त वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शस्त्रों के बिना एकत्र होने और संघ बनाने के अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध आरोपित करता है।
- वर्ष 2019 में इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न संशोधन किये गए, जिससे इस कानून में कुछ कठोर प्रावधान जोड़े गए।

संशोधित प्रावधान

- संशोधित प्रावधानों का उद्देश्य आतंकी अपराधों की त्वरित जाँच और अभियोजन की सुविधा प्रदान करना तथा आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करना है।
- संशोधित प्रावधानों द्वारा महानगरों व शहरी क्षेत्रों में कार्य करने वाले विचारकों के ऐसे समूह पर भी कार्यवाही की जाएगी, जो युवाओं को आतंकी व विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने हेतु उकसाते हैं।
- यह संशोधन उचित प्रक्रिया तथा पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर ही किसी व्यक्ति को आतंकवादी ठहराने की अनुमति देता है। गिरफ्तारी या ज़मानत संबंधी प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- यह संशोधन राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) के महानिदेशक को ऐसी संपत्ति को ज़ब्त करने का अधिकार देता है जो उसके द्वारा की जा रही जाँच में आतंकवादी गतिविधियों से अर्जित आय से बनी हो।
  - पूर्व में NIA को इस तरह की कार्रवाई के लिये राज्य के पुलिस महानिदेशक की अनुमति की आवश्यकता होती थी।

नोट :

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी

- राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigation Agency-NIA) भारत में आतंकवाद से निपटने के लिये भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जाँच एजेंसी है। यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
- एजेंसी 31 दिसंबर 2008 को भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रीय जाँच एजेंसी विधेयक, 2008 के लागू होने के साथ अस्तित्व में आई थी।
- राष्ट्रीय जाँच एजेंसी को 2008 के मुंबई हमले के पश्चात् गठित किया गया, क्योंकि इस घटना के पश्चात् आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये एक केंद्रीय एजेंसी की ज़रूरत महसूस की गई।
- मानव तस्करी से संबंधित मामलों की जाँच के लिये भी NIA को अधिकार दिया गया है।
- संशोधित प्रावधान सरकार को आतंकवादियों से संबंध रखने वाले संदेहास्पद व्यक्ति के नाम का खुलासा करने की अनुमति देते है। यह निर्णय इस्लामिक स्टेट में युवाओं के शामिल होने की घटनाओं के बाद लिया गया था।
- इस संशोधन में परमाणु आतंकवाद के कृत्यों के दमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (2005) को दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है।
- इसके अंतर्गत आतंकवाद व विध्वंसक गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों/संगठनों की जांच करने का दायित्व अब निरीक्षक स्तर के अधिकारी को भी दिया जा सकता है।

संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

- जब कोई व्यक्ति आतंकी कार्य करता है या आतंकी गतिविधियों में भाग लेता है तो वह आतंकवाद को पोषित करता है। वह आतंकवाद को बल देने के लिये धन मुहैया कराता है अथवा आतंकवाद के सिद्धांत को युवाओं के मन में स्थापित करने का काम करता है।
- पूर्व में निर्मित किसी भी कानून में किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर आतंकवादी घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं था।
- इसलिये जब किसी आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो उसके सदस्य एक नया संगठन बना लेते हैं। जबकि ऐसे दोषी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करना आवश्यक है।

संशोधित प्रावधान के अनुसार कौन हो सकता है 'आतंकवादी'

- संशोधित प्रावधान के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिससे देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरा उत्पन्न होता है, साथ ही ऐसा कोई काम जिससे समाज या समाज के किसी वर्ग को डराने की कोशिश की जाए आतंकवाद कहलाता है।
- संशोधित प्रावधान केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है की यदि कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है या उन्हें करता है या करने का प्रयास करता है तो उस व्यक्ति को आतंकवादी करार दिया जा सकता है। इन्ही आधारों पर किसी संगठन को भी आतंकी संगठन करार दिया जा सकता है।
- अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन निर्दिष्ट कर सकती है, यदि वह:
  - आतंकवादी कार्रवाई करता है या उसमें भाग लेता है,
  - आतंकवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी करता है,
  - आतंकवाद को बढ़ावा देता है, या
  - अन्यथा आतंकवादी गतिविधि में शामिल है।

अधिनियम से संबंधित चुनौतियाँ

- यह अधिनियम सरकार को किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया का पालन किये बिना आतंकी घोषित करने का अधिकार देता है जिससे भविष्य में राजनैतिक द्वेष अथवा किसी अन्य दुर्भावना के आधार पर दुरूपयोग की आशंका बनी रहेगी।
- इस संशोधन में आतंकवाद की निश्चित परिभाषा नहीं है, इसका नकारात्मक प्रभाव यह हो सकता है कि सरकार व कार्यान्वयन एजेंसी आतंकवाद की मनमानी व्याख्या द्वारा किसी को भी प्रताड़ित कर सकती हैं।
- इस संशोधन का अल्पसंख्यकों के विरुद्ध दुरुपयोग किया जा सकता है।
- यह संशोधन किसी भी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने की शक्ति देता है जो किसी आतंकी घटना की निष्पक्ष जाँच को प्रभावित कर सकता है।

नोट :

- पुलिस राज्य सूची का विषय है परंतु यह संशोधन NIA को संपत्ति को ज़ब्त करने का अधिकार देता है जो कि राज्य पुलिस के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करता है।

आतंकी घोषित व्यक्ति के अधिकार

- यदि किसी व्यक्ति को आंतकी घोषित किया जाता है तो वह व्यक्ति गृह सचिव के समक्ष अपील कर सकता है। गृह सचिव को 45 दिन के भीतर अपील पर निर्णय लेना होगा।
- इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार एक पुनर्विचार समिति बनाएगी। इस समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।
- इस पुनर्विचार समिति के समक्ष आतंकी घोषित संगठन या व्यक्ति अपील कर सकता है और वहाँ सुनवाई की अपील कर सकता है।

निष्कर्ष

आतंकवाद व अन्य विध्वंसक गतिविधियों से निपटने के लिये भारत में एक कठोर कानून की आवश्यकता थी। गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 आतंकवाद से निपटने के संदर्भ में भारत के प्रयासों में एक कारगर उपकरण सिद्ध हो सकता है। हमें इन तथ्यों पर भी ध्यान देना होगा कि देश की सुरक्षा के लिये कठोर क़ानून के निर्माण से अधिक महत्त्वपूर्ण इनका दृढ़ता से क्रियान्वयन करना है। इस बात को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के कठोर कानून का दुरूपयोग न होने पाए।

दृष्टि The Vision

नोट :